

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2022 (PB)

IN THE MATTER OF :

IN RE: NEWS ITEM PUBLISHED IN THE HINDU
DATED 27.03.2022 TITLED "DIGGING UP THE
CHAMBAL"

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE
OF MADHYA PRADESH IN COMPLIANCE OF
ORDER DATED 20.07.23 (uploaded on
25.07.2023)

I N D E X

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Action Taken Report on behalf of State of Madhya Pradesh in compliance of Order dated 25.07.2023		03-23
2.	Affidavit		24
3.	Copy of the Minutes of Joint Committee Meeting dated 31.08.2023	R-1	25-29
4.	Copy of Letter dated 30.10.2023 of Department of Environment, Government of Madhya Pradesh to MoEF&CC	R-2	30-39
5.	Copy of the minutes of the meeting dated 31.10.23 Chaired by the Chief Secretary to review the progress of Action Taken by the departments	R-3	40-59
6.	Copy of the "Comprehensive Conservation and Protection Plan for National Chambal Sanctuary" along with recent photographs	R-4 (Colly.)	60-108
7.	A detailed tabular representation of actions taken by District Administrations of, Districts of Morena, Sheopur & Bhind	R-5	109-110
8.	The details of the inter-state meetings & Minutes	R-6 (Colly.)	111-145
9.	The details of the intra-state meetings & Minutes	R-7 (Colly.)	146-202
10.	Vakalatnama		203

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE OF MADHYA
PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 20.07.2023**

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER :-

1. That in the present matter, this Hon'ble Tribunal took cognizance of the News Article dated 27.03.2022; Titled :
“*Digging up the Chambal*” published in the Hindu, and thereafter the Hon'ble Tribunal directed vide order dated 20-07-23 (uploaded on 25-07-23) to submit a further action taken report within three months ensuring the compliance of the aforementioned order. That for the convenience of this Hon'ble Tribunal the relevant extract from Order uploaded on dated 25.07.2023 is reproduced hereinbelow :

“ Para19. In view to ensure further follow-up action, we direct:

- i. District Authorities (Chief Secretaries, DGPs, PCBs of Rajasthan, MP and UP and SSPs and DMs of Bhind, Morena, Gwalior, Agra, Etawah, Jhansi, Dholpur and Bharatpur) to periodically monitor it and ensure compliance of (2016 and 2020) Guidelines and control illegal mining and submit a further action taken report within three months.*
- ii. Secretary, MoEF&CC need to have monitoring with Chief Secretary of MP to provide clarity on acceptability of Notification dated 31.01.2023 de-notifying 207 hectare from the sanctuary.*

iii. Secretary, MoEF&CC need to have a joint meeting with the Chief Secretaries of MP, UP and Rajasthan and the concerned Head of Departments (Forest and Wildlife and those related to NCS) and to ascertain complete protection of NCS with reference to wildlife and no mining or other activities. MoEF&CC need to give independent report on direction nos. (ii) and (iii) above.”

2. That in compliance of Paragraph 19(i) and 19(ii), the Secretary, Ministry of Environment Forest and Climate Change (hereinafter referred as “**MoEF&CC**”) conducted a joint committee meeting dated 31.08.2023, with various departments of the States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan to ensure in compliance of the directions of this Hon’ble Tribunal. It is pertinent to note here that as a result of the aforementioned joint committee meeting the following steps were recommended to the State of Madhya Pradesh :

“7. The Government of Madhya Pradesh stated that they have implemented a comprehensive set of measures in accordance with the recommendations put forth by the committee established by the National Green Tribunal (NGT) to combat illegal sand mining. The specific details of the steps taken by Madhya Pradesh are at Annexure-II.

8. ADGF (WL) mentioned that after obtaining the recommendations for the de-notification of 292.39 hectares of revenue land within the National Chambal Wildlife Sanctuary in Morena, Madhya Pradesh, it is incumbent upon the State Government to proceed with the process of amendment in the notification of the ESZ around the National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh.

9. It was discussed that the State of Madhya Pradesh should expedite the establishment of ESZ boundaries without delay. This is imperative to facilitate the lawful allocation of mining activities within the region. Furthermore, all Collectors and District Magistrates must immediately take stringent measures to combat and eliminate any instances of illegal sand mining in the area.”

That a copy of the Minutes of Joint Committee Meeting dated 31.08.2023 is marked and annexed herewith as **Annexure R-1.**

3. Thereafter, the Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, issued letter dated 30.10.2023 to MoEF&CC, seeking an amendment in Eco Sensitive Zone Notification dated 20.02.2020 of the National Chambal Sanctuary to ensure the compliance of the directions of this Hon'ble Tribunal. That a copy of Letter dated

30.10.2023 of Department of Environment, Government of Madhya Pradesh to MoEF&CC is marked and annexed herewith as **Annexure R-2**.

4. It is further pertinent to note here that in compliance of Paragraph 19(i) of the aforementioned Order of this Hon'ble Tribunal, the Chief Secretary of the State of Madhya Pradesh reviewed the Action Taken by various departments on 31-10-2023 in compliance of the order dated 20-07-2023. Various State level officers and district level officers were present in the review meeting:
- (i) Additional Chief Secretary, Home Department;
 - (ii) PCCF (HoFF) Forest Department,;
 - (iii) PCCF (WL);
 - (iv) PS Mining;
 - (v) PS Environment,
 - (vi) PS Revenue, GoMP;
 - (vii) AIG (Law);
 - (viii) MD, MP Mining Corporation Ltd;
 - (ix) Member Secretary, MP Pollution Control Board;
 - (x) Deputy Secretary, Environment Department;
 - (xi) Commissioner, Chambal Division;
 - (xii) IG Chambal Division;
 - (xiii) DMs, SPs & DFOs of Morena, Bhind & Sheopur districts and that the Chief Secretary of the State of Madhya Pradesh took personal cognizance, to

ensure compliance of the orders of this Hon'ble Tribunal. The respective departments / officers have presented there respective progress in the meeting before the Chief Secretary. Copy of the minutes of the meeting dated 31-10-23 is marked and annexed herewith as **Annexure R-3**.

5. That in the review meeting, the Department of Forest, Government of Madhya Pradesh presented the progress of its detailed plan on "Comprehensive Conservation and Protection Plan for National Chambal Sanctuary" and that the present Progress of works under the Plan are as follows :

Sr	Strategy	Action Point	Progress Till Date
1	Protection and Recovery of Species and their Habitat	1.1 Implementation of Court Order	Court Order being implemented 89 cases are of illegal sand transportation, 83 vehicles are seized, 44 vehicles are confiscated.

		1.2 Strengthen Intelligence Network	Being strengthened through Forest Committees and awareness campaigns amongst school students, intelligence network developed
		1.3 Strengthen inter-agency coordination	<p>- After the NGT order dated : 06.02.2023, 10 District Level Task Force Meetings, 09 Divisional level Task Force Meetings & 09 Inter State Border Meetings have been organized to strengthen inter-agency coordination.</p> <p>- Coordinated raids are being conducted by Forest, Police and Mining Deptt.</p>

		<p>1.4 Minimize mortality of eggs and hatchlings by effective patrolling in the nesting areas & better beach management</p>	<ul style="list-style-type: none"> - At 44 nesting sites constant monitoring and patrolling is being done. - 04 temporary hatcheries are established every year, during the nesting season. - Patrolling by Motor Boat & On foot patrolling by SAF & Forest Staff. - Some vulnerable nests are fenced with Chainlink. -Gharial nests are protected against deprecation by covering it by the metal net. - Drones are being used for surveillance of sensitive areas.
	Protection and Recovery of Species and their Habitat	<p>1.5 Identify species specific Critical Habitats (CH) and ensure their protection</p>	<p>1. No. of CH identified –</p> <p>Muggar – 45 sites</p> <p>Gharial - 36</p>

			<p>sites</p> <p>Dolphin- 30 sites (70 Km Approx)</p> <p>Indian skimmer – 52 sites</p> <p>2. Protection being ensured by regular surveillance of nesting sites & Critical Habitat.</p>
		1.6 Monitor key indicators like water quality and water flow	Monitoring of water quality is being done regularly by Wildlife Institute of India, Dehradun.
		1.7 Strengthen Deori Gharial rearing centre and Barhi Turtle rearing centre	Rs. 33.90 Lacs allotted for 2023-24
2	Adequate human Resources & Financial Support	2.1 Filling up of vacancies for effective patrolling	Recruitment of frontline staff is in process.
		2.2 Capacity building of the field staff	<p>-Staff are being Sensitized through Regular Meetings at Division, District & Range level.</p> <p>- Field staff is being trained by the Wildlife</p>

			<p>Institute of India, Dehradun Scientists to develop scientific acumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Study tours to areas with best practices have been conducted. -
		2.3 Ensure adequate financial resources	<ul style="list-style-type: none"> - A Five Yrs Action Plan for Rs 19.80 Crores Sanctioned, - for 2023-24 Rs 3.16 Crores Sanctioned till Date.

3.	Ensure scientific management of the National Chambal Sanctuary	3.1 Promote research & information exchange	<p>--- 05 studies are under going-</p> <p>-- 02 on gharial, 02 on Indian skimmer and 01 on Dolphin, mugger & Gharial combined are under going in NCS by various research institutions, 01 on plant resource mapping on Chambal ravines and 01 on maintenance of aquatic ecosystem services under Namami Gange Project by Scientist of Wildlife Institute of India, Dehradun & other institutions are under progress.</p>
		3.2 Ensure baseline survey and regular monitoring through standardized protocols	Every year surveys of nesting sites, hatchlings and estimation of major species are done.

4.	IEC activities for Public Participation & Promote Alternate Livelihood	<p>4.1 Set up a Biodiversity interpretation Centre & Kiosks at appropriate places.</p> <p>4.2 Organize education and awareness programmes for the public, especially students etc.</p> <p>4.3 Promote eco-tourism and ensure income from tourism for the locals.</p> <p>4.4 Promote alternate livelihood opportunities and capacity building of local youth.</p>	<p>4.1 Basic Nature Interpretation Centre at Deori Distt. Morena is functional.</p> <p>4.2 Anubhuti, an awareness and education campaign is organised for school children in all 3 Districts of the NCS every year during winters.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dn. Name</th> <th>No. of Camps</th> <th>No. of Students</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Morena</td> <td>14</td> <td>1680</td> </tr> <tr> <td>Sheopur</td> <td>16</td> <td>1920</td> </tr> <tr> <td>Bhind</td> <td>04</td> <td>480</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.3 Ecotourism activities are organised at Deori interpretation centre and boat rides in Chambal river are available for tourists.</p> <p>4.4 Alternate livelihood</p>	Dn. Name	No. of Camps	No. of Students	Morena	14	1680	Sheopur	16	1920	Bhind	04	480
Dn. Name	No. of Camps	No. of Students													
Morena	14	1680													
Sheopur	16	1920													
Bhind	04	480													

			programmes are being planned for persons dependent on Chambal river for their livelihood.
5.	Work towards International Recognition of NCS	Submit proposals for designation of NCS as UNESCO World Heritage Site & as RAMSAR Site.	Proposal for declaring NCS a Ramsar site has been approved by State Wetland authority.

That a copy of the “Comprehensive Conservation and Protection Plan for National Chambal Sanctuary” along with recent photographs of the NCS area are marked and annexed herewith as **Annexure R-4(Colly.)**.

6. Furthermore, a detailed tabular representation of the expenses to be incurred as calculated and the approved

amount for the forest conservation plan in the Chambal

Region is as follows :

Sr.No.	Component	Budget Provision for Five Years (Rs. In Lakhs)	Budget Provision required for first year	Sanctioned till Date (Rs. In Lakhs)
1	New Infrastructure	362	245	48.3
2	Procurement & Maintenance of Equipment (Including Drones, High Speed Boats & Vehicles) for Turtle and Gharial rearing facilities	487.65	178.5	124.45
3	Research and Monitoring	419.06	70.53	59.42
4	Awareness, Conservation, Education and Public Participation	111.52	30.17	6.34
5	Protection Major	540.79	88.58	74
6	Miscellaneous Activities and Court Cases and other Expend.	26.64	8.54	3.54
Total		1947.66	621.32	316.05

7. It is further submitted that the collection and hatching of eggs of the turtles and gharials are been undertaken in the NCS, the details are tabulated as under:

Information about collection of Turtle Eggs		
S.No.	Year	No. of Eggs.
1.	2018	5860
2.	2019	4934
3.	2020	7621
4.	2021	7496
5.	2022	7410
6.	2023	7612

Information of Gharial Eggs Collection and hatching				
Years	No. of Eggs Collected	No. of Eggs Hatched	Number of Gharial Released in River	Release Batch Year
2018	200	192	145	2013-2016
2019	200	184	396	2014-2017
2020	200	188	116	2018

2021	200	190	90	2018-2019
2022	200	189	94	2019-2020
2023	200	192	101	2019-2020
* Currently 399 Gharials of Batch year 2020-23 are available in Deori Conservation, Rearing Centre				

8. That the Police administration of the three districts of Morena, Sheopur and Bhind has taken adequate steps for the deployment of forces for the prevention of illegal mining, transportation and storage of sand from the NCS area. New check posts have been installed, CCTV surveillance is being done, and wireless equipment's have been provided for regular vigil. Preventive actions have been taken and arrest have been made of culprits. The comparative chart of the action taken by the police department as on 20.07.23 and 31.10.23 is presented below:

S.No	Action Taken	Morena		Bhind		Sheopur		Total	
		As on 20-07-2023	As on 31-10-2023	As on 20-07-2023	As on 31-10-2023	As on 20-07-2023	As on 31-10-2023	As on 20-07-2023	As on 31-10-2023
1.	New check posts	17	17	02	03	05	05	24	25
2.	Force deployed	232	232	248	248	117	117	597	597
3.	CCTV Surveillance Locations	08	08	02	02	03	03	13	13
4.	Criminal cases registered	113	120	37	78	34	39	184	237
5.	Number of persons arrested	117	124	50	109	35	56	202	289
6.	Preventive Action (From Feb 2023 to 15 October 2023)	4118 (9220 persons)	27288 (36105 persons)	5145	31103 (35275 persons)	5304	7400 (7303 persons)	14567	65791 (79424 persons)
7.	Wireless equipments deployed	569	569	449	449	305	305	1323	1323
8.	Surveillance by drones	Surveillance by drones is being carried out in the sensitive areas							

9.	River patrolling by motor boat	Joint river patrolling is being carried out by the police and forest staff in sensitive areas on motorboats of Forest.
10.	Force deployed	<ul style="list-style-type: none"> • A company of SAF has been provided by PHQ to each of the districts of Morena & Bhind with modern weapons. This is in addition to the forces deployed in concerned police stations and police lines.

9. That the District Administrations of, Districts of Morena, Sheopur & Bhind comprising of respective Revenue Commissioner, Inspector General of Police, District Magistrates, Superintendent of Police, District Forest Officers have taken action for the prevention of illegal mining, transportation and storage of sand from the NCS area. A detailed tabular representation of actions taken by District Administrations of, Districts of Morena, Sheopur & Bhind is marked and annexed herewith as **Annexure R-5.**

10. Also the Districts Administrations of the aforementioned states has engaged and coordinated with the administration of the neighboring districts within the States of Uttar Pradesh and Rajasthan for the inter-state monitoring of the illegal mining, transportation and

storage of Chambal sand. Various meetings have been conducted between the departments of the districts of the neighboring states. That the details of the inter-state meetings and their minutes from April 2023 onwards are marked and annexed herewith as **Annexure R-6 (colly.)**.

11. That to further, refrain illegal mining, transportation and storage of Chambal River sand various meeting of district level task force as well as meeting of State level officers with the district officers have been conducted from time to time so as to ensure compliance of the orders of this Hon'ble Tribunal. That the details of the intra-state meetings and important minutes from April 2023 onwards are marked and annexed herewith as **Annexure R-7 (colly.)**.

12. It is further pertinent to note here that The State Mining Department has under taken the task of ensuring the availability of sand in the area. The State Forest department in this regard had de-notified an area of 207.049 hectares on 31.01.2023 from the NCS area. The Mining Department in order to ensure sand mining in

the area has prepared District Survey Reports for an area of 133.629 hectares, which are approved by Madhya Pradesh State Environment Impact Assessment Committee on 27.03.23. That, as soon as the boundaries of the ESZ are amended by MoEF&CC and sand mining is permitted by competent authority, mines can be allotted and legal sand mining can be commenced hopefully by April 2024 and will also to improve the legal availability of sand in the districts of Morena and Bhind, storage licenses have been sanctioned to contractors and a total storage of sand available in district Morena – 3.70 Lakh Cum.

13. It is pertinent to note here that the Mining Police and Forest departments have established 32 check posts for the control of illegal mining, which was earlier only 7. Similarly surveillance by 2 drone cameras is being done by the Forest department. The district wise details of the check posts are as under :

District	Check Posts Earlier	Check Posts at Present


Morena	04	22
Sheopur	02	07
Bhind	01	03
TOTAL	07	32

14. The State of MP has prepared a project of installation of 100 electronic check posts in the entire state with AI (Artificial Intelligence) enabled cameras, number plate/RFID/ QR reader. Total cost of the project is 84 Crore. The Project has been sanctioned by GoMP & tendering process for 40 check posts with a cost of Rs 38 Cr. is in progress in the first phase. This project will be implemented first in National Chambal Sanctuary with 5 such electronic check posts. These will be made operational by end of April 2024.

- i. Alabeli Police Chowki (Morena),
- ii. BanmoreTiraha Bypass (Morena),
- iii. Bandha Churaha (Morena),
- iv. Samarsa Check post (Sheopur),
- v. Barhi Toll Plaza (Bhind).

15. It is stated that Government of MP has been implementing the orders of the Hon. NGT in its full earnest for the control of illegal sand mining from the National Chambal Sanctuary. All measures are being taken including arrests, penalty, seizure, cancelling of arms license etc. However due to the scarcity of any alternate sand source in the area, miscreants undertake illegal mining activities, which are being suppressed by the administration adopting all legal means and force in its hands. Government of MP is also trying its level best to open up legally valid sand mines and approaching MoEF&CC for the same.

16. That an affidavit in support of the Action Taken Report is filed herewith.



(Anoop Mishra)

Joint Director

**Directorate Geology &
Mining, & OIC in the matter**



(Hemant Kumar Sharma)

Director (Environment), MP

**Pollution control Board, Bhopal
& OIC in the matter**

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2022 (PB)

IN THE MATTER OF :

IN RE: NEWS ITEM PUBLISHED IN THE HINDU
DATED 27.03.2022 TITLED: "DIGGING UP THE
CHAMBAL"

AFFIDAVIT

I, Hemant Kumar Sharma, S/o Shri M.H. Sharma, Officer-in-Charge, office at MP Pollution Control Board, Bhopal do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am Officer in Charge for State of Madhya Pradesh in the present matter, and am fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit.
2. That I am filing an Action Taken Report in the aforementioned matter before the Hon'ble Tribunal the contents of which are true and correct and no material fact has been concealed.
3. That the contents of the Action Taken Report are true and correct and no material fact is concealed or suppressed.

Hemant Kumar Sharma

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above are true and correct.

Signed and Verified on this _____ Day of November 2023 at Bhopal

श्री. Hemant Kumar Sharma

प्रमाणित किया जाता है कि शपथ प्रक्रिया को मेरे समक्ष शपथ पत्र सुनाया व सत्यापित किया जाये सही मानकर हस्ताक्षर/अंगूठा प्रे समक्ष अंकित किया।

Hemant Kumar Sharma
IDENTIFY BY ME

Sharma

DEPONENT

संचालक पर्यावरण
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Sharma

DEPONENT

संचालक पर्यावरण
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल





F.No.1-9/2022 WL
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Wild Life Division)

2nd Floor, Vayu Wing,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bag Road, New Delhi-110003.

Date: 15th September, 2023

Office Memorandum

Sub: Summary Record of the discussions on the meeting chaired by Secretary MoEF&CC held on 31.08.2023 in connection with the OA no. 248 of 2022.

Sir,

Kindly find enclosed Summary Record of the discussions on the meeting chaired by Secretary MoEF&CC held on 31.08.2023 in connection with the OA no. 248 of 2022 held on 31st August, 2023 under the chairmanship of Secretary, MoEF&CC.

Yours faithfully,

(Dr. Sudheer Chintalapati)
Scientist 'E'
Email: adwl-mefcc@gov.in.

Encl: As above

Distribution:

1. The Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
2. The Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur.
3. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
4. The PCCF & HoFF, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
5. The PCCF & HoFF, Government of Rajasthan, Jaipur.

Copy to:

1. PPS to Secretary/PPS to DGF&SS/PSO to PSO to Addl. DGF(WL)/PPS to IGF(WL)/PS to DIG(WL), MoEF&CC.

**Summary Record of the discussions on the meeting chaired by
Secretary MoEF&CC held on 31.08.2023 in connection with the OA no.
248 of 2022**

A meeting has been convened on 31st August 2023 under the chairmanship of Secretary MoEF&CC in accordance with the directions of Ld. National Green Tribunal, Principal Bench, Delhi in **OA no 248 of 2022 - a suo-moto case by the National Green Tribunal New Delhi based on the News article published in the Hindu titled "Digging up the Chambal" dated 27.03.2022..**

The list of participants is placed at **Annexure-I**.

1. Secretary EF&CC welcomed the participants to the meeting and initiated the discussions.
2. Inspector General of Forests (WL) gave a brief background about the application before the Ld. NGT. He mentioned that the matter at hand concerns illegal mining activities occurring in the vicinity of Keoladeo National Park in Rajasthan, near Dholpur, in close proximity to the National Chambal Sanctuary.
3. This matter was taken up Suo moto by the Tribunal based on a news article published in "The Hindu" on 27th March 2022, titled "Digging up the Chambal." The Tribunal vide order dated 05.04.22 constituted, an Eight Member Joint Committee comprising of the DGF&SS, Director, National Chambal Sanctuary, Secretaries Mining, Rajasthan, UP and M.P. and UP, MP and Rajasthan State PCBs. The committee gave several recommendations after the site visit.
4. It was also informed that Eco-sensitive Zone (ESZ) around National Chambal Wildlife Sanctuary, Uttar Pradesh was notified on 10.06.2020 and around National Chambal Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh, it was notified on 20.02.2020. However, ESZ for National Chambal Wildlife Sanctuary Rajasthan has not yet been notified and proposal for National Chambal Wildlife Sanctuary is pending with the State Government of Rajasthan.
5. Further, alteration of boundaries of the National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh to the extent resulting in exclusion of 292.39 ha from the sanctuary has been recommended in the 69th SCNBWL meeting with certain conditions.
6. The Tribunal heard the matter OA 248 of 2022 on 25th July 2023 and has issued the following directions:
 - i. *District Authorities (Chief Secretaries, DGPs, PCBs of Rajasthan, MP and UP and SSPs and DMs of Bhind, Morena, Gwalior, Agra, Etawah, Jhansi, Dholpur and Bharatpur) to periodically monitor it and ensure compliance of (2016 and 2020) Guidelines and control illegal mining and submit a*

further action taken report within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

- ii. *Secretary, MoEF&CC need to have monitoring with Chief Secretary of MP to provide clarity on acceptability of Notification dated 31.01.2023 de-notifying 207 hectare from the sanctuary.*
- iii. *Secretary, MoEF&CC need to have a joint meeting with the Chief Secretaries of MP, UP and Rajasthan and the concerned Head of Departments (Forest and Wildlife and those related to NCS) and to ascertain complete protection of NCS with reference to wildlife and no mining or other activities. MoEF&CC need to give independent report on direction nos. (ii) and (iii) above.*

With this back ground the States were asked to give their status with regard to the Hon'ble NGT order.

Madhya Pradesh:

7. The Government of Madhya Pradesh stated that they have implemented a comprehensive set of measures in accordance with the recommendations put forth by the committee established by the National Green Tribunal (NGT) to combat illegal sand mining. The specific details of the steps taken by Madhya Pradesh are at **Annexure-II**.

8. ADGF (WL) mentioned that after obtaining the recommendations for the de-notification of 292.39 hectares of revenue land within the National Chambal Wildlife Sanctuary in Morena, Madhya Pradesh, it is incumbent upon the State Government to proceed with the process of amendment in the notification of the ESZ around the National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh.

9. It was discussed that the State of Madhya Pradesh should expedite the establishment of ESZ boundaries without delay. This is imperative to facilitate the lawful allocation of mining activities within the region. Furthermore, all Collectors and District Magistrates must immediately take stringent measures to combat and eliminate any instances of illegal sand mining in the area.

Uttar Pradesh:

10. The Government of Uttar Pradesh informed that they have implemented a series of measures as were recommended by the committee appointed by the National Green Tribunal (NGT) to combat illegal sand mining. The specific details of the steps taken by Uttar Pradesh are at **Annexure-III**.

Rajasthan:

11. The Government of Rajasthan provided information regarding the measures being undertaken to prevent illegal sand mining within the state,

with particular focus on areas surrounding the Chambal catchment area. These measures encompass a range of strategies and actions aimed at safeguarding the natural resources and environment while ensuring compliance with relevant regulations. The details of the measures implemented by Rajasthan are at **Annexure-IV**.

Conclusions

12. After deliberations on the necessity for consistently enforcing the anti-illegal mining measures, the following actionable points emerged:

- i. All the State Governments should prioritize and encourage permissible activities within the catchment areas in order to raise awareness and naturally mitigate illegal mining and poaching activities.
- ii. The State Governments of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Rajasthan, shall provide detailed reports of the measures taken to combat illegal mining in the vicinity of the Chambal Sanctuary immediately.
- iii. Thereafter, the State Governments are to submit a monthly report to the Ministry on the progress regarding steps to curb illegal mining.
- iv. A standardized format will be devised by the Ministry for monitoring of actions taken by the respective State Governments.
- v. A quarterly coordination committee meeting will be held under the Chairmanship of ADG (WL) to oversee the actions taken by State Governments and share best practices.
- vi. State Government of Rajasthan to take immediate steps to submit the proposal for notification of the ESZ for National Chambal Wildlife Sanctuary.
- vii. District Collectors should take proactive measures for providing alternative livelihood options for the local communities currently dependent on sand mining, through convergence of various schemes.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair and all participants.

ANNEXURE-ILIST OF PARTICIPANTS

S.No.	Name and Designation
1.	Ms. Leena Nandan, Secretary, MoEF&CC
2.	Shri Bivash Ranjan, ADGF(WL), MoEF&CC
3.	Shri Shikhar Agrawal, Additional Chief Secretary, Forest, Environment And Climate Change, Rajasthan.
4.	Sh. Gulshan Bamra, Principal Secretary Environment, Madhya Pradesh
5.	Sh Ashish Tiwari, Principal Secretary Environment, Uttar Pradesh
6.	Shri Raghu Prasad, IGF (WL)
7.	Shri Aseem Srivastava, Chief Wild Life Warden, Madhya Pradesh
8.	Shri Arindam Tomar, Chief Wild Life Warden, Rajasthan
9.	Shri Anjani Acharya, Chief Wild Life Warden, Uttar Pradesh
10.	Sh. Shrawan Kumar Verma, DIG, IRO Gandhinagar
11.	DM Morena, Madhya Pradesh
12.	DM Agra, Uttar Pradesh
13.	DM Gwalior, Madhya Pradesh
14.	Ig Chambal, Madhya Pradesh
15.	DFO Chambal, Madhya Pradesh
16.	DM-Sheopur, Madhya Pradesh
17.	Senior Superintendent of Police, Etawah, Uttar Pradesh
18.	Dr. Sudheer Chintalapati, Scientist E, MoEF&CC

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/1029/2399/2018/32-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/10/2023

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय:—राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जोन की संशोधित अधिसूचना जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 796 (अ) दिनांक 20.02.2020

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित अधिसूचना (अनुलग्नक-A) द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जोन को अधिसूचित किया गया था। उक्त के पश्चात राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 69वीं बैठक दिनांक 29.07.2022 (अनुलग्नक-B) में 207.05 हेक्टेयर राजस्व भूमि को राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य क्षेत्र से विमुक्त करने की अनुमति प्राप्त की गई। प्राप्त अनुमति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.01.2023 (अनुलग्नक-C) द्वारा अभयारण्य क्षेत्र से 207.05 हेक्टेयर भूमि को डिनोटिफाई किया गया।

2/ उपर्युक्त डिनोटिफाईड क्षेत्र को ईको सेंसेटिव जोन से बाहर रखा जाना प्रस्तावित है। तदनुसार ईको सेंसेटिव जोन हेतु संदर्भित अधिसूचना दिनांक 20.02.2020 के उपाबंध-II अंतर्गत मानचित्र को संशोधित कर डिनोटिफाईड क्षेत्र को दर्शाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अधिसूचना के उपाबंध-III में सारणी (ख) के उपरान्त अभयारण्य से बाहर किए गए क्षेत्र का विवरण सम्मिलित किया गया है।

3/ भारत सरकार द्वारा जारी संदर्भित अधिसूचना के उपाबंध-I में दर्शित सीमाओं में कुछ त्रुटियां परिलक्षित होने तथा उपाबंध-IV में डिजिटल डाटा से मिलान करने पर ईको सेंसेटिव जोन अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची में परिवर्तन होने से तदनुसार उपाबंध-I एवं उपाबंध-IV में भी संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

4/ अतः उपर्युक्त पैरा 2 तथा 3 अनुसार राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जोन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 20.02.2020 में उपाबंध I, II, III, IV में संशोधन हेतु प्रारूप (अनुलग्नक-D) संलग्न कर अधिसूचना में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु अनुरोध है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।


(गुलशन बामरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

//2//

// 2 //

पृ.क्रमांक / 1030 / 2399 / 2018 / 32-3

भोपाल, दिनांक 30 / 10 / 2023

प्रतिलिपि:-

1 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय।

2 मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग मंत्रालय

1.राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य मुरैना के पारस्थितिकी संवेदी जोन की भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2020 के पृष्ठ क्र.11 पर उपाबंध-1 की जानकारी विलोपित कर निम्नलिखित जानकारी मान्य की जावे-

उपाबंध-1

संरक्षित क्षेत्र के पारस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की अधिसूचित सीमा।
पूर्व	जिला भिण्ड की उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा
दक्षिण	<p>मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ईको सेंसेटिव जोन की सीमा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की सीमा से अभयारण्य के बाहर मध्य प्रदेश राज्य के भीतर 02 कि.मी. तक रहेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है-</p> <p>शयोपुर जिले के राजस्व क्षेत्र के ग्राम बड़ौदिया बिंदी, हांडी, कलमुंडा, धोरी बावड़ी, पाली, बजरली, उदोतपुरा, कुदैथा, ढीकरिया, बोरदा देव, कुहांजापुर, बासोंद, बीदा खेड़ली, उतनबाद, बगदरी, बगड़िया, मकरोड़, धिरोली, खोजीपुरा, काशीपुर, मानपुर, जैनी, अवनि, जवासा, ऊंचाखेड़ा, बिचपुरी, सामरसा, दांतरदा कलां, मलारना, जुवाड, साडा का पाडा, लेचोडा, मुदालपाड़ा, अडू, बनवाड़ा, करीरिया, इच्छाना खेड़ी, बेहटेड, बिट्टलपुर, चक जुवाड, पहाडल्या, जालेरा, बिजारपुर, अडवाड, गोधा अडवाड, गांवड़ी, अमल्दा, नानावाड, पटपदा, दुबडी उतनवाड, दौलपुरा, दुबावली, नदीगांव, लिलौली, जिमरछा, नितानवास, पान्चो, बलवानी, अकोरिया, खेरोदा कलां, सुधारा, अरौंदरी, हीरापुरा, पराशता, डोंगरपुर (ढोढर),</p> <p>मुरैना जिले के राजस्व क्षेत्र के ग्राम बरैढ़, सिंगरौली, चिन्नोनी चंबल, तिंदोखर, बृजगढ़ी, हुसैनपुर, मिलौआ, खोरा, मोहनपुर, सुखपुरा, सरसैनी, बरहाना, नंदपुरा, गुढ़ा चम्बल, गलेथा, कैंथरी, जराह, पिपरई, नायकपुरा, महचंदपुर, गडोरा, गोरखा, झुंडपुरा (एनपी), कड़ावना, भटपुरा, गोसपुर, रतन बसई, रुअर, रिठौरा मरजादगढ़, रछेड़, उसैद, बरवाई, बिंडवा, कुंडौना, सिलावली, धौरा, नगरा पोरसा, अटार, भदावली, चपाक, बरोठा, कछिंदा, कैमारा कलां, गडुला, गोंदोली, बावड़ी, डिगवार, खेड़ा डिगवार, रहु का गांव, गाजी खेड़ा, बनवारा, नोरावली खेरौन, खेरौन, गुरेमा, हीरापुर, तिलोल, रिठौना, जोहान, खिरेंटा, डंडोली, गूँज एवं</p> <p>जिला भिण्ड के राजस्व क्षेत्र के ग्राम अर्जुनपुरा, कनेरा, खेरट, अहरोलीकाली, गडेर, घिनोची, रेपुरा, बिंडवा, सलीमपुर, खिपोना, डांगसरकार, आकौन, नखलोली, बिजोरा, चिलोंगा, परियाया, रमा, जोरी अहीर, गढ़ा, उदनपुर, चाचर, नारीपुरा, बरही, समन्ना, सपाड़, भोनपुरा, कछुई, बिंडवा, नहारा, चितावली, बड़ापुरा, कसाहपुरा, भीमपुरा, खुआवली एवं छूँछरी की कृत्रिम सीमा।</p>

पश्चिम	जिला श्योपुर में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा।
--------	---

एवं उक्त अधिसूचना के पृष्ठ क्र. 31 पर अंग्रेजी भाषा में दी गई Annexure-1 जानकारी विलोपित कर निम्नानुसार मान्य की जावे-


Annexure-1

Details of the boundary of the Eco-sensitive Zone of the Protected Area

North	Notified Boundary of National Chambal Sanctuary in Madhya Pradesh.
East	Interstate border of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh state under district Bhind.
South	<p>The extent of the Eco-Sensitive Zone will be 02 km from the boundary of National Chambal Sanctuary in Madhya Pradesh. The details of which are as follows-</p> <p>Artificial border of the following villages of Sheopur District Barodiya Bindi, Handi, Kalamunda, Dhori Bawdi, Pali, Bajrali, Udotpura, Kudaitha, Dhikaria, Borda Dev, Kuhanjapur, Basond, Bida Khedli, Utanbad, Bagdari, Bagadia, Makrod, Dhiroli, Khojipura, Kashipur, Manpur, Jaini , Avni, Jawasa, Unchakheda, Bichpuri, Samarsa, Dantarda Kalan, Malarna, Juwad, Sada Ka Pada, Lechoda, Mudalpada, Adu, Banwada, Kaririya, Ichhana Khedi, Behted, Bithalpur, Chak Juwad, Pahadlya, Jalera, Bijarpur, Adwad, Godha Adwad, Gaondi, Amalda, Nanawad, Patpada, Dubdi Utanwad, Daulpura, Dubawali, Nadigaon, Lilauli, Jimrachha, Nitawas, Pancho, Balwani, Akoria, Kheroda Kalan, Sudhara, Arraudri, Hirapura, Parashta, Dongarpur (Dhodhar),</p> <p>Artificial border of the following villages of Morena District Barraidh, Singrauli, Chinnoi Chambal, Tindokhar, Brijgarhi, Hussainpur, Milua, Khora, Mohanpur, Sukhpura, Sarsaini, Barhana, Nandpura, Gudha Chambal, Galetha, Kainthari, Zarah, Piprai, Nayakpura, Mahchandpur, Gadora, Gorkha, Jhundpura (NP), Kadavna, Bhatpura, Gospur, Ratan Basai, Ruar, Rithora Marjadgarh, Rachher, Usaid, Barwai, Bindwa, Kundauna, Silawali, Dhaurra, Nagra Porsa, Attar, Bhadawali, Chapak, Barohta, Kachhinda, Camara Kalan, Gadula, Gondoli, Bawdi, Digwar, Kheda Digwar, Rahu's village, Ghazi Kheda, Banwara, Norawali Kheraun, Kheraun, Gurema, Hirapur, Tilol , Rithona, Johan, Khirenta, Dandoli, Gunj, and</p> <p>Artificial border of the following villages of Bhind District Arjunpura, Kanera, Kheraat, Ahrolikali, Gader, Ghinochi, Repura, Bindwa, Salimpur, Khipona, Dangsarkar, Aakaun, Nakhloli, Bijora, Chilonga, Pariaya, Rama, Jori Ahir, Garha, Udanpur, Chachar, Naripura, Barhi, Samanna, Sappar, Bhonpura, Kachhui, Bindwa, Nahara, Chitwali, Badapura, Kasahpura, Bhimpura, Khuawali and Chhunchuri.</p>
West	The inter-state border of Rajasthan and Madhya Pradesh under District Sheopur.

2.राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य मुरैना के पारस्थितिकी संवेदी जोन की भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2020 के पृष्ठ क्र.12 पर उपाबंध-II की जानकारी एवं पृष्ठ क्र. 31 पर अंग्रेजी भाषा में दी गई Annexure-II की जानकारी विलोपित कर निम्नलिखित जानकारी मान्य की जावे-

राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के पारस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



3.राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य मुरैना के पारस्थितिकी संवेदी जोन की भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2020 के उपाबंध-III के अंतर्गत सारणी 'ख' के उपरांत पृष्ठ क्र.13 पर निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित की जावे-

मध्य प्रदेश की अधिसूचना क्र. For/2/0004/2022—sec—2—10 दिनांक 31 जनवरी 2023 द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के भीतर निम्नानुसार 03 स्थलों में आंशिक रूप से डिनोटिफाई किये गये कुल 207.049 हेक्टेयर क्षेत्र में ईको सेंसेटिव जोन की सीमा, अभयारण्य की सीमा से शून्य रहेगी:-

वनमण्डल- मुरैना, जिला-श्यापुर, तहसील- बढौदा, स्थल/घाट का नाम -बढौदिया बिन्दी

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा (हे. में)	अभयारण्य से बाहर किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जी.पी.एस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
कुंहाजापुर	217	75.828	2.403	A B	25°28'2.25"N,76°33'32.95"E 25°28'2.19"N,76°33'34.33"E
बढौदिया घाट	1	15.60	7.086	C D	25°27'53.93"N,76°33'34.81"E 25°27'42.44"N,76°33'32.45"E
				E F	25°27'34.76"N,76°33'28.59"E 25°27'35.55"N,76°33'27.43"E
				G H	25°27'39.68"N,76°33'27.80"E 25°27'44.31"N,76°33'27.29"E
योग:-			9.489		

वनमण्डल - मुरैना, जिला-मुरैना, तहसील- जौरा/मुरैना, स्थल/घाट का नाम - राजघाट

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा (हे. में)	अभयारण्य से बाहर किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जी.पी.एस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
भानपुर	2	25.30	21.05	B C D E F	26°39'35.04"N,77°54'46.01"E 26°39'35.76"N,77°54'59.58"E 26°39'31.65"N,77°55'49.46"E 26°39'30.29"N,77°56'08.36"E 26°39'25.26"N,77°56'27.61"E
				3	01.34
	14	01.50	0.80	I J K	26°39'20.75"N,77°56'27.01"E 26°39'26.82"N,77°55'32.06" E
	15	01.50	0.80		26°39'30.40"N,77°55'27.44" E
	16	0.39	0.39	L M N	26°39'26.00"N,77°55'26.01" E
	17	02.38	0.80	O P	26°39'29.05"N,77°55'08.45"E
पिपरई	2	03.49	2.40	Q	26°39'30.26"N,77°55'07.57" E

	177	19.51	17.91	R S T	26°39'30.12"N,77°55'03.92" E 26°39'30.80"N,77°54'58.65" E 26°39'29.33"N,77°54'49.10" E 26°39'22.87"N,77°54'49.60" E 26°39'23.26"N,77°54'42.23" E 26°39'24.49"N,77°54'42.17" E
	180	03.10	2.10	G H	26°39'24.04"N,77°56'41.70"E 26°39'21.48"N,77°56'41.99"E
	236	28.39	16.71	A U	26°39'31.08"N,77°54'26.42"E
	239	28.40	14.60		26°39'20.74"N,77°54'29.45"E
योग:-			78.90		

वनमण्डल- मुरैना, जिला-मुरैना, तहसील- मुरैना, स्थल/घाट का नाम - बरवासिन

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा (हे. में)	अभ्यारण्य से बाहर किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जी.पी.एस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
खाण्डौली (तह.-जौरा)	852/1	40.661	32.45	B	26°36'38.01"N,77°51'05.60"E
	852/2	05.894	04.00	C	26°36'44.27"N,77°51'30.39"E
	746	67.706	56.40	F G H	26°36'33.25"N,77°51'54.11"E 26°36'30.94"N,77°51'48.13"E
कैथरी (तह.-मुरैना)	2	17.62	15.50	I J	26°36'32.04"N,77°51'40.84"E 26°36'31.61"N,77°51'35.33"E
	103	11.432	9.51		26°36'18.23"N,77°50'47.10"E
	101	01.327	0.80	D E	26°36'41.63"N,77°52'06.51"E 26°36'33.92"N,77°52'07.27"E
				A K	26°36'06.58"N,77°50'08.32"E 26°36'01.65"N,77°50'11.97"E
योग:-			118.66		

एवं उक्त अधिसूचना के पृष्ठ क्र. 32 पर अंग्रेजी भाषा में दी गई Annexure-III के अंतर्गत Table B के उपरांत निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित की जावे-

Eco-sensitive Zone at the following three places, partially denotified 207.049 ha. area of National Chambal Sanctuary, vide MP Govt. notification no. For/2/0004/2022-sec-2-10 dated 31st January, 2023 will be Zero from the boundary of Sanctuary.

Division- Morena, Distt.-Sheopur Tehsil- Badhoda Name of Site/Ghat- Badhodia Bindi

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Kunhajapur	217	75.828	2.403	A B	25°28'2.25"N,76°33'32.95"E 25°28'2.19"N,76°33'34.33"E

Badhodia Ghat	1	15.60	7.086	C	25°27'53.93"N,76°33'34.81"E
				D	25°27'42.44"N,76°33'32.45"E
				E	25°27'34.76"N,76°33'28.59"E
				F	25°27'35.55"N,76°33'27.43"E
				G	25°27'39.68"N,76°33'27.80"E
				H	25°27'44.31"N,76°33'27.29"E
	Total		9.489		

Division- Morena, Distt.-Morena Tehsil- Jora/Morena Name of Site/Ghat- Barwasin

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Khandoli (Teshil-Jora)	852/1	40.661	32.45	B	26°36'38.01"N,77°51'05.60"E
	852/2	05.894	04.00	C	26°36'44.27"N,77°51'30.39"E
	746	67.706	56.40	F	26°36'33.25"N,77°51'54.11"E
Kentthri (Teshil-Morena)	2	17.62	15.50	G	26°36'30.94"N,77°51'48.13"E
	103	11.432	9.51	H	26°36'32.04"N,77°51'40.84"E
				I	26°36'31.61"N,77°51'35.33"E
				J	26°36'18.23"N,77°50'47.10"E
	101	01.327	0.80	D	26°36'41.63"N,77°52'06.51"E
				E	26°36'33.92"N,77°52'07.27"E
			A	26°36'06.58"N,77°50'08.32"E	
			K	26°36'01.65"N,77°50'11.97"E	
Total			118.66		

Division- Morena, Distt.- Morena Tehsil- Morena Name of Site/Ghat- Rajghat

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Bhanpur	2	25.30	21.05	B	26°39'35.04"N,77°54'46.01"E
	3	01.34	01.34	C	26°39'35.76"N,77°54'59.58"E
					26°39'31.65"N,77°55'49.46"E
					26°39'30.29"N,77°56'08.36"E
					26°39'25.26"N,77°56'27.61"E
	14	01.50	0.80	I	26°39'20.75"N,77°56'27.01"E
	15	01.50	0.80	J	26°39'26.82"N,77°55'32.06" E
Piprai	16	0.39	0.39	K	26°39'30.40"N,77°55'27.44" E
	17	02.38	0.80	L	26°39'26.00"N,77°55'26.01" E
	2	03.49	2.40	M	26°39'29.05"N,77°55'08.45"E
	177	19.51	17.91	N	26°39'30.26"N,77°55'07.57" E
				O	26°39'30.12"N,77°55'03.92" E
				P	26°39'30.80"N,77°54'58.65" E
				Q	26°39'29.33"N,77°54'49.10" E
				R	26°39'22.87"N,77°54'49.60" E
				S	26°39'23.26"N,77°54'42.23" E
				T	26°39'24.49"N,77°54'42.17" E
	180	03.10	2.10	G	26°39'24.04"N,77°56'41.70"E
			H	26°39'21.48"N,77°56'41.99"E	
236	28.39	16.71	A	26°39'31.08"N,77°54'26.42"E	
239	28.40	14.60	U	26°39'20.74"N,77°54'29.45"E	
Total			78.90		

4. राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य मुरैना के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2020 के उपाबंध-IV की सारणी पृष्ठ क्रमांक 19 से 21 के स्थान पर निम्नानुसार सारणी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

जिला	क्र.सं.	2 किलोमीटर परिधि पर स्थित ग्राम के नाम	अक्षांश / देशांतर
श्यापुर	1.	हांडी	उ 25 ⁰ 23'55.32" पू 76 ⁰ 37'16.22"
	2.	कल्मुंडा	उ 25 ⁰ 24'21.06" पू 76 ⁰ 37'57.61"
	3.	बडोदिया बिंदी	उ 25 ⁰ 24'54.10" पू 76 ⁰ 36'20.50"
	4.	पाली	उ 25 ⁰ 25'44.00" पू 76 ⁰ 37'46.42"
	5.	ढीकरीया	उ 25 ⁰ 26'13.23" पू 76 ⁰ 38'05.85"
	6.	कुंआजापुर	उ 25 ⁰ 26'45.00" पू 76 ⁰ 34'20.00"
	7.	बासौद	उ 25 ⁰ 29'53.22" पू 76 ⁰ 35'52.25"
	8.	बीदा खेडली	उ 25 ⁰ 27'20.00" पू 76 ⁰ 34'25.00"
	9.	उतनबाद	उ 25 ⁰ 33'36.27" पू 76 ⁰ 34'06.31"
	10.	गोधा अडवाड़	उ 25 ⁰ 39'27.00" पू 76 ⁰ 31'44.98"
	11.	बिट्ठलपुर	उ 25 ⁰ 42'15.22" पू 76 ⁰ 33'29.23"
	12.	चक जुवाड	उ 25 ⁰ 44'54.81" पू 76 ⁰ 32'34.95"
	13.	बनवाड़ा	उ 25 ⁰ 39'57.45" पू 76 ⁰ 36'47.33"
	14.	खोजीपुरा	उ 25 ⁰ 56'52.36" पू 76 ⁰ 50'46.14"
	15.	खैरोद कलां	उ 26 ⁰ 00'48.00" पू 76 ⁰ 52'00.00"
	16.	अकोरीया	उ 26 ⁰ 00'34.62" पू 76 ⁰ 53'11.43"
	17.	हीरापुरा	उ 26 ⁰ 03'38.87" पू 76 ⁰ 56'18.16"
	18.	उदोतपुरा	उ 26 ⁰ 04'09.24" पू 76 ⁰ 58'01.87"
	19.	पराश्ता	उ 26 ⁰ 05'13.80" पू 76 ⁰ 58'22.61"
	20.	दौलपुरा	उ 26 ⁰ 04'55.86" पू 76 ⁰ 59'03.37"
मुरैना	21.	गुरैमा	उ 26 ⁰ 20'18.87" पू 77 ⁰ 27'20.76"
	22.	हीरापुर	उ 26 ⁰ 19'46.16" पू 77 ⁰ 28'46.70"
	23.	बरहाना	उ 26 ⁰ 30'33.71" पू 77 ⁰ 48'33.97"
	24.	रिठौना	उ 26 ⁰ 44'43.17" पू 78 ⁰ 12'49.95"
भिण्ड	25.	अर्जुनपुरा	उ 26 ⁰ 44'19.71" पू 78 ⁰ 33'07.55"
	26.	चितावली	उ 26 ⁰ 43'06.07" पू 78 ⁰ 45'00.15"
	27.	भोनपुरा	उ 26 ⁰ 36'21.78" पू 78 ⁰ 56'38.62"

एवं उक्त अधिसूचना के पृष्ठ क्र. 32 पर अंग्रेजी भाषा में दिए गई Annexure-IV की सारणी पृष्ठ क्र. 37 से 39 के स्थान पर निम्नानुसार सारणी सम्मिलित की जावे-

Annexure-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NATIONAL CHAMBAL
SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

District	S.No.	Name of village situated on 2 km. periphery	Latitude / longitude
Sheopur	1	Handi	N 25 ⁰ 23'55.32" E 76 ⁰ 37'16.22"
	2	Kalmunda	N 25 ⁰ 24'21.06" E 76 ⁰ 37'57.61"
	3	Badodiya Bindi	N 25 ⁰ 24'54.10" E 76 ⁰ 36'20.50"
	4	Pali	N 25 ⁰ 25'44.00" E 76 ⁰ 37'46.42"
	5	Dhikariya	N 25 ⁰ 26'13.23" E 76 ⁰ 38'05.85"
	6	Kwahanjapur	N 25 ⁰ 26'45.00" E 76 ⁰ 34'20.00"
	7	Basod	N 25 ⁰ 29'53.22" E 76 ⁰ 35'52.25"
	8	Beeda khedli	N 25 ⁰ 27'20.00" E 76 ⁰ 34'25.00"
	9	Utanbad	N 25 ⁰ 33'36.27" E 76 ⁰ 34'06.31"
	10	Godha Adwad	N 25 ⁰ 39'27.00" E 76 ⁰ 31'44.98"
	11	Bitthalpur	N 25 ⁰ 42'15.22" E 76 ⁰ 33'29.23"
	12	Chak Juwad	N 25 ⁰ 44'54.81" E 76 ⁰ 32'34.95"
	13	Banwada	N 25 ⁰ 39'57.45" E 76 ⁰ 36'47.33"
	14	Khojipura	N 25 ⁰ 56'52.36" E 76 ⁰ 50'46.14"
	15	Khairod Kalan	N 26 ⁰ 00'48.00" E 76 ⁰ 52'00.00"
	16	Akoriya	N 26 ⁰ 00'34.62" E 76 ⁰ 53'11.43"
	17	Hirapura	N 26 ⁰ 03'38.87" E 76 ⁰ 56'18.16"
	18	Udotpura	N 26 ⁰ 04'09.24" E 76 ⁰ 58'01.87"
	19	Parashta	N 26 ⁰ 05'13.80" E 76 ⁰ 58'22.61"
	20	Daulpura	N 26 ⁰ 04'55.86" E 76 ⁰ 59'03.37"
Morena	21	Gurema	N 26 ⁰ 20'18.87" E 77 ⁰ 27'20.76"
	22	Hirapur	N 26 ⁰ 19'46.16" E 77 ⁰ 28'46.70"
	23	Barhana	N 26 ⁰ 30'33.71" E 77 ⁰ 48'33.97"
	24	Rithona	N 26 ⁰ 44'43.17" E 78 ⁰ 12'49.95"
Bhind	25	Arjunpura	N 26 ⁰ 44'19.71" E 78 ⁰ 33'07.55"
	26	Chitawali	N 26 ⁰ 43'06.07" E 78 ⁰ 45'00.15"
	27	Bhonpura	N 26 ⁰ 36'21.78" E 78 ⁰ 56'38.62"

मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय-वल्लभ भवन-भोपाल 462004

क्रमांक: 1043/2399/2018/32-3

भोपाल, दिनांक 01/11/2023

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण ओ.ए. 248 /2022 " In Re: News Item Published in the Hindu dated 27.03.2022 Titled Digging Up The Chambal" के संबंध में बैठक दिनांक 31-10-23 का कार्यवाही विवरण

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण ओ.ए. 248 /2022 " In Re: News Item Published in the Hindu dated 27.03.2022 Titled Digging Up The Chambal" में पारित आदेश दिनांक 20-07-2023 के संबंध में राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य से रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण, पर रोक लगाने के संबंध में की गई कार्यवाही की समीक्षा हेतु बैठक मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई. बैठक में उपस्थित अधिकारियों का उपस्थिति पत्रक संलग्न 1 अनुसार है।
2. बैठक के प्रारंभ में जिला मुरैना , श्योपुर व भिंड के जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जिलों में चम्बल नदी से रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु की जा रही कार्यवाही की प्रगति से अवगत कराया गया। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-07-2023 तक की गई कार्यवाही तथा तत्पश्चात प्रगति की अद्यतन स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया जिसमे पुलिस बल की तैनाती, जांच चौकियों के विवरण, आपराधिक प्रकरणों का पंजीकरण, गिरफ्तारियां, निषेधात्मक कार्यवाही, अवैध उत्खनन, परिवहन आदि के



प्रकरणों की संख्या, बाहनों की जब्ती, जुर्माना, प्रथम सूचना रिपोर्ट, शस्त्र लाइसेंसों का निरस्तीकरण आदि की प्रगति से अवगत कराया गया।

3. वन विभाग की ओर से प्रधान मुख्य प्रमुख वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) द्वारा वन विभाग द्वारा तैयार " Comprehensive Conservation and Protection Plan for National Chambal Sanctuary" पर विभाग द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर की गई प्रगति से अवगत कराया गया।
4. विभिन्न विभागों द्वारा अद्यतन कार्यवाही की स्थिति दर्शाने वाले प्रस्तुतीकरण की प्रति संलग्न 2 अनुसार है।
5. मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र में संशोधन का प्रस्ताव पर्यावरण विभाग की ओर से पर्यावरण, वन एवं जल-वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 30-10-23 को भेजा गया है. भारत शासन से संशोधन की स्वीकृति मिलने के पश्चात चम्बल नदी से रेत उत्खनन हेतु नियमानुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
6. बैठक के अंत में मुख्य सचिव महोदय द्वारा सर्व-सम्बंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की गतिविधियों पर निरंतर कड़ाई से नियंत्रण रखे जाने तथा विधान सभा चुनाव काल में भी आवश्यक पुलिस बल एवं निगरानी में तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिए।
7. बैठक में उपस्थित सर्व सम्बंधित अधिकारियों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(गुलशन बामरा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पर्यावरण विभाग

पृ. क्र. / 1044/2399/ 2018 / 32-3

भोपाल, दिनांक

01 / 11/ 2023

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह / वन मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. प्रमुख सचिव, पर्यावरण/ खनिज साधन/ राजस्व/ मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
6. कमिश्नर / पुलिस महानिरीक्षक चम्बल संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. सदस्य सचिव म. प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
8. प्रबंध संचालक, म. प्र. माइनिंग कारपोरेशन लि. भोपाल ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. ए. आई . जी. (विधि), पुलिस मुख्यालय भोपाल ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
10. कलेक्टर मुरैना / श्योपुर/ भिंड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
1. पुलिस अधीक्षक मुरैना / श्योपुर/ भिंड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. वनमंडलाधिकारी मुरैना / श्योपुर/ भिंड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(गुलशन वामरा)
प्रमुख सचिव

संलग्न 1

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण ओ.ए. 248 /2022 " In Re: News Item Published in the Hindu dated 27.03.2022 Titled Digging Up The Chambal" के संबंध में बैठक दिनांक 31-10-23 का उपस्थिति पत्रक

1.	श्री इकबाल सिंह वैस मुख्य सचिव म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल
2.	डा. राजेश राजौरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
3.	श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, पर्यावरण
4.	श्री राघवेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन
5.	श्री निकुंज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, राजस्व
6.	श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
7.	श्री असीम श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
8.	श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
9.	श्री राजीव रंजन मीना, प्रबंध संचालक, म. प्र. माइनिंग कारपोरेशन लि.
10.	श्री लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव पर्यावरण विभाग
11.	श्री विक्रान्त मोराब, ए.आई. जी. (विधि), पुलिस मुख्यालय भोपाल
12.	श्री दीपक सिंह कमिश्नर, चम्बल संभाग (वी सी द्वारा)
13.	श्री सुशांत सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल संभाग (वी सी द्वारा)
14.	श्री अंकित अस्थाना, कलेक्टर, मुरैना (वी सी द्वारा)
15.	श्री संजय कुमार, कलेक्टर, श्योपुर (वी सी द्वारा)
16.	श्री संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर, भिंड (वी सी द्वारा)
17.	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक मुरैना (वी सी द्वारा)
18.	पुलिस अधीक्षक श्योपुर (वी सी द्वारा)
19.	पुलिस अधीक्षक भिंड (वी सी द्वारा)
20.	वनमंडलाधिकारी मुरैना एवं संचालक राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य(वी सी द्वारा)



Meeting Taken by Secretary MoEF&CC dated
31-08-23

ACTION TAKEN REPORT AS ON 31-10-23

by Government of Madhya Pradesh

in compliance of

NGT ORDER DATED 20-07-2023

in OA 248 / 2022

Synopsis of The Hon. NGT Order Dated 20-07-2023

" **Para19.** In view to ensure further follow-up action, we direct:

- i. District Authorities (Chief Secretaries, DGPs, PCBs of Rajasthan, MP and UP and SSPs and DMs of Bhind, Morena, Gwalior, Agra, Etawah, Jhansi, Dholpur and Bharatpur) to periodically monitor it and ensure compliance of (2016 and 2020) Guidelines and control illegal mining and submit a further action taken report within three months.
- ii. Secretary, MoEF&CC need to have monitoring with Chief Secretary of MP to provide clarity on acceptability of Notification dated 31.01.2023 de-notifying 207 hectare from the sanctuary.
- iii. Secretary, MoEF&CC need to have a joint meeting with the Chief Secretaries of MP, UP and Rajasthan and the concerned Head of Departments (Forest and Wildlife and those related to NCS) and to ascertain complete protection of NCS with reference to wildlife and no mining or other activities. MoEF&CC need to give independent report on direction nos. (ii) and (iii) above. "

Meeting Taken by Secretary MoEF&CC dated 31-08-23

- In compliance of the NGT Order dated 20-07-23, an Inter State meeting was taken by Secretary MoEF& CC of 31-08-23
 - Officers from the three States of MP, UP & Rajasthan were present in the meeting.
 - The meeting focused on stoppage of illegal mining in the NCS area.
 - It was decided that MP should expedite the establishment of ESZ boundaries without delay to facilitate lawful allocation of mining activities in the area. Minutes of meeting with MoEF 31-08-23.pdf
-

Amendment in the Notification of ESZ

1. Request for permission of mining in NCS denotified area sent by GoMP on 08-06-2023 to MoEF&CC
2. Reply by MoEF&CC on 28-06-2023, with two main points:
 1. In WP(C) No. 202 of 1995: TN Godavarman vs Uol in Para 65 of Hon'ble Supreme Court in its decision has stated that "... **mining within National Park and Wildlife Sanctuary and within an area of one kilometer from boundary of such National Park and Wildlife Sanctuary shall not be permissible.**"
 2. GoMP to submit a revised proposal for declaring ESZ around NCS
3. In meeting chaired by Secretary, MoEF&CC on 31-08-2023, GoMP instructed to establish ESZ boundaries.
4. Proposal for amendment of ESZ boundaries around denotified area of NCS sent by GoMP to MoEF&CC on 30-10-2023
5. Post the notification of revised ESZ by MoEF&CC, GoMP shall require to approach Hon'ble Supreme Court to grant relaxation for mining in the redefined area of ESZ, waiving the condition of Para 65 of Godavarman Case.

Ar

Action Taken by Departments to ascertain complete protection of NCS with reference to wildlife and no mining or other activities

1. Comprehensive Conservation & Protection Plan (CPP) by Forest Department
2. Action Taken by Police Department
3. Action Taken by District Administration
4. Intra State Coordination
5. Inter State Coordination
6. Legal Alternatives for Demand of Sand
7. Check Posts and Surveillance

1. Comprehensive Conservation & Protection Plan by Forest Department

Sr	Strategy	Action Point	Progress Till Date
1	Protection and Recovery of Species and their Habitat	1.1 Implementation of Court Order	Court Order being implemented 89 cases are of illegal sand transportation, 83 vehicles are seized, 44 vehicles are confiscated.
		1.2 Strengthen Intelligence Network	Being strengthened through Forest Committees and awareness campaigns amongst school students, intelligence network developed
		1.3 Strengthen inter-agency coordination	- After the NGT order dated : 06.02.2023, 10 District Level Task Force Meetings, 09 Divisional level Task Force Meetings & 09 Inter State Border Meetings have been organized to strengthen inter-agency coordination. -Coordinated raids are being conducted by Forest, Police and Mining Deptt.
		1.4 Minimize mortality of eggs and hatchlings by effective patrolling in the nesting areas & better beach management	- At 44 nesting sites constant monitoring and patrolling is being done. - 04 temporary hatcheries are established every year, during the nesting season. - Patrolling by Motor Boat & On foot patrolling by SAF & Forest Staff. - Some vulnerable nests are fenced with Chainlink. -Gharial nests are protected against deprecation by covering it by the metal net. - Drones are being used for surveillance of sensitive areas.

a ✓

1. Comprehensive Conservation & Protection Plan by Forest Department(contd...)

Sl No	Strategy	Action Point	Progress Till Date
	Protection and Recovery of Species and their Habitat	1.5 Identify species specific Critical Habitats (CH) and ensure their protection	1. No. of CH identified - Muggar - 45 sites Gharial - 36 sites Dolphin- 30 sites (70 Km Approx) Indian skimmer - 52 sites 2. Protection being ensured by regular surveillance of nesting sites & Critical Habitat.
		1.6 Monitor key indicators like water quality and water flow	Monitoring of water quality is being done regularly by Wildlife Institute of India, Dehradun.
		1.7 Strengthen Deori Gharial rearing centre and Barhi Turtle rearing centre	Rs. 33.90 Lacs allotted for 2023-24

1. Comprehensive Conservation & Protection Plan by Forest Department (contd...)

S. No	Strategy	Action Point	Progress Till Date
2	Adequate human Resources & Financial Support	2.1 Filling up of vacancies for effective patrolling	Recruitment of frontline staff is in process.
		2.2 Capacity building of the field staff	-Staff are being Sensitized through Regular Meetings at Division, District & Range level. -Field staff is being trained by the Wildlife Institute of India, Dehradun Scientists to develop scientific acumen. -Study tours to areas with best practices have been conducted.
		2.3 Ensure adequate financial resources	-A Five Yrs Action Plan for Rs 19.80 Crores Sanctioned, - for 2023-24 Rs 3.16 Crores Sanctioned till Date.

dw ✓

1. Comprehensive Conservation & Protection Plan by Forest Department (contd...)

S. No	Strategy	Action Point	Progress Till Date
3.	Ensure scientific management of the National Chambal Sanctuary	3.1 Promote research & information exchange	--- 05 studies are under going- -- 02 on gharial, 02 on Indian skimmer and 01 on Dolphin, mugger & Gharial combined are under going in NCS by various research institutions, 01 on plant resource mapping on Chambal ravines and 01 on maintenance of aquatic ecosystem services under Namami Gange Project by Scientist of Wildlife Institute of India, Dehradun & other institutions are under progress.
		3.2 Ensure baseline survey and regular monitoring through standardized protocols	Every year surveys of nesting sites, hatchlings and estimation of major species are done.

1. Comprehensive Conservation & Protection Plan by Forest Department (contd...)

S. No	Strategy	Action Point	Progress Till Date
4.	IEC activities for Public Participation & Promote Alternate Livelihood	4.1 Set up a Biodiversity Interpretation Centre & Kiosks at appropriate places. 4.2 Organize education and awareness programmes for the public, especially students etc. 4.3 Promote eco-tourism and ensure income from tourism for the locals. 4.4 Promote alternate livelihood opportunities and capacity building of local youth.	4.1 Basic Nature Interpretation Centre at Deori Distt. Morena is functional. 4.2 Anubhuti , an awareness and education campaign is organised for school children in all 3 Districts of the NCS every year during winters. Dn.Name No. of Camps No. of Students Morena 14 1680 Sheopur 16 1920 Bhind 04 480 4.3 Ecotourism activities are organised at Deori interpretation centre and boat rides in Chambal river are available for tourists. 4.4 Alternate livelihood programmes are being planned for persons dependent on Chambal river for their livelihood.
5.	Work towards International Recognition of NCS	Submit proposals for designation of NCS as UNESCO World Heritage Site & as RAMSAR Site.	Proposal for declaring NCS a Ramsar site has been approved by State Wetland authority.

1. Comprehensive Conservation & Protection Plan by Forest Department (2023-24 to 2027-28) (contd...)
Financial Estimates

Sr. No.	Component	Budget Provision for Five Years (Rs. In Lakhs)	Budget Provision required for first year	Sanctioned till Date (Rs. In Lakhs)
1	2	3	4	5
1	New Infrastructure	362	245	48.3
2	Procurement & Maintenance of Equipment (Including Drones, High Speed Boats & Vehicles) for Turtle and Gharial rearing facilities	487.65	178.5	124.45
3	Research and Monitoring	419.06	70.53	59.42
4	Awareness, Conservation, Education and Public Participation	111.52	30.17	6.34
5	Protection Major	540.79	88.58	74
6	Miscellaneous Activities and Court Cases and other Expend.	26.64	8.54	3.54
Total		1947.66	621.32	316.05

1. Conservation & Protection Plan by Forest Department : (contd....)



New Infra Progress



Handwritten signature or mark.

1. Conservation & Protection Plan by Forest Department (contd...)

Information about Survey of aquatic fauna of National Chambal Sanctuary, Morena

Year	Gharial	Dolphin	Mugger	Indian Skimmer
2018	1681	74	613	-
2019	1876	-	706	329
2020	1859	68	710	512
2021	2176	82	886	577
2022	2014	72	868	517
2023	2108	96	878	740

1. Conservation & Protection Plan by Forest Department (contd....)

Information about collection of Turtle Eggs

S.No.	Year	No. of Eggs.
1	2018	5860
2	2019	4934
3	2020	7621
4	2021	7496
5	2022	7410
6	2023	7612

Dr

1. Conservation & Protection Plan by Forest Department (contd...)

Information of Gharial Eggs Collection and hatching

Years	No. of Eggs Collected	No. of Eggs Hatched	Number of Gharial Released in River	Release Batch Year
2018	200	192	145	2013-2016
2019	200	184	396	2014-2017
2020	200	188	116	2018
2021	200	190	90	2018,2019
2022	200	189	94	2019,2020
2023	200	192	101	2019,2020

* Currently 399 Gharials of Batch year 2020-23 are available in Deori Conservation, Rearing Centre

2. Action Taken by Police Department

S.No	Action Taken	Morena		Bhind		Sheopur		Total	
		As on 20-07-2023	As on 31-10-2023	As on 20-07-2023	As on 31-10-2023	As on 20-07-2023	As on 31-10-2023	As on 20-07-2023	As on 31-10-2023
1.	New check posts	17	17	02	03	05	05	24	25
2.	Force deployed	232	232	248	248	117	117	597	597
3.	CCTV Surveillance Locations	08	08	02	02	03	03	13	13
4.	Criminal cases registered	134	120	37	78	34	39	205	237
5.	Number of persons arrested	117	124	80	109	35	56	202	289
6.	Preventive Action (From Feb 2023 to 15 October 2023)	4118 (9220 persons)	27288 (36105 persons)	5145	31103 (35275 persons)	5304	7400 (7303 persons)	14567	65791 (79424 persons)
7.	Wireless equipments deployed	569	569	449	449	305	305	1323	1323

Dr

2. Action Taken by Police Department (contd...)

S. No.	Head	Action Taken
8.	Surveillance by drones	Surveillance by drones is being carried out in the sensitive areas
9.	River patrolling by motor boat	Joint river patrolling is being carried out by the police and forest staff in sensitive areas on motorboats of Forest.
10.	Force deployed	<ul style="list-style-type: none"> A company of SAF has been provided by PHQ to each of the districts of Morena & Bhind with modern weapons. This is in addition to the forces deployed in concerned police stations and police lines.

3. Action Taken by District Administration (01-04-2022 to 28-10-23)

Sl No	Action Taken	Morena		Sheopur		Bhind*		Total		Act/ Rule
		As on 20-07-2023	As on 31-10-2023							
1	Cases of Illegal Mining	69	96	3	3	11	14	83	113	Madhya Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022
2	Cases of Illegal Transportation	251	304	125	142	337	455	713	901	
3	Cases of Illegal Storage	63	65	21	25	28	37	119	127	
4	Vehicles Seized	250	301	114	133	436	581	800	1015	
5	Penalty Imposed (Rs. Lakhs)	26.42	32.13	17.55	22.12	10.27	1207.00	54.24	1261.25	
6	Penalty Recovered (Rs. Lakhs)	25.22	30.22	16.60	17.86	7.96	1130.00	49.78	1178.08	

*No illegal sand mining/ transportation / storage in NCS area in district Bhind.
Reported actions are for River Sindh

01

3. Action Taken by District Administration (contd...)

Sl No	Action Taken	Morena		Sheopur		Bhind*		Total		Act/ Rule
		As on 20-07-2023	As on 31-10-2023							
7	Vehicles Confiscated	52	91	14	14	02	02	68	107	Section 52 of The Indian Forest Act 1927
8	FIRs Lodged	113	120	34	39	29	79	176	238	Section 379 and 414 of IPC
9	PORs Lodged	117	214	59	69	-	-	236	283	The Wildlife Protection Act 1972 and The Indian Forest Act 1927
10	Accused/Criminals	334	368	125	153	439	563	898	1084	The Indian Penal Code, The Wildlife Protection Act 1972 and The Indian Forest Act 1927
11	Action on Vehicles without number plate	6344	7914	-	09	228	251	6572	8174	The Motor Vehicles Act, 1988
12	Action on Overload Vehicles	2025	2592	-	-	129	150	2154	2742	

*No illegal sand mining/ transportation / storage in NCS area in district Bhind.
Reported actions are for River Sindh

3. Action Taken by District Administration (contd...)

Sl No	Action Taken	Morena		Sheopur		Bhind*		Total		Act/ Rule
		As on 20-07-2023	As on 31-10-2023							
13	Suspension of Arms License	04	04	-	-	-	-	04	04	Section 52 of The Indian Forest Act 1927
14	Legal sand mines in the district	00	00	-	-	72	72	72	72	MP Sand (Mining, Transportation, Storage & Trading) Rules, 2019
15	New licenses for sand storage	08	08	-	-	02	00	10	08	As above & MP Mineral (Prevention of Illegal Mining & Storage) Rules, 2022

*No illegal sand mining/ transportation / storage in NCS area in district Bhind.
Reported actions are for River Sindh

av

4. Intra State Coordination

Sl No	Date of Meeting	Intra/Inter State	Chaired by	Participants
1	14 th February 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
2	20 th February 2023	Intra State	District Collector, Sheopur (MP)	1. SP Sheopur 2. DFO Sheopur 3. District Mining Officer
3	21 st February 2023	Intra State	Chief Secretary, Madhya Pradesh	1. DG Police, MP 2. ACS, Home, MP 3. ACS, Forest, MP 4. PCCF (HoFF), MP 5. PCCF (Wildlife), MP 6. PS, Revenue, MP 7. PS Mining, MP 8. PS Environment, MP 9. Md, MPPCB 10. Commissioner, IG Police and CCF, Chambal Division 11. District Collectors, SPs and DFOs of Districts Morena, Bhind and Sheopur
4	7 th March 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
5	14 th March 2023	Intra State	Divisional Commissioner, Chambal Division (Morena)	1. IG Chambal Range 2. CCF, Chambal Range 3. Collectors, SPs and DFOs of Morena, Bhind and Sheopur 4. District Mining Officers of Morena, Bhind, Sheopur
6	17 th March 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer

4. Intra State Coordination (contd...)

Sl No	Date of Meeting	Intra/Inter State	Chaired by	Participants
7	30 th March, 2023	Intra State	DG Police (MP)	1. Special DG (CID), PHQ 2. IG Chambal Range 3. SP Morena 4. SP Bhind
8	24 th March 2023	Intra State	PCCF (HoFF), MP	1. PCCF (Wildlife), MP 2. ADG, Police HQ 3. Divisional Commissioner, Chambal Division 4. IG, Chambal Range 5. CCF, Gwalior Range 6. Collectors, SPs, DFOs of Morena, Bhind and Sheopur 7. Director, NCS, Bhind/Deori 8. Mining, Revenue and Forest Officials of Morena, Bhind and Sheopur
9	06 th April 2023	Intra State	Chief Secretary, MP	1. PS, Environment 2. PS, Mining 3. MS, MPPCB
10	10 th April, 2023	Intra State	Principal Secretary Mining, MP	1. PCCF (HoFF), MP and PCCF (Wildlife), MP 2. Commissioner, IG Police and CCF, Chambal Division 3. District Collectors, SPs and DFOs of Districts Morena, Bhind and Sheopur 4. SP Morena, Sheopur, Bhind and DFO Morena, Sheopur, Bhind
11	12 th April, 2023	Intra State	Chief Secretary	1. DG Police, MP 2. ACS, Home, MP and ACS, Forest, MP 3. PCCF (HoFF), MP and PCCF (Wildlife), MP 4. PS, Revenue, MP, PS Mining, MP, PS Environment, MP and MS, MPPCB 5. Commissioner, IG Police and CCF, Chambal Division 6. District Collectors, SPs and DFOs of Districts Morena, Bhind and Sheopur
12	04 th May 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer

Dr

4. Intra State Coordination (contd...)

Sl No	Date of Meeting	Intra/Inter State	Chaired by	Participants
13	05 th May 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
14	05 th June 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
15	23 rd June 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
16	11 th July 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
17	12 th July 2023	Intra State	Divisional Commissioner, Chambal Division (Morena)	1. IG Chambal Range 2. CCF, Chambal Range 3. Collectors, SPs and DFOs of Morena, Bhind and Sheopur 4. District Mining Officers of Morena, Bhind, Sheopur
18	13 th July 2023	Intra State	Chief Secretary, MP	1. DG Police, MP 2. ACS, Home, MP and ACS, Forest, MP 3. PCCF (HoFF), MP and PCCF (Wildlife), MP 4. PS- Revenue, MP, PS Mining, MP, PS Environment, MP and MS, MP/PCB 5. Commissioner, IG Police and CCF, Chambal Division 6. District Collectors, SPs and DFOs of Districts Morena, Bhind and Sheopur

4. Intra State Coordination (contd...)

Sl No	Date of Meeting	Intra/Inter State	Chaired by	Participants
19	02 nd August 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
20	31 st August 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
21	04 th September 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
22	25 th September 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
23	06 th October 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
24	25 th October 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer

at

5. Inter State Coordination

Sl No	Date of Meeting	Intra/Inter State	Chaired by	Participants
1.	17 th March 2023	Inter State	Co-Chaired by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	1. SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) 2. DCP, Agra (UP) 3. DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) 4. Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts
2.	19 th March 2023	Inter State	Co-Chaired by District Collectors, Sheopur (MP), Karelil (Rajasthan) and Sawai Madhopur (Rajasthan)	1. SPs of Sheopur (MP), Karelil (Rajasthan) and Sawai Madhopur (Rajasthan) 2. DFOs of Sheopur (MP), Karelil (Rajasthan) and Sawai Madhopur (Rajasthan) 3. Revenue, Police, Forest and Mining Officers of the three district
3.	20 th March 2023	Inter State	Co-Chaired by Chief Secretaries of MP, Rajasthan and UP	1. DGOs of MP, Rajasthan and UP 2. ACS/PS/Secretary of Home Departments MP, Rajasthan and UP 3. ACS/PS/Secretary of Mining Departments MP, Rajasthan and UP 4. ACS/PS/Secretary of Forest and Environment Departments MP, Rajasthan and UP 5. District Collectors, SPs and DFOs of Morena, Bhind, Sheopur and Gwalior (MP); Bharatpur and Dholpur (Rajasthan); Agra and Etawah (UP)
4.	31 st March 2023	Inter State	Co-Chaired by District Collectors, Bhind (MP), Etawah (UP)	1. SPs of Bhind & Etawah 2. DFOs of Bhind & Etawah 3. Upper Collectors of Bhind & Etawah 4. Mining Officers of Bhind & Etawah

5. Inter State Coordination (contd...)

Sl No	Date of Meeting	Intra/Inter State	Chaired by	Participants
5.	06 th April 2023	Inter State	Additional Chief Secretary, Mining, Rajasthan	1. District Collectors Dholpur (Rajasthan) and Morena (MP) 2. SPs of Districts Dholpur (Rajasthan) and Morena (MP) 3. District Mining Officers Dholpur (Rajasthan) and Morena (MP)
6.	10 th April 2023	Inter State	Principal Secretary, Mining, Madhya Pradesh	1. Divisional Commissioner, Chambal Division MP 2. IG Police, Chambal Range 3. District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan), Agra (UP) 4. SPs of Districts Morena (MP), Dholpur (Rajasthan), Agra (UP)
7.	19 th May 2023	Inter-state	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	1. SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) 2. DCP, Agra (UP) 3. DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) 4. Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts
8.	30 th June 2023	Inter-State	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	1. SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) 2. DCP, Agra (UP) 3. DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) 4. Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts

Dr

5. Inter State Coordination (contd...)

Sl No	Date of Meeting	Intra/Inter State	Chaired by	Participants
9.	11 th July 2023	Inter-State	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	1. SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) 2. DCP, Agra (UP) 3. DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) 4. Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts
10.	31 st August 2023	Inter-State	Secretary, MoEF&CC	1. ADGF (WL), MoEF&CC 2. ACS/PS, Forest and Environment, UP, MP and Rajasthan 3. Chief Wildlife Warden, UP, MP, Rajasthan 4. IG Chambal (MP) 5. DM, SP and DFO of Morena (MP), Gwalior (MP), Agra (UP), Sheopur (MP)
11.	25 th Sep 2023	Inter-State	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	1. SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) 2. DCP, Agra (UP) 3. DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) 4. Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts
12.	06 th Oct 2023	Inter-State	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	1. SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) 2. DCP, Agra (UP) 3. DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) 4. Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts

6. Legal Alternatives for Demand of Sand

S.No	District	Tehsil	Village	Area (In Ha.)	Name of Quarry	
1.	Morena	Jours	Khandoli 1	4.80	Barwasin Ghat	
			Morena	Khandoli 2		5.00
			Khandoli Kenthri 3	63.47		
		Morena	Bhanpur 1	5.00	Rajghat	
			Bhanpur-Piprai 2	5.00		
			Piprai 3	40.87		
2.	Sheopur	Baroda	Kuhajapur	2.403	Kuhajapur- Barodia Ghat (Total Area-9.48 Ha.)	
			Barodia Ghat	7.086		
Total Area				133.629		

- District Survey Reports (DSR) approved by MP SEIAA on 27/03/2023, 04 sand mines in Morena district declared in B-2 Class. As per requirement revised DSR approved by MP SEAC on 23-08-23. Mining is likely to commence from April 2024
- To improve the legal availability of sand in the districts of Morena and Bind storage licenses have been sanctioned to contractors. Total storage of sand available in district Morena - 3.70 Lakh Cum

Dr

7. Check posts and Surveillance:

- Mining, Police and Forest departments have increased the number of check posts to 32 from earlier 7 check posts.
 - Morena – 22 (earlier 4)
 - Sheopur – 07 (earlier 02)
 - Bhind – 03 (earlier 01)
 - Drone surveillance by **2 drone cameras** is being done by Forest department. Drone surveillance has also been started by district Collector, Morena.
-


7. Check posts and Surveillance (contd...)

- Government of MP has prepared a project of installation of 100 electronic check posts in the entire state with AI (Artificial Intelligence) enabled cameras, number plate/ RFID/ QR reader. Total cost of the project is 84 Crore.
- The Project sanctioned by GoMP & tendering process for 40 check posts with a cost of Rs 38 Cr. is in progress in the first phase.
- This project will be **implemented first in National Chambal Sanctuary with 5 such electronic check posts**. These will be made operational **by end of April 2024**.
 1. Alabeli Police Chowki (Morena),
 2. Banmore Tiraha Bypass (Morena),
 3. Bandha Churaha (Morena),
 4. Samarsa Check post (Sheopur),
 5. Barhi Toll Plaza (Bhind).

31/10/2023

National Chambal Sanctuary

Madhya Pradesh



Conservation & Protection Plan

(2023-24 to 2027-28)

Table of Contents

- 1. Executive Summary 3**
- 2. Chapter 1: Introduction to the National Chambal Sanctuary 5**
- 3. Chapter 2: Background Information and Attributes 9**
- 4. Chapter 3: Strategies 23**
- 5. Chapter 4: Protection Plan 34**
- 6. Chapter 5: Budgetary Requirements 41**

Executive Summary

The Chambal River originates in the Vindhyan ranges near Mhow in the district of Indore, Madhya Pradesh and then flows through Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh (UP) forming the border of MP with these two states before flowing into UP to join the Yamuna in the district of Etawah, UP. The Chambal as a tributary of the Yamuna forms part of the greater Gangetic drainage system.

The National Chambal Sanctuary is situated in a large arc of the Chambal River, covering nearly 1800 km² across the three states of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, and is the first and only tri-state riverine protected area in India. About 600 of the 960-km stretch of the Chambal River has been declared as the National Chambal Sanctuary by the three states in their respective territorial jurisdictions.

The Chambal sanctuary in MP was notified vide notification: No. F.15-5-77-X (2) dated 20.12.1978. Modified: No. 15-12-X(2)-82 dated 24.12.1982 by the Government of Madhya Pradesh.

The National Chambal Sanctuary is among the most important and significant riverine habitat where several globally threatened faunal elements still survive. Its rich biodiversity is evident from the presence of two species of crocodylians the Gharial (*Gavialis gangeticus*) and the Marsh Crocodile mugger (*Crocodylus palustris*), 9 species of freshwater turtles including the endangered Red Crowned Roof Turtle (*Batagur kachuga*), Smooth-coated Otters, Gangetic river dolphins (*Platanista gangetica*), Indian Skimmer, Black-bellied Tern, Sarus crane and Black-necked Storks, amongst others. The Gharial endemic and unique to the Indian subcontinent is the most critically endangered aquatic animal in India. It is included in Schedule I of the Wild Life (Protection) Act, 1972; Appendix I of CITES and listed as Critically Endangered in the IUCN Red List of Endangered Species.

Today, the Chambal faces severe threats on several fronts. The Chambal River is being impacted by increasing extraction and diversion of water, leading to flow disruptions and degradation of the aquatic ecosystem. Presently, there are seven major, twelve medium and 134 minor irrigation schemes operating in the Chambal River Basin. Over and above this, 52 new irrigation projects are under construction and a further 376 projects have been proposed. Being a perennial river in an arid landscape it is only looked upon as a source for water extraction rather than a unique aquatic ecosystem. Other threats include land use changes, sand-mining, poaching, fishing and a spread of riverside cultivation within the Sanctuary. The biodiversity values of and threats to the National Chambal Sanctuary are not understood in spite of the Protected Area having been established since the late 1970s. The infamy of the ravines also contributes to its relatively unpopular status. This underscores the need for greater awareness through effective communication and outreach if the river and its biodiversity values are to be conserved.

An assessment of the strategies to tackle the issues including long term as well as short term strategies is laid out in this protection plan. The responsible agency is also specified for each strategy. The chapter on protection details the various threats and makes appropriate prescriptions for their effective implementation. Finally the budgetary requirements are laid out in the final section.

Introduction to the National Chambal Sanctuary

1.1 Name, Location, Constitution and Extent

The National Chambal Sanctuary (National Chambal Sanctuary) lies between 24°55' to 26°50'N and 75°34' to 79°18'E. It consists of the section of the Chambal River between Jawahar Sagar Dam in Rajasthan and the Chambal-Yamuna confluence in Uttar Pradesh. Two stretches of the Chambal, with in this section, are protected as the National Chambal Sanctuary the upper section, extending from the Jawahar Sagar Dam to the Kota Barrage, and the lower sector, extending from Keshoraipatan in Rajasthan to Pachhnada in Uttar Pradesh. The lower section of the Parbati river, ~60km upstream from Chambal Parbati confluence also forms a part of the National Chambal Sanctuary (**Figure1**).




Figure1: Location Map National Chambal Sanctuary

The 960 km long Chambal River originates from the Singar Chouri peak in the northern slopes of the Vindhyan escarpment, at an elevation of about 843 m, 15 km west-south-west of Mhow in Indore District, Madhya Pradesh. The river first flows in a northerly direction in Madhya Pradesh (MP) for about 346 km and then in a generally north-easterly direction for 225 kms through Rajasthan. The Chambal flows for another 217 km between MP and Rajasthan and thereafter another 145 km between MP and Uttar Pradesh (UP). It enters UP and flows for about 32 km before joining the Yamuna River in Etawah District at an elevation of 122 m, to form a part of the greater Gangetic drainage system (Jain *et al*, 2007).

1.2 Approach and Access

The National Chambal Sanctuary is easily accessible from Gwalior (75km). The sanctuary is about 10 km South-east of Dholpur, Rajasthan which is the nearest railhead and the town and the Sanctuary is 25km North-west of Morena town. The nearest airport is located at Gwalior (Figure2).




Figure2: Map showing access and approach to National Chambal Sanctuary

1.1 Statement of Significance

The Chambal is one of the last remnant rivers, in the greater Gangetic Drainage Basin, that has retained significant conservation values (Hussain & Badola, 2001). This nearly 1800km² river of natural beauty and unique biodiversity is the first and only tri-state protected area in India. The National Chambal Sanctuary is among the most important and significant habitats where several globally threatened faunal elements still survive. The National Chambal Sanctuary was established in order to facilitate the 'restoration to ecological health of a major North Indian river ecosystem' (Sale, 1982). The National Chambal Sanctuary is an integral part of 22 Protected Areas (PAs) covering 5213.27km² with Six PAs covering 1385.18km², which are located at the periphery of the basin.

In addition, this river sanctuary functions as a vital source and nursery for fish fry and fingerlings, contributing significantly to downstream fisheries in the Gangetic river system, that provide livelihood and sustenance to millions of dependent people.

1.1.1 Global Significance

The National Chambal Sanctuary is recognized globally as an Important Birding Area (IBA) an Important Bird Area (Birdlife International) (Site Code IN-UP-11 and IN-RJ-11) as it is an important habitat for migratory water birds. It harbours almost 90% of the world population of the Gharial (*Gavialis gangeticus*) (Lang & Kumar 2017). It provides refuge to several species of fish, reptiles, birds and **mammals** of conservation importance.

1.1.2 National Significance

Chambal River forms an integral part of the Greater Gangetic River System; the Chambal River has remained relatively untouched due to the lack of major towns or cities and industries on its banks. It is thus one of the few rivers of the basin to retain significant conservation values (Hussain and Badola, 2001). National Chambal Sanctuary is the first and only tri-State protected area in India notified for the conservation of a Crocodilian (*Gavialis gangeticus*) species.

1.1.3 Local Significance

Chambal flows through Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh is an important southern tributary of the Yamuna River and a source of ground water recharge in the region. Barrages and multipurpose dams in the upper reaches of Chambal add to the fishery resources, agricultural and domestic water needs in the region.

1.2 Biodiversity Value

A total of 148 fishes (33 families), 56 reptiles (19 families), 308 birds (64 families), 60 mammals (27 families), 37 butterflies (5 families) are reported, including six Critically Endangered, 12 Endangered and 18 Vulnerable species, as categorized by the IUCN Red List of Threatened Species (Nair and Krishna 2013; WII 2017).

1.3 Recreational Value

The National Chambal Sanctuary serves as an important site for bird watching, especially during the winter migratory season. Tourism is carried out by the Madhya Pradesh Forest Department (MPFD) at Rajghat (~25km from Morena) and Barhi (~ 20 km from Bhind) where tourists can avail boating and Nature trail walks.

1.4 Cultural Value

The Chambal is one of the major rivers feeding into the Yamuna and thereafter the Ganga, but unlike them, it is completely devoid of any divine antecedents. While the Chambal has many interesting myths associated with its origins, it is almost impossible to ascertain the veracity of these stories. The earliest reference to Chambal can however be found in the epic *Mahabharata* (Fritzgerald, 2004).

Aboriginal and tribal groups such as the Meos and the Bhils inhabited the area around the Chambal.

Background Information and Attributes

2.1 Biogeographic Zone

The National Chambal Sanctuary lies in the Biogeographical province 4B (Semi-Arid Gujarat-Rajputana) of Semi-arid Biogeographic Zone (Rodgers and Panwar, 1988). The vegetation consists of Ravine, Thorn forest, a sub-type of the Northern Tropical Forests (Sub-group 6B/C2as per the revised classification of Champion & Seth, 1968). This sub-type typically occurs in less arid areas with a rainfall of 600-700 mm. Limited examples of Saline/Alkaline Babul Savannah (5/E8b), a type of Northern Tropical Dry Deciduous Forest also occur (Sale, 1982). Evergreen riparian vegetation is completely absent, with only sparse ground-cover along the severely eroded river banks and adjacent ravine lands (Hussain, 2009).

2.2 Boundaries

The National Chambal Sanctuary lies between 24°55' to 26°50' N and 75°34' to 79°18'E. It consists of the section of the Chambal River between Jawahar Sagar Dam in upstream and the Sindh-Yamuna confluence in downstream (refer to **Figure 1**). Madhya Pradesh part of National Chambal Sanctuary also includes, approximately 60 km of the Parbati River starting from the point from where the Right Main Canal of the Chambal crosses it, till its confluence with the Chambal.

2.3 Altitude and Terrain type

The Chambal River falls about 732 m from its point of origin till it joins the Yamuna. Out of this, the drop of approximately 305 m is reached within the first 16 kms. It falls another 195 m in the next 338 km, where it enters the gorge past the Chaurasigarh Fort. In the next 97 km of its run from the Chaurasigarh Fort to Kota city, the bed falls by another 91 m. For the remainder of its 523km run, the river passes through the flat terrain of the Malwa Plateau followed by the Gangetic Plain where it reaches an average gradient of 0.21 m/km (Jain *et al*, 2007). The Chambal

averages 400m in width while its depth ranges from 1 to 26m (Hussain,1991). During monsoon, the rise of its water level ranges between 10 m and 15 m, and the river widens by about 100 m to 500 m from bank to bank. The mean monthly flow of Chambal River for the period 1996-2004 varies between 2074.28 m³/sec in August to as low as 58.53 m³/sec in April (Hussain *et al.* 2011).

2.4 Geology, rock and soil

The substrate ranges from mud and silt to sand and rock. The predominant soil type in the upper reaches is black soil which is distributed throughout the part of Madhya Pradesh; mixed red and black soil occurs in Mandsaur and Chittaurgarh districts; laterite soil is found in pockets particularly in Romper Plateau. Alluvial soils dominate the entire basin particularly the lower basin, which is often 60 meters thick (Sharma, 1980; Hussain & Badola, 2001). Badland topography is a characteristic feature of the Chambal valley, whereas kankar has extensively developed in the older alluvium.

The Chambal River valley consists of massive sandstone, slate and limestone deposits, of perhaps pre-Cambrian age, resting on the surface of older rocks. According to Crawford (1969), the major landforms in the Chambal valley consist of small hills and plateaus. Gullies, ravines and an undulating floodplain are characteristic of the Chambal River basin (Gopal & Srivastava, 2008). The Hadauti Plateau in Rajasthan is situated in the upper catchment of the Chambal, southeast of the Mewar Plains and to east is the Malwa Plateau. Physiographically, it can be divided into Vindhyan scarpland and Deccan lava (Malwa) plateau (Sinha-Roy *et al.* 1998). The Chambal is a rain-fed catchment with black soil dominating in upper reaches and alluvial plain sloping gently towards north in the lower reaches of the river.

2.5 Climate, temperature and rainfall

The climate of the basin is influenced partly by its proximity to the Tropic of Cancer, the Vindhyas and the Thar Desert. The area is semi-arid and the temperature in the region varies from 2 to 48°C during winter and summer respectively. The southwest monsoon is the major source of rainfall in the area. The mean annual rainfall in the Chambal basin measured 797 mm,

of which about 93% falls during the four months between June and September (Hussain, 1993; Adapted from Hussain & Badola, 2001).

2.5.1 Hydrology of National Chambal Sanctuary

According to Hussain *et al.* (2011), the flow regime of Chambal River is declining at an alarming rate of approximately 3.5% per annum. Analysis of the monthly flow data from 1996-2004 from the Central Water Commission for the three stations (Pali, Dholpur and Udi) on the Chambal River indicates flow variation between 2074.28 m³/sec in August to as low as 58.53 m³/sec in April, which indicates amounts to less than 50% of the optimal Gharial habitat. Small-scale water extraction projects such as the Pinahat lift irrigation which was constructed without the grant of environmental clearance, draws water at the rate of 8.5 m³/sec. The further proposed water extraction projects in Chambal and the proposed Parbati-Kalisindh-Chambal link project envisages the diversion of water from Parbati and Kalisindh sub-basins to Gandhi Sagar Dam / Rana Pratap Sagar Dam (National Water Development Agency, Government of India) which is likely to further reduce the flow affecting the ecological process of Chambal River.

Table2: List of existing and proposed water extraction projects in the National Chambal Sanctuary (Figure3)

NameofProject	State	Status	Water Budget
Gandhi Sagar	Madhya Pradesh	Operating	6,920Mm ³
Rana Pratap Sagar	Rajasthan	Operating	1,566Mm ³
Jawahar Sagar	Rajasthan	Operating	343TCM
Kota Barrage	Rajasthan	Operating	99Mm ³
Dholpur Lift Irrigation-I	Rajasthan	Operating	5.8 m ³ /sec
Pinahat Lift Irrigation	Uttar Pradesh	Operating	8.5 m ³ /sec
Dholpur Lift Irrigation-II	Rajasthan	Permission granted	6.54m ³ /sec
Sheopur City Drinking Water Project	Madhya Pradesh	Proposed (Inreview)	22.70MLD
Morena City Drinking Water Project	Madhya Pradesh	Permission granted	140MLD




Figure3:Map showing existing and proposed water extraction projects in the National Chambal Sanctuary

2.5.2 Minimum water flow and depth requirement for survival of Gharial and Gangetic dolphin in the Chambal River

During the early 1970s, four major hydroelectric projects over Chambal River were undertaken namely Gandhi Sagar, Rana Pratap Sagar, Jawahar Sagar and Kota Barrage. This has reduced the flow of the Chambal River below the Kota Barrage to zero during the lean seasons, leading to a reduction in the Gharial habitat between Keshoraipatan and the Chambal-Parbati confluence, and a reduction in the dolphin habitat between the Chambal-Parbati confluence and Rahu Ka Gaon. The details of existing and proposed water harvesting project have been given in the previous sections. Maintaining environmental flows is a key step in achieving 'Good Status' of a river or stream. 'Good Status' is a combination of Good Chemical Status (GCS) and Good Ecological Status (GES). GES is defined qualitatively and includes populations and communities of large vertebrates, fish, macro-invertebrates, macrophytes, phytobenthos and phytoplankton. It also includes supporting elements that will affect the biological elements, such as channel form, water depth and river flow (Dyson *et al.* 2003).

Environmental water requirements also referred to as 'Environmental Flows' are a compromise between water resource development and the maintenance of a river at ecologically acceptable or agreed condition. Based on this principle, the minimum environmental flow of Chambal River taking Gharial and Gangetic dolphin as umbrella species was assessed, using a combination of flow analysis and habitat modelling. A study conducted by the Wildlife Institute of India (2011) attempted to answer the following key questions pertaining to the environmental flow of the Chambal River:


- a. What is the mean monthly flow of Chambal River and its trend?
- b. Is there any relationship between flow and depth?
- c. In the present flow regime, what percentage of Chambal River is suitable for adult Gharial and Gangetic dolphin?
- d. What will be the cumulative impact of proposed water harvesting projects on the habitat quality?

The Central Water Commission's 1996-2004 monthly flow data from Pali, Dholpur and Udi was used. During the study water depth at 440 locations between Dholpur (Rajasthan) to Panchnada (UP) were measured in February, April and June 2010. The actual water flow was also measured during the same period at 29 locations to derive the relationship between flow and depth. Based on these data the depth of the river from Dholpur to Panchnada was also assessed with a view to appraise the suitability of the river stretch for the Gharial and the dolphin.

2.5.3 Trends in river flow

During 1996-2004 the mean monthly flow of Chambal River varied between $58.53 \text{ m}^3/\text{sec}$ in the month of April to $2074.28 \text{ m}^3/\text{sec}$ in August. As little as $16.38 \pm 1.99 \text{ m}^3/\text{sec}$ flow was recorded during the months of June-July 2009 (Hussain *et al.* 2011). Often the flow in lean season goes down to $6.13 \text{ m}^3/\text{sec}$ per annum at Udi (Central Water Commission). In the last decade the river flow showed a decreasing trend of 6.3% in Pali, 2.3% at Dholpur and 1.5% at Udi. Chart 4 shows the river depth profile of Chambal River between Rajghat and Panchnada as derived during February, April and June 2010. A statistically robust relationship was observed between the river flow and river depth ($R^2 = 0.99$, $p < 0.001$) *i.e.* as the flow increases the depth also increases correspondingly.

Chart1: Chambal River flow at three recording stations (Source Hussain *et al.* 2011)






Chart 2: Chambal River depth between Rajghat and Panchhnada (February, April and June 2010 areas suitable for Gharials and dolphins) (Source Hussain *et al.*2011)




Chart3: Relationship between river flow and depth (Source Hussain *et al.* 2011)




Chart4: Relationship between mean flow and percentage stretch optimal for Gharial in the Chambal (Source Hussain *et al.* 2011)





Chart 5: Relationship between mean flow and percentage stretch optimal for Gangetic dolphin in Chambal River (Source Hussain *et al.* 2011)



Analysis of monthly data on mean flow suggests that there is reduction in flow of almost 50% or less from February to June so far as the Gharial is concerned. For the dolphin the reduction of 50% or less was noticed from November to June, i.e. for eight months in a year. The cumulative requirement in the post-project scenario has been worked out and it is found that the pre-project reduction in flow by 50% or less is further reduced significantly in the months of November to March for both the species. The period of reduced availability of flow also corresponded to the breeding season of the Gharial. **As the suitable habitat at present is already compromised by 50% or less during lean months, further drawl of water will negatively impact the habitat suitability for the Gharial and dolphin significantly.** The declining trend of flow of 3.5% per annum recorded over the last 20 years needs to be factored in for the future water management programme of the Chambal River.

Extraction of water through the proposed Dholpur lift will reduce the optimal habitat of the Gharial to **almost 20.5%** and of the dolphin to almost 0% in the months of March and April (**Table 1**). At the present flow regime during the lean seasons the major portion of the dolphin habitat is fragmented. The report also suggests a minimum ecological flow of 151-164.34m³/sec for Gharials, and 266.42-289.67m³/sec for the Gangetic dolphins, during the lean season. Water extraction below this level will impact the sustained reproduction and there by conservation of the Gharial and the Gangetic dolphin in the long run. To maintain the habitat suitability of Gharial and dolphin at ecologically acceptable >90% level, around 151-266m³/sec of flow will be required. This could be achieved if water from the Kota Barrage and other subsidiary dams in the Chambal basin is released.

The average quantity of water used for irrigation by Rajasthan and Madhya Pradesh through the creation of Gandhi Sagar Dam and water extraction via Kota Barrage has decreased by 22.6% and 41.4% respectively in last 17-18 years, whereas the use of water for non-irrigation (industrial and drinking water purpose) has increased three-fold (Gupta and Attari, 2007) resulting in a shortage of water downstream. By the year 2002-03 the net water use for non-irrigation purpose was almost 41% (Gupta and Attari 2007). **In view of the foregoing discussion, it is not feasible to have new irrigation projects in the Chambal, as any further extraction of water would adversely impact the conservation of the two major threatened vertebrate species in the Chambal River the Critically Endangered Gharial, and the Gangetic dolphin which has also been designated as national aquatic animal.**

2.6 General ecological features including flora and fauna

A total of 148 fishes (33 families), 56 reptiles (19 families), 308 birds (64 families), 60 mammals (27 families), 37 butterflies (5 families) are reported, including six Critically Endangered, 12 Endangered and 18 Vulnerable species, as categorized by the IUCN Red List of Threatened Species (Nair and Krishna 2013; WII 2017).

2.6.1 Vegetation

As mentioned earlier, this tri-state area in north-western India lies in a semi-arid zone (Hussain, 2009). The vegetation consists of Ravine, Thorn forest, a sub-type of the Northern Tropical Forests (Sub-group 6B/C2 as per the revised classification of (Champion & Seth, 1968). This sub-type typically occurs in less arid areas with a rainfall of 600-700 mm. Limited examples of Saline/Alkaline Babul Savannah (5/E8b), a type of Northern Tropical Dry Deciduous Forest also occur (Sale, 1982). Evergreen riparian vegetation is completely absent, with only sparse ground-cover along the severely eroded river banks and adjacent ravine lands (Hussain, 2009).

The semi-arid tract in Madhya Pradesh, represented by the Chambal catchment, extends up to the Narmada and Betwa rivers. There are over a 1000 specimen of flowering plants in the area including: Axlewood (*Anogeissus latifolia*), Kardhai (*A. pendula*), Teak (*Tectona grandis*), Indian Ash Tree (*Lannea coromandelica*), Coromandel Ebony (*Diospyros melanoxylon*), Gum

Karaya (*Sterculia urens*), Kaim (*Mitragyna parviflora*), Flame of the Forest (*Butea monosperma*), Indian Gooseberry/Amla (*Emblica officinalis*), Indian Frankincense (*Boswellia serrata*), *Bridelia squamosa* and Anjan (*Hardwickia binata*). The species composition at the shrub and ground layer is similar to that of the semi-arid regions of Gujarat. A few climbers of this area include Species of *Rhynchosia*, *Atylosia*, *Cocculus*, *Cissampelos*, *Ipomoea*, *Pergularia* (*Pergulariadaemia*), kudzu (*Puerariatuberosa* and Guduchi (*Tinosporacordifolia*) (Verma *etal.*,1993).

Thorny bushes or small trees commonly found in this area include Kerda (*Capparis decida*), *Capparis sepiaria*, Egyptian balsam (*Balanites aegyptiaca*), Gum Acacia (*Acacia senegal*), Babul/Kikar (*A. nilotica*), reonja (*A. leucophloea*), Vilayati babul (*Prosopis juliflora*), Kankera (*Maytenus emarginata*), *Tamarix sp.*, Meswak (*Salvadora persica*), Vann (*S. oleoides*), Trefoil Rattle pod (*Crotalaria medicaginea*), Saniya (*C. burhia*), Arni (*Clerodendrum phlomidis*), apple of Sodom (*Calotropis procera*), Common cocklebur (*Xanthium indicum*) and Khimp (*Leptadenia pyrotechnica*) associated with climbers such as *Maeruaoblongifolia*, *Khadula*(*Ceropegia bulbosa*), herbs e.g., Mexican poppy (*Argemone mexicana*), *Faridbuti* (*Farsetia hamiltonii*), Wild Indigo (*Tephrosiapurpurea*), Asian spider flower (*Cleomeviscosa*), Tackweed (*Tribulusterrestris*), Lotus sweet juice (*Glinus lotoides*), *Sericostoma pauciflorum*, *Rivea sp.*, Morning glory (*Ipomoea sp.*), Large Caltrops (*Pedaliium murex*), Sesame (*Sesamum mulayanum*), *Lepidagathissp*, Red Spiderling (*Boerhavia diffusa*), *Chrozophora sp.*, and grasses like *Cyprus sp.*, *Fimbristylis sp.*, *Brachiariasp.*, *Cenchrussp.*, *Dichanthium sp.* (Rawat, 2008).

Aquatic Vegetation:

Richness of Aquatic Vegetation decides the primary production levels of a wetland. Shallow patches of the river with rocky substratum provide good base for sedentary aquatic vegetation. Some commonly found aquatic vegetation are *Limnophyton obtusifolium*, *Sagittaria sagittifolia*, *Achyrathus aspera*, *Gomphrena celosioides*, *Crinum defixum*, *Aponogeton natans*, *Hydrilla verticillata*, *Nechamandra alternifolia*, *Vallisneria spiralis*, *Ammannia baccifera*, etc. (Chorghheetat.2012)

2.6.2 Vertebrate Fauna

The National Chambal Sanctuary contains the largest contiguous and most viable breeding populations of the critically endangered Gharial (*Gavialis gangeticus*) and the red-crowned roofed turtle (*Batagur kachuga*). It is also among the most important repositories of the Gangetic dolphin (*Platanista gangetica gangetica*), narrow-headed giant soft-shelled turtle (*Chitra indica*), three-striped roofed turtle (*Batagur dhongoka*), Indian skimmer (*Rynchops albicollis*), black-bellied tern (*Sterna acuticauda*), sarus crane (*Grus antigone*), and the freshwater whipray (*Himantura chaophraya*). It is an Important Bird Area (Birdlife International) – (Site Code IN-UP-11 and IN-RJ-11), particularly for the Oriental white-backed vulture (*Gyps bengalensis*), long-billed vulture (*Gyps indicus*), Pallas's fish-eagle (*Haliaeetus leucoryphus*) and greater spotted eagle (*Aquila clanga*) among others (Islam & Rahmani, 2004). The National Chambal Sanctuary is among the best over-wintering sites for migratory birds.

2.8.2.1 Avifauna

A total of 308 bird species comprising 64 families have been recorded from the National Chambal Sanctuary. Within this, 4 species are categorized as Critically Endangered, viz., the Oriental white-backed vulture (*Gyps bengalensis*), long-billed vulture (*Gyps indicus*), Slender – billed vulture (*Gyps tenuirostris*), Red – headed vulture (*Sacrogyps calvus*); 1 species is listed as Endangered, viz., Egyptian vulture (*Neophron percnopterus*)(**Appendix-IIIa**).

2.8.2.2 Ichthyofauna

A total of 148 fish species comprising 33 families have been recorded from the Chambal. Within this, 4 species belong to the Endangered category, viz., Deccan Mahseer (*Tor khudree*), Golden Mahseer (*Tor putitora*), the freshwater whip ray (*Himantura chaophraya*) and *Puntius aurilius*.

A preliminary survey conducted by the Wildlife Institute of India in November 2017 established the presence of the Tilapia (*Oreochromis niloticus*), an exotic fish species in the National Chambal Sanctuary. The survey also recorded a previously unreported species

(*Setipinna phasa*) from the National Chambal Sanctuary.

2.8.2.3 Mammals & Reptiles

A total of 56 reptile species comprising 19 families and 60 mammal species comprising 27 families have been recorded from the National Chambal Sanctuary. The National Chambal Sanctuary holds the largest viable, breeding populations of the Gharial (*Gavialis gangeticus*) and the Red crowned roof turtle (*Batagur kachuga*), both classified under Critically Endangered by the IUCN. The narrow-headed giant soft-shelled turtle (*Chitra indica*), three-striped roofed turtle (*Batagur dhongoka*), classified under Endangered by the IUCN, also have strongholds in the National Chambal Sanctuary.

Mammals listed under the Endangered category are Fishing cat (*Prionailurus viverrinus*), Tiger (*Pantheratigris*), Dhole (*Cuon alpinus*) and Gangetic dolphin (*Platinista gangetica*).

2.6.3 Invertebrate Fauna

2.6.3.1 Butterflies

Butterflies are one of the most studied groups of invertebrates. Studies have pronounced Lepidopterans as the flagship taxon for invertebrate conservation. They enable important ecological services such as pollination and are hence useful as indicator species. Studies of Lepidopteran fauna of the National Chambal Sanctuary will help in assessing the health of the ecosystem and will further help in holistic management and conservation of the sanctuary.

A rapid survey carried out by the Wildlife Institute of India in November 2017 documented 37 species of butterflies in the National Chambal Sanctuary.

2.7 Species and communities of conservation importance

The Gharial (*Gavialis gangeticus*) and the Gangetic Dolphin (*Platinista gangetica*) are the two flagship species of the National Chambal Sanctuary with national and international conservation importance. The National Chambal Sanctuary is the last stronghold of the Gharial in the wild. The National Chambal Sanctuary has the largest breeding, viable population of the Gharial in the wild, contributing to almost 90% of total nests in the wild. The National Chambal Sanctuary is also a major breeding and nesting ground for riverine sand nesting birds such as the Indian Skimmer (*Rynchops albicollis*) and the Black-bellied tern (*Sterna acuticauda*).

Once a widespread species within the National Chambal Sanctuary, the Smooth-coated Otter (*Lutrogale perspicillata*), there hasn't been enough evidence to validate its presence in the lower Chambal. The ravines of the National Chambal Sanctuary are home to lesser studied mammal species such as the Caracal (*Caracal caracal*), Indian Pangolin (*Manis crassicaudata*), Oriental honey badger (*Mellivora capensis*) etc. The National Chambal Sanctuary also forms a vital corridor and link for the movement and dispersal of tigers from the source population of the Ranthambore Tiger Reserve to the Protected Areas of Kuno-Palpur, Madhav National Park and Darrah-Mukundra.

Strategies

Strategies for achieving the objectives are given below

3.1 Long term strategies

- 1) Reduce direct and indirect threats to the river in biodiversity and ecosystem of the National Chambal Sanctuary through active protection and management

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutions
1.1 Systematically assess and monitor the threats to species and habitats in the National Chambal Sanctuary	a) Collate existing information on threats (internal as well as external) to the National Chambal Sanctuary, including proposed developmental activities.	✓		✓
	b) Update base line data, and develop monitoring programmes to gather information on the nature, degree and extent of threats.	✓		✓
	c) Assess impacts of threats on population and abundance.	✓		✓
	d) Immediate implementation of court order on illegal sand mining, and No vehicle zone (Appendix IV a & IV b)	✓		

1.2 Secure the National Chambal Sanctuary and control all illegal and detrimental activities within the boundaries of the Protected Area	a) Augment staff strength, capacity and protection infrastructure. Protection staff (forest guards / chowkidars) to be recruited on a permanent basis or contracted annually, for an entire year.	✓		
	b) Establish and strengthen intelligence gathering about illegal activities.	✓		
	c) Improve protection by regular and effective patrolling.	✓		
	d) Complete the mandatory process of settlement of rights, delineation of boundaries and final notification	✓		✓
	e) (Re)assessment of Environment Impact Assessments (EIA) to ensure strict adherence to existing legislation and due process	✓		✓
	f) Evaluate the effectiveness of nest and beach management programmes	✓	✓	✓
	g) Minimize the mortality of eggs and hatchlings, disturbance to nesting females caused by feral and domestic animals by focusing on the protection of entire nesting beaches rather than individual nests.	✓		✓
	a) Guidelines for general preparedness and response to facilitate a proactive, rather than reactive approach.	✓	✓	✓
	b) Deori Gharial Rearing Centre /Barhi Turtle Rearing centers for crisis management			
	b) Establish contingency plans, with specific roles and duties for the various participants	✓	✓	✓

- 2) Establish and implement the conservation and management plan through state, national and international coordination and cooperation

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutes
2.1 Assist and collaborate with states and relevant institutions to share information on threats, to cooperate in enforcement activities, and to develop national and regional action plans for the conservation and management of the National Chambal Sanctuary	a) Strengthening and coordinating the administrative, institutional and infrastructural components of the National Chambal Sanctuary between Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh	✓		
	b) Ensure the monitoring and review of management practices, and follow a system of 'adaptive management' that allows for integration of new knowledge and information	✓		✓
2.2 Enhance mechanisms for cooperation and promote	a) Identify and strengthen existing mechanisms for cooperation at the regional level	✓		

information exchange	b) Develop a web-based information resource to facilitate networking and exchange of information	✓		✓
	c) Create a directory of experts and resources people/organizations concerned with aquatic biodiversity and conservation.	✓		✓

3) Declaring the National Chambal Sanctuary as a World Heritage/Ramsar Site

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutes
3.1 Establish international importance of the National Chambal Sanctuary	a) Prepare proposals to declare the National Chambal Sanctuary as a World Heritage/Ramsar Site	✓	✓	✓
	b) Ensure compliance of international treaties like the <i>Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn Convention)</i> , which lists both flagship species of the National Chambal Sanctuary — the Gharial (<i>Gavialis gangeticus</i>) and Ganges river dolphins (<i>Platanista gangetica gangetica</i>).	✓	✓	✓

3.2 Short term strategies

4) Protect, conserve and restore species and their habitats of conservation significance.

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutions
4.1 Establish necessary measures to protect and conserve critical habitats of Rare,	a) Identify critical habitats of RET species, and develop site specific conservation measures for these habitats.	✓		✓
	b) Strengthen the application of existing conservation laws and policies to protect the National Chambal Sanctuary.	✓	✓	✓
	c) Identify a network of protected areas and other suitable habitats that have the potential to maintain functional connectivity and natural process overtime	✓		✓
	b) Examine regional geography, vegetation, species distribution and land-use patterns to determine linkages between these areas.	✓		✓
	e) Compilation and analysis of multi-decadal river basin flow data and changes in flow needs in order to predict further changes in the flow regime due to new projects	✓	✓	✓
	f) Permanent monitoring of water quality (including's spended sediment, nitrates, BOD, pH, TDS, and conductivity) and stream flow discharge atleast 3-4 sites along the entire Chambal stretch.	✓		✓

Suggested locations are Keshoraipatan, Pali Ghat, Dholpur, Pinahat and Barhi (Chambal-Yamuna confluence).			
g) Integration of policies, decisions and costs across sectors such as conservation, agriculture, industry and urban development.		✓	
h) Establish ecologically relevant flow regimes, with provisions for a variety of flow types with different functions.		✓	✓
i) Urge the state governments to accord higher priority to 'ecological needs' in the respective state water policies.		✓	✓
j) Recommend the constitution of a Chambal River Basin Authority	✓	✓	✓
k) Increased focus on tributaries for holistic Chambal River basin Management	✓	✓	✓

5) Improve understanding of the ecology and populations of key species' ecology through research, monitoring, capacity building and information exchange.

Strategy	Action	M.P	MoEF	Other Institutions
5.1 Collaborative monitoring and	a) Collate existing information on the biodiversity and ecology of the National Chambal Sanctuary	✓		✓

research targeted at conservation and management of the National Chambal Sanctuary ecosystem.	b) Conduct base line studies or gather secondary information on the biodiversity and ecology of the National Chambal Sanctuary	✓		✓
	c) Review periodically and evaluate research and monitoring activities	✓		✓
	d) Promote and undertake research activities to ensure that sound science informs decision-making and management practices (see 'Science and Research' section for details)	✓	✓	✓
	e) Identify needs for capacity-building in terms of human resources, knowledge and facilities	✓		✓
	f) Regular training and access to resources needed for effective conservation and management of the National Chambal Sanctuary ecosystem. All National Chambal Sanctuary staff shall be trained specifically on the various aspects of aquatic ecosystems and biodiversity	✓		✓
	g) Exposure to varied conservation approaches and interaction with other conservation professionals	✓		✓
	h) Standardise monitoring protocols, and methods and levels of data collection	✓		✓
	i) Determine the most appropriate methods for information dissemination	✓		✓
	j) Exchange information and expertise among states, scientific institutions and NGOs, in order to develop and implement best practice approaches to conservation and management of the National Chambal Sanctuary ecosystem	✓		✓

6) **Enhance public education and awareness about the protected area, and its biodiversity and ecosystem values.**

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutes
6.1 Establish public education, awareness and information programmes	a) Setting up well-planned and thematic Biodiversity Resource Interpretation Centre and Kiosks at various locations along the Sanctuary	✓		
	b) Collect, develop and disseminate education materials	✓		✓
	c) Develop and conduct focused education and awareness programmes for target groups (e.g. policy makers, teachers, schools, river side communities, media)	✓		✓
	d) Organize special events related to aquatic biodiversity and ecosystems (e.g. World Wetland Day, Year of the Turtle, symposia)	✓		✓

7) **Elicit public support for the National Chambal Sanctuary through public participation and community engagement.**

Strategy	Action	M.P.	MoEF	Other Institutes
7.1 Integration of the protected status and health of the National Chambal Sanctuary into the social	a) Conduct socio-economic studies of fringe villages along the National Chambal Sanctuary.	✓		✓
	b) Assess resource and livelihood dependency of local communities.	✓		✓
	c) Identify alternative livelihood opportunities for local communities to	✓		✓

reduce their economic dependence on the Protected Area.			
d) Identify low impact appropriate technology for reducing dependency by promoting use of substitutes (for eg.– biogas) and improving biomass use efficiency (for eg.–promoting use of pressure cookers, fuel efficient stoves, etc.)	✓		✓
e) Ensure that tourism and other income-generating activities are ecologically sound, and socially and culturally compatible sensitive the region; they and that it is compliant to all applicable regional, national and international regulations	✓		✓
f) Encourage the participation of civil society (e.g. students, volunteers, local communities), NGOs, other Government institutions and the private sector, in research and conservation efforts	✓	✓	✓
g) Implement, where appropriate, incentive schemes to encourage public participation (e.g. public acknowledgment, certificates)	✓		✓
h) Creating alliances and partnerships with relevant agencies to implement identified programmes	✓	✓	✓
i) To identify sources of public and private funding to support and supplement identified programmes (E.g. Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA), Corporate social Responsibility (CSR), Vikas Nidhi,		✓	

Tiger Foundation Society, etc.)			
j) Campaign strategy and public-relations material	✓		✓
k) Prioritization of proposed actions, and develop channels to access specific funds for target activities	✓		✓

To strengthen and protect the Sanctuary, a district level task force headed by the District Collector and Divisional Forest Officer, Superintendent of Police as member secretary has been constituted for controlling the forest/wildlife offences. This task force holds monthly meeting to plan out activities such as patrolling and raids.

8) Completion of the process of settlement of rights and getting the final notification of the National Chambal Sanctuary.

The process of settlement of rights is yet to be completed, as per the letter no. 17/5290, dated 8/8/2017 and addressed to the collectors of Morena, Sheopur and Bhind.

The process may be completed based on the guidelines given below, as per the previous management plan.

1. Conduct mass public awareness programmes about biodiversity values of the National Chambal Sanctuary and Rights Settlement process so that the negative forces don't come in tone gate the process as happened earlier.
2. Conducting of training and workshop for revenue authorities as well as PA managers who are directly responsible for settlement of rights is a must. This is necessary to avoid confusion over the process of settlement of rights. Most people have an apprehension that it is at par with removing the people from the PA.
3. Immediately take up the matter of settlements of rights on war footing so that clash of interest of biodiversity conservation and wise resource utilisation of the PA as envisaged by forest policy 1988, Wildlife Action Plan, 2002 are realised.
4. It is not necessary that relocations should succeed the right settlement. Hence, allow the people residing within the PA to stay. It is essential during right settlement people's rights are identified, qualified and quantified. Without these specificities rights

settlement process will not be achieving its goal as enunciated in Wildlife (Protection) Act, 1972.

5. Once the settlement process is complete clearances before final notification from Indian Wildlife Advisory Board and mandatory clearances from the legislative assembly under the Section-26(A)(3) of Wildlife (Protection) Act, 1972 provided it requires boundary alterations of the PA.
6. After completing all the formalities get the sanctuary finally notified under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 within a matter of one year.

Protection Plan

4. Assessment of threats

4.1 Sand mining

Sand mining is the biggest threat to the sanctuary. It is not only degrading the critical habitat for sand nesting species, but also affecting the morphology of the river and its water retaining properties. Most of the sand mining is carried out by organized sand mafias that which confront in the form of severe aggression against the forest department. Tractor-trolleys are mainly involved in excavation of sand from the river bed and dumping it in their fields around the villages, from where it get exported by trucks. The sand mafias use vehicles which don't have their registration number displayed. This prevents the forest department from capturing the true culprit.

Lack of support from other law enforcing agencies further aggravates the issue. Sanctioned strength and resources are meagre with the management of NCS to check the situation. Due to lack of rain and flood waters, the sand banks remain exposed throughout the year, which enables the mining mafia to function all year round. Further, low flows in the rest of the year, enables mining tractors from across the states to cross the river and access mining sites.

4.2 Unconsolidated Sanctuary boundary

Even though the government of Madhya Pradesh has gazetted the National Chambal Sanctuary within its territory, the final notification after settlements of rights, if any, of local inhabitants has not been completed.

It is also necessary to complete the process of rationalization of boundaries and demarcation based on a combination of the gazette notifications, ground-truthing exercise and GI Analysis.

4.3 Illegal Fishing and poaching

Illegal fishing and turtle poaching is rampant using a variety of methods (gill net, baited hook-line,

dynamite) and these also claim other species like Gharials, mugger, river dolphins, otters and several birds (Dubey & Mehra, 1959; Vyas, 2004; Hussain, 1999; Nair, 2010; Katdare et al., 2011). Gill nets are particularly responsible for entangling and drowning juvenile Gharials, thereby impacting survival and recruitment of smaller size-classes. Fishing also competes directly with the feeding requirements of most predators in an aquatic system.

4.4 Livestock grazing

Since animal husbandry is wide spread in the surrounding region, the National Chambal Sanctuary is constantly exposed to problems arising from livestock grazing. Apart from being a source of disturbance to the wildlife, livestock are known to trample nesting sites of several ground-nesting species such as the Gharials, turtles, skimmers, and others. Besides, livestock also carry the risk of spreading diseases to wildlife. That apart, herders intentionally light fires in the precinct or around the sanctuary so that their livestock can graze in fresh pastures. Another major problem is the release of feral cattle into the National Chambal Sanctuary from nearby towns, cities and PAs. It is also known that wild herbivores will avoid areas grazed by livestock due to resource competition, causing wild herbivore population declines in the long-run, particularly in grazing ruminants; and that reduction in livestock grazing will help in the recovery of wild herbivores (Madhusudan, 2004).

The ecological costs of livestock grazing can be summarized as follows (Fleischner, 1994):

- Alteration of species composition of plant communities including decreases in density and bio mass of individual species, reduction of species richness, and changing community organization.
- Disruption of ecosystem functioning including interference in nutrient cycling and ecological succession.

The alteration of the ecosystem structure would include the changing vegetation stratification, soil erosion and the decreasing availability of water to biotic communities.

Apart from the above mentioned direct threats, aspect rum of in direct factors also contributes to threats to the National Chambal Sanctuary.

- Illiteracy, poverty and limited livelihood options driving unsustainable resource use in National Chambal Sanctuary;
- Poor institutional capacity at the local and state levels for monitoring, enforcement and research;

- Poor coordination among agencies and institutions for Gharial habitat management;
- Low perceived priority of wildlife conservation compared to other human welfare need and failure to appreciate links between health of the river and human welfare.

5. Administrative Strength and Restructuring

The existing administrative structure of the National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh

	Sabalgarh Range	Deori Range	Ambah Range	Total
Superintendent Officer	1	1	1	3
Range Officer	1	1	1	3
Deputy Range Officer	1	2	1	4
Forester	3	2	1	6
Forest/Game Guard	13	18	16	47
Boatman	1	5*	2*	8
Total	20	29	22	71

*-personnel employed on daily wage basis

It is recommended that the National Chambal Sanctuary be elevated to a Wildlife Division, under the charge of an officer not below the rank of a Deputy Conservator of Forests, in order to facilitate proper administration and co-ordination among all concerned districts and with their counterparts in the neighbouring states. In the current structure, nearly 450km of river length (including Parbati River) is divided between 3 Range Officers.

Thus, it is also proposed that the existing 3 ranges be further divided to make 6 ranges, which will be under the charge of 6 Range Officers.

Along with 6 ranges, the creation of a research range is also recommended. Considering the long standing legacy of research on aquatic reptiles and other fauna of the Chambal River, the presence of a research range, under the charge of a Research Officer, will ensure the continuation of research work in the National Chambal Sanctuary. The range may be under the charge of a Range Officer preferably with a background in Life Sciences or allied subjects.




Figure: Proposed hierarchical administrative set-up for National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh

The formation of a flying squad is also recommended, comprising of 1 Deputy Ranger + 3 Foresters + 15 additional staff (excluding members of the existing SAF). This team, formed with the sole purpose of patrolling, will best actioned at the divisional headquarters, under the Divisional Forest Officer, Morena. There is also a requirement of 150 SAF personnel, which will be divided between the three superintendents. A unit on the lines of the STPF (State Tiger Protection Force) maybe for med with the above personnel.

A veterinary officer, preferably trained in wildlife health or aquatic reptiles is also required. It may be a full time position or a qualified veterinary officer, approved by a competent authority, may be assigned to visit the DGRC periodically for routine check-ups or in case of an emergency.

5.1 Administrative Restructuring

It has been suggested in the NTRIS-CASMACC generic plan that the DGRC be developed as a Wildlife Training Centre, Research Base and Biodiversity Interpretation Centre.

Further, it has also been suggested that all DCF and ACF-level officers posted in the National Chambal Sanctuary be provided with various and relevant wildlife management courses offered by the Wildlife Institute of India, Dehradun. Similarly, the Range Officers may also be provided with a three-month long certificate course. These staff, along with other front-line staff shall undergo periodic training and refresher modules on regular surveillance, anti-poaching and law-enforcement patrolling; detection of offences, and collection of evidences; the application of relevant laws, regulations and legal provisions; recognizing and documenting wildlife signs; basic field techniques including the use of binoculars, GPS, etc; field research techniques; weapon handling and maintenance; modern fire fighting; visitor management; and in disaster-related emergency response. This competence-based capacity-building may be provided at the Tala Wildlife Training Centre in Madhya Pradesh; and this may be supplemented through interactions with external resource persons and researchers.

The veterinary staff, shall be trained in wildlife health and management, and be made available for the entire sanctuary as required. In addition, the local veterinarian so the respective districts should also be provided basic training in wildlife health and management, so as to be able to assist and respond in a crisis situation.s

6. Strategy

Every year, a vast volume of riverbed materials is being extracted from the river to meet the increasing demand of construction materials. Sand mining is one of the significant factors affecting the riverine ecosystem, where biodiversity is already declining at an alarming rate. Mining on the banks of Chambal is becoming a significant threat to Gharials, Muggers, turtles and other Island nesting birds, such as the Endangered skimmers. It is crucial to stop sand mining from the sanctuary and an appropriate regulatory mechanism needs to be put in place. Efforts should be made to conserve islands and sand banks from mining, predators such as dogs and inundation due to release of water from dams. Nesting and breeding sites of endangered species needs to be mapped and regularly monitored. This information will be useful in deciding on developmental activities.

➤ Suitable measures for conservation of habitat and species under National Chambal Sanctuary are as follows:

1. Installation of tetra pods at such places in highly sensitive areas from where vehicles suitable for illegal mining can be accessed so that the access of vehicles can be blocked.
2. Under the National Chambal Sanctuary, such sites which are susceptible to illegal mining, construction of vehicle blocker trenches at those sites so that the movement of vehicles used in illegal mining can be blocked.
3. Use of portable high speed motor boat for patrolling so that problems like illegal fishing, encroachment can be solved and action taken within the sanctuary. 02 high speed motor boats to be used per game range level for appropriate action.
4. Monitoring of illegal mining and transportation through drones so that after knowing the routes used for illegal mining at night time, construction of block trenches, raids and patrolling etc. can be done to the said site.
5. By setting up check post barriers on the routes mostly used by the mafias, taking action against the excavators and vehicles as per the law rules.
6. To prevent illegal mining, establish separate flying squad at game range level.
7. Use of 15 seater vehicle for flying squad so that efficient coordination can be established in the patrolling team at the time of guerrilla action.
8. It is often found that registration number is not placed on the vehicles used in illegal mining in Chambal area due to which there is difficulty in identifying the vehicles at the time of action. To solve the above problem, action like challan should be taken on the vehicles without registration number at the District task force level and the purchase of fuel should be blocked by running a campaign against such vehicles without registration number.
9. A 24X7 helpline should be set up under the National Chambal Sanctuary at the district level so that more effective action can be taken with the help of public participation.
10. People living near National Chambal Sanctuary should be made aware for their participation in conservation and promotion by conducting public awareness campaign.
11. Nest Guardian Program, Nest Monitoring, Security Supply work for the protection of Indian Skimmer, Black Bellied Tern and other almost extinct species.
12. Construction of a watch tower at the ghat level for monitoring under the sanctuary so that illegal

mining, monitoring of animals, etc. can be done more effectively.

13. 207.05 hectare area of sanctuary has been denotified by Government, for this, Proper mechanism for leasing out this area should be in place. Contractors for legally sanctioned sand mines should be promoted to keep watch and discourage illegal sand mining.

5. Budgetary requirement

S. N o.	Budget Head	Detail	Allotment Year Wise (Rupees in lakh)					Total Financial Requirement (Rs in lakh)
			1	2	3	4	5	
1	Awareness	Production of publicity materials	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
2		Conducting regular awareness programe (for villagers, student and staff)	4.67	5.14	5.65	6.22	6.84	28.52
3		Making a film on Chambal.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
4		Posters and Hoardings	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
5	Infrastructure	Construction of barriers to prevent illegal transportation	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	32.00
6		Construction of forest barrier	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
7		Procurement of motor boat for patrolling	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
8		Procurement of patrolling vehicle (Mahindra Bolero Camper)	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
9		Construction of partrolling camps	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00
10		Construction of Range office	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	44.00
11		Construction of Staff Quarters	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	120.00

12		Signages and Demarcation of NCS boundary and Ecoc Sensitive Zone	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
13		Construction of orientation centers at Bhind	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
14		Interpretation center at DGRC	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
15	Legal	Legal support for defending court cases	3.54	3.90	4.29	4.72	5.19	21.64
16		Right Settlements	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
17	Maintenance	Website Maintenance	0.97	1.06	1.17	1.29	1.41	5.9
18		Maintenance of Documentation cum library cum museum	3.22	3.54	3.90	4.29	4.72	19.67
19		Daily maintenance and upkeep of rearing facilities and surroundings at DGRC/ordinary repair/sand filling etc.	17.72	19.49	21.44	23.58	25.94	108.17
20		Annual maintenance of motor boats, engines, manual boats and patrolling vehicles	11.27	12.40	13.64	15.01	16.51	68.83
21	Protection	Anti-poaching deployment camp for patrolling	88.58	97.44	107.18	117.90	129.69	540.79
22		Purchase of 2 Drones	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
23		Maintenance of Drones, yearly expenditures on drone operator and a vehicle	8.00	8.80	9.68	10.64	11.70	48.82

24		POL for motor boats/patrolling vehicles/Generators	19.32	21.25	23.38	25.72	28.29	117.96
25	Research and Monitoring	Physico- chemical quality analysis of Chambal River and DGRC rearing pools	7.25	7.97	8.77	9.65	10.61	44.25
26		Annual survey of aquatic fauna in NCS	5.31	5.85	6.43	7.07	7.78	32.44
27		Population estimation of migratory wetland birds	4.19	4.61	5.07	5.57	6.13	25.57
28		Population estimation of raptors in NCS	3.70	4.07	4.48	4.93	5.42	22.6
29		Population estimation of river nesting birds and nesting success	3.22	3.54	3.90	4.29	4.72	19.67
30		Seasonal care and health care facility for ex situ reared Gharial and turtles at DGRC and Barhi Turtle rearing centre	7.25	7.97	8.77	9.65	10.61	44.25
31		In situ conservation (monitoring, protection, data collection and management) of nesting species (Gharial, mugger, turtles and birds)	24.16	26.57	29.23	32.15	35.37	147.48
32		Ex-situ research initiatives	4.43	4.87	5.36	5.89	6.48	27.03
33		Survey for documentation of fish fauna in the Chambal River	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00


34	Study on population ecology of freshwater turtles (hard shell and soft shell) in the NCS, with special focus on assemblages and community structure.	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	20.00
35	Studies to determine the presence of Smooth - coated otter in the NCS	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	5.00
36	Study to understand the ecological importance of ravines, from the perspective of their long term conservation	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	10.00
37	Collection and transportation expenses for Gharial/Turtle eggs and release of reared animals under Grow and Release Program	1.13	1.24	1.36	1.50	1.65	6.88
38	Monitoring of Released Gharials	4.35	4.78	5.26	5.79	6.37	26.55
39	Flow estimation and determination of minimum necessary ecological flows	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00
40	Research and monitoring activities in NCS and ex-situ rearing centers	3.54	3.90	4.29	4.72	5.19	21.64
41	Annual Seminar	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00
42	Staff incentives	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
43	Total	629.32	350.89	339.25	316.58	343.62	1979.66

Annexure R-3

New Infra Being Constructed in NCS By Forest Department




Gharial Nesting Sites in NCS



Establishment of River Side Hatchery in NCS







Action Taken by District Administration

Annexure R-5

Sl No	Action Taken	Morena		Sheopur		Bhind*		Total		Act/ Rule
		As on 20-07-2023	As on 31-10-2023							
1	Cases of Illegal Mining	69	96	3	3	11	14	83	113	<i>Madhya Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules,2022</i>
2	Cases of Illegal Transportation	251	304	125	142	337	455	713	901	
3	Cases of Illegal Storage	63	65	21	25	28	37	119	127	
4	Vehicles Seized	250	301	114	133	436	581	800	1015	
5	Penalty Imposed (Rs. Lakhs)	26.42	32.13	17.55	22.12	10.27	1207.00	54.24	1261.25	
6	Penalty Recovered (Rs. Lakhs)	25.22	30.22	16.60	17.86	7.96	1130.00	49.78	1178.08	
7	Vehicles Confiscated	52	91	14	14	02	02	68	107	<i>Section 52 of The Indian Forest Act 1927</i>
8	FIRs Lodged	113	120	34	39	37	78	184	237	<i>Section 379 and 414 of IPC</i>

9	PORs Lodged	117	214	59	69	-	-	236	283	<i>The Wildlife Protection Act 1972 and The Indian Forest Act 1927</i>
10	Accused/Criminals	334	368	125	153	439	563	898	1084	<i>The Indian Penal Code, The Wildlife Protection Act 1972 and The Indian Forest Act 1927</i>
11	Action on Vehicles without number plate	6344	7914	-	09	228	251	6572	8174	<i>The Motor Vehicles Act, 1988</i>
12	Action on Overload Vehicles	2025	2592	-	-	129	150	2154	2742	
13.	Suspension of Arms License	04	04	-	-	-	-	04	04	<i>Section 52 of The Indian Forest Act 1927</i>
14.	Legal sand mines in the district	00	00	-	-	72	72	72	72	<i>MP Sand (Mining, Transportation, Storage & Trading) Rules, 2019</i>
15.	New licenses for sand storage	08	08	-	-	02	00	10	08	<i>As above & MP Mineral (Prevention of Illegal Mining & Storage) Rules, 2022</i>

Inter State Co-ordination

Annexure R-6 (Colly.)

SI No	Date of Meeting	Intra/Inter State	Chaired by	Participants
1.	17 th March 2023	Inter State	Co-Chaired by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) 2. DCP, Agra (UP) 3. DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) 4. Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts
2.	19 th March 2023	Inter State	Co-Chaired by District Collectors, Sheopur (MP), Kareli (Rajasthan) and Sawai Madhopur (Rajasthan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPs of Sheopur (MP), Kareli (Rajasthan) and Sawai Madhopur (Rajasthan) 2. DFOs of Sheopur (MP), Kareli (Rajasthan) and Sawai Madhopur (Rajasthan) 3. Revenue, Police, Forest and Mining Officers of the three district
3.	20 th March 2023	Inter State	Co-Chaired by Chief Secretaries of MP, Rajasthan and UP	<ol style="list-style-type: none"> 1. DGPs of MP, Rajasthan and UP 2. ACS/PS/Secretary of Home Departments MP, Rajasthan and UP 3. ACS/PS/Secretary of Mining Departments MP, Rajasthan and UP 4. ACS/PS/Secretary of Forest and Environment Departments MP, Rajasthan and UP 5. District Collectors, SPs and DFOs of Morena, Bhind, Sheopur and Gwalior (MP); Bharatpur and Dholpur (Rajasthan); Agra and Etawah (UP)

Sl No	Date of Meeting	Intra/Inter State	Chaired by	Participants
4.	31 st March 2023	Inter State	Co-Chaired by District Collectors, Bhind (MP), Etawah (UP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPs of Bhind & Etawah 2. DFOs of Bhind & Etawah 3. Upper Collectors of Bhind & Etawah 4. Mining Officers of Bhind & Etawah
5.	05th April 2023	Inter State	Additional Chief Secretary, Mining, Rajasthan	<ol style="list-style-type: none"> 1. District Collectors Dholpur (Rajasthan) and Morena (MP) 2. SPs of Districts Dholpur (Rajasthan) and Morena (MP) 3. District Mining Officers Dholpur (Rajasthan) and Morena (MP)
6.	10th April 2023	Inter State	Principal Secretary, Mining, Madhya Pradesh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisional Commissioner, Chambal Division MP 2. IG Police, Chambal Range 3. District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajsthan), Agra (UP) 4. SPs of Districts Morena (MP), Dholpur (Rajasthan), Agra (UP)
7.	19th May 2023	Inter-state	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) 2. DCP, Agra (UP) 3. DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) 4. Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts
8.	30th June 2023	Inter-State	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) 2. DCP, Agra (UP)

				<ul style="list-style-type: none"> 3. DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) 4. Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts
9.	11th July 2023	Inter- State	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	<ul style="list-style-type: none"> 1. SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) 2. DCP, Agra (UP) 3. DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) 4. Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts
10.	31st August 2023	Inter- State	Secretary, MoEF&CC	<ul style="list-style-type: none"> 1. ADGF (WL), MoEF&CC 2. ACS/PS, Forest and Environment, UP, MP and Rajasthan 3. Chief Wildlife Warden, UP, MP, Rajasthan 4. IG Chambal (MP) 5. DM, SP and DFO of Morena (MP), Gwalior (MP), Agra (UP), Sheopur (MP)
11.	25th Sep 2023	Inter- State	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	<ul style="list-style-type: none"> 1. SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) 2. DCP, Agra (UP) 3. DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) 4. Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts
12.	06th Oct 2023	Inter- State	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	<ul style="list-style-type: none"> 1. SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) 2. DCP, Agra (UP) 3. DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) 4. Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts

अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक
दिनांक 05.04.2023 समय सांय 04.00 बजे
स्थान: कलेक्ट्रेट सभागार, जिला धौलपुर राज०
जिला मुरैना (म०प्र०), जिला धौलपुर (राज०)

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभागार, जिला धौलपुर में दिनांक 05.04.2023 को सांय 04:00 बजे अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें

1. डॉ० श्री सुबोध अग्रवाल, अति० मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर (राज०)।
2. श्री शिखर अग्रवाल, अति० मुख्य सचिव, वन विभाग, जयपुर (राज०)।
3. श्री संदेश नायक, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर (राज०)।
4. श्री अनिल कुमार अग्रवाल(IAS), कलेक्टर, जिला धौलपुर (राज०)।
5. श्री मनोज कुमार(IPS), पुलिस अधीक्षक धौलपुर (राज०)।
6. श्री अशोक कुमार चौहान, अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना (म०प्र०)।
7. श्री राजेन्द्र सिंह, संयुक्त आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना (म०प्र०)।
8. श्री राजन नाडिया, संयुक्त कलेक्टर, जिला मुरैना (म०प्र०)।
9. श्री अतुल सिंह, सी.एस.पी., जिला मुरैना (म०प्र०)।
10. श्री एस०के० निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म०प्र०)।
11. श्री प्रतीक दुबे, अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग, मुरैना (म०प्र०)।
12. श्री भूरा गायकवाड, अधीक्षक, रा०च०अ० देवरी मुरैना (म०प्र०)।
13. श्री एम०पी० मीणा, अति० निदेशक(खान) कोटा जोन, खान एवं भू विज्ञान विभाग (राज०)।
14. श्री एस०के० शर्मा, SME खान विभाग, जयपुर (राज.)
15. श्री गजेन्द्र, डी.एस.ओ. धौलपुर राज०।
16. श्री सुरेश चंद्र शर्मा, माइनिंग इंजीनियर, बिजिलेंस, डिवीजन भरतपुर राज.।
17. श्री अशोक वर्मा, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर, जिला धौलपुर राज.
18. श्री यशवंत, एस.एम.ई., माइंस एण्ड ज्यॉलोजी राज०।
19. श्री विजय कुमार मीना, जिला परिवहन अधिकारी, जिला धौलपुर राज.।
20. श्री बृजमोहन सिंघल, अधीक्षक अभियंत्री, नगर परिषद, धौलपुर राज.
21. श्री सुरेश सांजला, सी.ओ. सिटी, कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, धौलपुर राज.।
22. श्री सुदर्शन सिंह तोमर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धौलपुर राज.।
23. श्री अनिल यादव, वन विभाग, सवाई माधौपुरा, जिला धौलपुर राज.।

बैठक में परिचय उपरांत निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- स्थाई चेक पोस्ट :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा पूर्व में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार,

I-जिला मुरैना की बॉर्डर अल्लावेली ए०बी० रोड पर चेक पोस्ट लगाये गये।

II-जिला धौलपुर सागरपाडा चोकी के पास ए.बी. रोड पर चेक पोस्ट लगाये गये।

III-जिला आगरा की बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाये गये।

इस चेक पोस्ट पर 25 का पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें से 10 लोगों के बल के पास हथियार हैं। इसके अच्छे परिणाम देखने में आ रहे हैं। ऐसी जानकारी दोनों जिलों के अधिकारियों द्वारा दी गई। यह चेक पोस्ट आगे भी कार्यरत रहेंगे। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।



- 2- **अपराधिक रिकार्ड वाले लोगो का डाटा/रिकार्ड :-**
दोनों जिले (धौलपुर, मुरैना) अपने-अपने जिलों का अपराधिक डाटा/रिकार्ड एक दूसरे के साथ साझा/शेयर कर रहे हैं, जिससे कि अवैध रेत कारोबार, अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की घर पकड़ में सहायता मिल रही है। यह कार्यवाही भी आगे भी जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 3- **शस्त्र लाइसेंस निरस्त करना:-**
अवैध खनिज रेत के कारोबार में शामिल व्यक्तियों के बंदूक लाइसेंस/शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही जिला मुरैना द्वारा करतु हुये 04 लाइसेंस निरस्त किये गये। ऐसी जानकारी जिला मुरैना के अधिकारियों द्वारा दी गई। यह कार्यवाही आगामी दिनों में दोनों जिले द्वारा की जावेगी। इसके अच्छे परिणाम आने की संभावना व्यक्त की गई। इससे अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों में भय/डर का माहौल बनेगा।
- 4- **पट्टों का निरस्त किया जाना:-**
चम्बल नदी व आसपास के क्षेत्रों में जिन निजी भूमि स्वामियों के जमीन पर अवैध रेत भंडारण, उत्खनन किया जाना पाया जावेगा, उनके पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी, ऐसी जानकारी दोनों जिलों के द्वारा दी गई।
- 5- **एफ.आई.आर.:-**
निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 6- **पी.ओ.आर. :-**
वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह दोनों जिलों (धौलपुर, मुरैना) में आगे भी रहेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 7- **वाहनो का राजसात :-**
अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकडे गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 8- **प्रतिमाह बैठक:-**
सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, जिला खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी होंगे, यह बैठक प्रतिमाह होगी। अगली बैठक जिला मुरैना में किया जाना प्रस्तावित है।
बैठक के स्थान भी अलग-अलग जिलों में प्रतिमाह बदलेगें।
- 9- **कैमरे से निगरानी:-**
स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी की जा रही है। जरूरत पडने पर दोनों जिले वीडियो, फोटो शेयर कर कार्यवाही में मदद ले रहे हैं।



- 10- ड्रोन से निगरानी:-
चम्बल नदी में अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये दोनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी रहेगें। चम्बल नदी की कार्यवाही में दोनो जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। यह जानकारी आपस में दोनो जिले शेयर कर रहे हैं।
- 11- आर.टी.ओ. नंबर :-
सभी वाहनों पर आर.टी.ओ. नंबर लिखा होना अनिवार्य है, जिन वाहनों पर आ.टी.ओ. नंबर नहीं है, उन पर दोनों जिलो ने अच्छी कार्यवाही की। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।
- 12- वाट्सअप ग्रुप :-
दोनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का वाट्सअप ग्रुप तैयार किया गया है, जिस पर जानकारी, डाटा शेयर समय-समय पर किया जा रहा है।
- 13- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान घोषित करने की कार्यवाही :-
मुरैना जिले के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइड किया गया है, जिस पर नियमानुसार रेत खदान घोषित एवं नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है। इन खदानों में नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्त होगी एवं लोगो को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा।
- 14- अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर कार्यवाही :-
बैठक में उपस्थित जिला कलेक्टर धौलपुर (राज0) द्वारा जिला मुरैना, पुलिस प्रशासन द्वारा राजघाट एवं बरवासिन घाट पर अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर रोक/अंकुश लगाये जाने पर की जा रही कार्यवाही तथा शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये जाने की कार्यवाही की सराहना की गई तथा ऐसे शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही आगामी दिनों में जिला धौलपुर में भी की जावेगी।
- 15- संयुक्त कार्यवाही :-
दोनों जिलों के अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, बार्डर के दोनो ओर संयुक्त कार्यवाही समय-समय पर की जायेगी।

अंत में कलेक्ट्रेट, सभागार धौलपुर में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में अच्छी कार्यवाही होगी।


जिला खनि अधिकारी
जिला मुरैना (M0प्र0)


अनुविभागीय अधिकारी (वन)
अनुभाग, मुरैना (M0प्र0)


पृ.क्रमांक / खनिज / टास्क. / 2022-23 / 406

मुरैना, दिनांक 06/04/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अपर कलेक्टर/अति0पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुरैना, अम्बाह, जौरा, सबलगढ की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. तहसीलदार समस्त जिला मुरैना।
13. खनि निरीक्षक, जिला मुरैना की ओर पालनार्थ।
14. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
15. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।


जिला खनि अधिकारी
जिला मुरैना (म0प्र0)


अनुविभागीय अधिकारी (वन)
अनुभाग, मुरैना (म0प्र0)

कार्यवाही विवरण

देवरी वन विभाग रेस्ट हाउस, मुरैना दिनांक 10.04.2023 को सांय 04:30 बजे अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री निकुंज श्रीवास्तव(IAS), प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
2. श्री दीपक सिंह(IAS), आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना (म0प्र0)।
3. श्री सुशांत सक्सेना(IPS), पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर।
4. श्री ए0के0 शुक्ला, सी.एफ., वाइल्ड लाइफ, मुख्यालय भोपाल (म0प्र0)।
5. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर मुरैना (म0प्र0)।
6. श्री अनिल कुमार अग्रवाल(IAS), कलेक्टर, जिला धौलपुर (राज0)।
7. श्री मनोज कुमार(IPS), पुलिस अधीक्षक धौलपुर (राज0)।
8. श्री रायसिंह नरवरिया, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)।
9. श्री अनिल यादव, वन विभाग, सवाई माधौपुरा, जिला धौलपुर (राज0)।
10. श्री मुकेश मंगल, एम.ई., माइंस एण्ड ज्यॉलोजी भरतपुर (राज0)।
11. श्री किशोर गुप्ता, वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, जिला धौलपुर (राज0)।
12. श्री अनूप कुमार, अपर कलेक्टर, जिला आगरा (उ0प्र0)।
13. श्री पीयूष कस्तुराय, ए.सी.पी., सैंया, जिला आगरा (उ0प्र0)।
14. श्री राघवेंद्र सक्सेना, ज्योलोजिस्ट/क्षेत्रीय कार्यालय खनिज विभाग, आगरा (उ0प्र0)।
15. श्री प्रतीक दुबे, अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग, मुरैना (म0प्र0)।
16. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
17. श्री भूरा गायकवाड, अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
18. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
19. श्री डी0डी0 शाक्यवार, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क मुरैना।
20. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना
21. श्री अभिषेक चक, प्र0खनि निरीक्षक एवं सहा. मानचित्रकार, मुरैना (म0प्र0)

बैठक में परिचय उपरांत निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- स्थाई चेक पोस्ट :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा पूर्व में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार,

i-जिला मुरैना की बॉर्डर अल्लावेली ए0बी0 रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

ii-जिला धौलपुर सागरपाडा चोकी के पास ए.बी. रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

iii-जिला आगरा की बॉर्डर पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

यह चेक पोस्ट आगे भी निरंतर संचालित रहेंगे। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2- इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट :-

आगरा बोर्डर की तर्ज पर अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों की जांच/धरपकड के लिये इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी दिनों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट धौलपुर बोर्डर एवं मुरैना बोर्डर पर भी लगाने का प्रस्ताव अपनी अपनी राज्य सरकारों को भेजा जायेगा, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

इसी क्रम में जिला मुरैना में 03 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट क्रमशः

1-अल्लावेली पुलिस चौकी

2-बामोर तिराहा बायपास

3-बंधा चौराहा बरवासिन घाट रोड पर लगाये जायेंगे।

3- लॉग टर्म, एवं शॉर्ट टर्म प्लान :-

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला कलेक्टर मुरैना द्वारा उपयोग किये गये लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान तथा उनके क्रियान्वयन की जानकारी ली। लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान पर की जा रही कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि डी.एम.एफ. राशि एवं अन्य मदों से राशि का उपयोग कर दोनों प्लानों पर कार्यवाही जारी रखें। चम्बल नदी एवं आसपास के क्षेत्र में निगरानी के लिये डी.एम.एफ. फंड से जिला मुरैना द्वारा ड्रोन कय करने की सहमति दी गई।

4- अपराधिक रिकार्ड वाले लोगो का डाटा/रिकार्ड :-

तीनों जिले (मुरैना धौलपुर, आगरा) अपने-अपने जिलों का अपराधिक डाटा/रिकार्ड एक दूसरे के साथ साझा/शेयर कर रहे हैं। यह कार्यवाही भी आगे भी जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5- शस्त्र लायसेंस निरस्त करना:-

जिला प्रशासन मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके द्वारा अवैध खनिज रेत के कारोबार में शामिल व्यक्तियों के बंदूक लाइसेंस/शस्त्र लाइसेंस 04 लाइसेंस निरस्त किये गये। इससे अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों में भय/डर का माहौल बन रहा है।

6- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह तीनों जिले(मुरैना धौलपुर, आगरा) में आगे भी रहेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

8- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकडे गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

9- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी की जा रही है। जरूरत पडने पर तीनों जिले(मुरैना धौलपुर, आगरा) वीडियो, फोटो शेयर कर कार्यवाही में मदद ले रहे हैं।

10- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी रहेंगे। चम्बल नदी की कार्यवाही में तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जायेगी एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार आपस में तीनों जिले साझा करेंगे।

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा डी.एम.एफ. फंड से ड्रोन खरीदने की मंजूरी एवं एनजीटी प्रकरण में लगे S.A.F. के लोगों के लिये खाने, पीने, रहने की व्यवस्था के लिये डी.एम.एफ. फंड राशि का कलेक्टर मुरैना द्वारा उपयोग किये जाने की सहमति दी गई है।

11- आर.टी.ओ. नंबर :-

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा तीनों जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें। पिछले दिनों की गई अच्छी कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त की।

12- वॉट्सअप ग्रुप :-

तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का वॉट्सअप ग्रुप तैयार किया गया है, जिस पर जानकारी, डाटा शेयर समय-समय पर किया जा रहा है।

13- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान घोषित करने की कार्यवाही :-

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी दी गई कि, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिस पर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अक्टूबर 2023 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्ति होगी एवं लोगों को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा।

14- प्रतिमाह बैठक:-

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, जिला खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी होंगे, यह बैठक प्रतिमाह होगी। अगली बैठक जिला आगरा (उ0प्र0) में किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक के स्थान भी अलग-अलग जिलों में प्रतिमाह बदलेगें।

15- संयुक्त कार्यवाही :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, बार्डर के तीनों ओर संयुक्त कार्यवाही समय-समय पर की जायेगी।

अंत में प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में बार्डर वाले जिलों में अच्छी कार्यवाही होगी।


प्रभारी पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)


कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक / खनिज / टास्क / 2023 / 416

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कलेक्टर जिला मुरैना / धौलपुर / आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, मुरैना / धौलपुर / आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना / धौलपुर / आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना / धौलपुर / आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी / भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
13. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।


प्रभारी पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)


कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक

जिला मुरैना (म0प्र0), जिला धौलपुर (राज0), जिला आगरा(उ0प्र0)

दिनांक 19.05.2023 समय सांय 06.45 बजे (ऑनलाईन व्ही.सी.)

कार्यवाही विवरण

दिनांक 19.05.2023 को सांय 06:45 बजे अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक ऑनलाईन व्ही.सी. के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें

1. कलेक्टर मुरैना (म0प्र0), कलेक्टर जिला धौलपुर (राज0), कलेक्टर आगरा (उ0प्र0)
2. पुलिस अधीक्षक, मुरैना (म0प्र0), पुलिस अधीक्षक धौलपुर (राज0), पुलिस अधीक्षक आगरा (उ0प्र0),
3. वनमण्डलाधिकारी मुरैना (म0प्र0), वनमण्डलाधिकारी धौलपुर (राज0), वनमण्डलाधिकारी आगरा (उ0प्र0) ।
4. जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0), जिला खनि अधिकारी धौलपुर (राज0), प्र0 अधिकारी खनिज शाखा, आगरा (उ0प्र0) ।
5. जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0), जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर (राज0), जिला परिवहन अधिकारी आगरा (उ0प्र0) ।
6. अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0) ।
7. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना
8. खनि निरीक्षक एवं सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना (म0प्र0)

बैठक में परिचय उपरांत निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- स्थायी चेक पोस्ट :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा पूर्व में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार,

I-जिला मुरैना की बॉर्डर अल्लावेली ए0बी0 रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

II-जिला धौलपुर सागरपाडा चोकी के पास ए.बी. रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

III-जिला आगरा की बॉर्डर पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

यह चेक पोस्ट आगे भी निरंतर संचालित रहेंगे। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

2- इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट :-

आगरा बोर्डर की तर्ज पर अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों की जांच/धरपकड के लिये इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी दिनों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट धौलपुर बोर्डर एवं मुरैना बोर्डर पर भी लगाने का प्रस्ताव अपनी अपनी राज्य सरकारों को भेजा जायेगा, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

इसी क्रम में जिला मुरैना में 03 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट क्रमशः

1-अल्लावेली पुलिस चौकी

2-बामोर तिराहा बायपास

3-बंधा चौराहा बरवासिन घाट रोड पर लगाये जायेंगे।

3- लॉग टर्म, एवं शॉर्ट टर्म प्लान :-

जिला कलेक्टर मुरैना द्वारा बनाये गये लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान तथा उनके क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान पर की जा रही कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि डी.एम.एफ. राशि एवं अन्य मदों से राशि का उपयोग कर दोनों प्लानों पर कार्यवाही जारी रखें। चम्बल नदी एवं आसपास के क्षेत्र में निगरानी के लिये डी.एम.एफ. फंड से जिला मुरैना द्वारा ड्रोन क्य करने की सहमति दी गई।

4- अपराधिक रिकार्ड वाले लोगो का डाटा/रिकार्ड :-

तीनों जिले (मुरैना धौलपुर, आगरा) अपने-अपने जिलों का अपराधिक डाटा/रिकार्ड एक दूसरे के साथ साझा/शेयर कर रहे हैं। यह कार्यवाही भी आगे भी जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5- शस्त्र लायसेंस निरस्त करना:-

जिला प्रशासन मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके द्वारा अवैध खनिज रेत के कारोबार में शामिल व्यक्तियों के बंदूक लाइसेंस/शस्त्र लाइसेंस 04 लाइसेंस निरस्त किये गये। इससे अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों में भय/डर का माहौल बन रहा है।

6- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह तीनों जिले(मुरैना धौलपुर, आगरा) में आगे भी रहेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

8- वाहनो का राजसात :-

जिला मुरैना में 42 वाहनों के राजसात की कार्यवाही प्रचलन में होना वनमण्डलाधिकारी द्वारा बताया गया है। अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

9- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी रहेंगे। चम्बल नदी की कार्यवाही में तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जायेगी एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार आपस में तीनों जिले साझा करेंगे।

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा डी.एम.एफ. फंड से ड्रोन खरीदने की मंजूरी एवं एनजीटी प्रकरण में लगे S.A.F. के लोगों के लिये खाने, पीने, रहने की व्यवस्था के लिये डी.एम.एफ. फंड राशि का कलेक्टर मुरैना द्वारा उपयोग किये जाने की सहमति पूर्व में दी गई है।

10- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी की जा रही है। जरूरत पडने पर तीनों जिले(मुरैना धौलपुर, आगरा) वीडियो, फोटो शेयर कर कार्यवाही में मदद ले रहे हैं।

11- आर.टी.ओ. नंबर :-

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें। पिछले दिनों की गई अच्छी कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त की।

12- वॉट्सअप ग्रुप :-

तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का वॉट्सअप ग्रुप तैयार किया गया है, जिस पर जानकारी, डाटा शेयर समय-समय पर किया जा रहा है।

13- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान घोषित करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह दिसम्बर 2023 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्ति होगी एवं लोगो को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा।

14- प्रतिमाह बैठक:-

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, जिला खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी होंगे, यह बैठक प्रतिमाह होगी। बैठक आगे भी व्ही0सी0 के माध्यम से समक्ष में उपस्थित होकर आयोजित की जावेगी। बैठक के स्थान भी अलग-अलग जिलों में प्रतिमाह बदलेंगे।

15- संयुक्त कार्यवाही :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, बार्डर के तीनों ओर संयुक्त कार्यवाही समय-समय पर की जायेगी। जिलों द्वारा की गई कार्यवाही वाट्सअप ग्रुप पर शेयर करेंगे। यह जानकारी शेयर करना पूर्व के अनुसार लगातार जारी रहेगा।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में बोर्डर वाले जिलों में अच्छी कार्यवाही होगी।

पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/585(A)

मुरैना,दिनांक 24/5/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कलेक्टर जिला मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. क्षेत्रीय प्रमुख,संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
8. पुलिस अधीक्षक, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वनमण्डलाधिकारी,मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
13. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ ।

पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

जिला मुरैना (म0प्र0), जिला धौलपुर (राज0), जिला आगरा(उ0प्र0)

दिनांक 30.06.2023 समय सांय 05.00 बजे (ऑनलाईन व्ही.सी.)

कार्यवाही विवरण

दिनांक 30.06.2023 को सांय 05:00 बजे अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक ऑनलाईन व्ही.सी. के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें

1. कलेक्टर मुरैना (म0प्र0), कलेक्टर जिला धौलपुर (राज0), कलेक्टर आगरा (उ0प्र0)
2. पुलिस अधीक्षक, मुरैना (म0प्र0), पुलिस अधीक्षक धौलपुर (राज0), पुलिस अधीक्षक आगरा (उ0प्र0),
3. वनमण्डलाधिकारी मुरैना (म0प्र0), वनमण्डलाधिकारी धौलपुर (राज0), वनमण्डलाधिकारी आगरा (उ0प्र0) ।
4. जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0), जिला खनि अधिकारी धौलपुर (राज0), प्र0 अधिकारी खनिज शाखा, आगरा (उ0प्र0) ।
5. जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0), जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर (राज0), जिला परिवहन अधिकारी आगरा (उ0प्र0) ।
6. अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0) ।
7. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना
8. खनि निरीक्षक एवं सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना (म0प्र0)

बैठक में परिचय उपरांत निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- स्थाई चेक पोस्ट :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा पूर्व में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार,

- I-जिला मुरैना की बॉर्डर अल्लावेली ए0बी0 रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।
- II-जिला धौलपुर सागरपाडा चोकी के पास ए.बी. रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।
- III-जिला आगरा की बॉर्डर पर चेक पोस्ट संचालित हैं।


यह चेक पोस्ट आगे भी निरंतर संचालित रहेंगे। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जिसका पालन आगामी आदेश तक किया जावेगा।

2- इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट :-

आगरा बोर्डर की तर्ज पर अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों की जांच/धरपकड के लिये इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी दिनों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट धौलपुर बोर्डर एवं मुरैना बोर्डर पर भी लगाने का प्रस्ताव अपनी अपनी राज्य सरकारों को भेजा जायेगा, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

इसी क्रम में जिला मुरैना में 03 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट क्रमशः

- 1-अल्लावेली पुलिस चौकी, 2-बामोर तिराहा बायपास, 3-बंधा चौराहा बरवासिन घाट रोड पर लगाये जायेंगे।



3- लॉग टर्म, एवं शॉर्ट टर्म प्लान :-

जिला कलेक्टर मुरैना द्वारा बनाये गये लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान तथा उनके कियान्वयन की जानकारी दी गई। लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान पर की जा रही कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि डी.एम.एफ. राशि एवं अन्य मदों से राशि का उपयोग कर दोनों प्लानों पर कार्यवाही जारी रखें। चम्बल नदी एवं आसपास के क्षेत्र में निगरानी के लिये डी.एम.एफ. फंड से जिला मुरैना द्वारा ड्रोन क्य करने की सहमति दी गई।

4- अपराधिक रिकार्ड वाले लोगो का डाटा/रिकार्ड :-

तीनों जिले (मुरैना धौलपुर, आगरा) अपने-अपने जिलों का अपराधिक डाटा/रिकार्ड एक दूसरे के साथ साझा/शेयर कर रहे हैं। यह कार्यवाही भी आगे भी जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5- शस्त्र लायसेंस निरस्त करना:-

जिला प्रशासन मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके द्वारा अवैध खनिज रेत के कारोबार में शामिल व्यक्तियों के बंदूक लाइसेंस/शस्त्र लाइसेंस 04 लाइसेंस निरस्त किये गये। इससे अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों में भय/डर का माहौल बन रहा है। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

6- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह तीनों जिले(मुरैना धौलपुर, आगरा) में आगे भी रहेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

8- वाहनो का राजसात :-

जिला मुरैना में 42 वाहनों के राजसात की कार्यवाही प्रचलन में होना वनमण्डलाधिकारी द्वारा बताया गया है। अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

9- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी रहेंगे। चम्बल नदी की कार्यवाही में तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जायेगी एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार आपस में तीनों जिले साझा करेंगे।

10- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर तीनों जिले(मुरैना धौलपुर, आगरा) वीडियो, फोटो शेयर कर कार्यवाही में मदद ले रहे हैं। इसमें तीनों जिलों से समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

11- आर.टी.ओ. नंबर :-

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें। पिछले दिनों की गई अच्छी कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त की।

12- वॉट्सअप ग्रुप :-

तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का वॉट्सअप ग्रुप तैयार किया गया है, जिस पर जानकारी, डाटा शेयर समय-समय पर किया जा रहा है।

13- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान घोषित करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह दिसम्बर 2023 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्ति होगी एवं लोगो को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा। जिले स्तर पर सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

14- प्रतिमाह बैठक:-

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, जिला खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी होंगे, यह बैठक प्रतिमाह होगी। बैठक आगे भी व्ही0सी0 के माध्यम से समक्ष में उपस्थित होकर आयोजित की जावेगी।

बैठक के स्थान भी अलग-अलग जिलों में प्रतिमाह बदलेगें।

15- संयुक्त कार्यवाही :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, बार्डर के तीनों ओर संयुक्त कार्यवाही समय-समय पर की जायेगी। जिलों द्वारा की गई कार्यवाही वाट्सअप ग्रुप पर शेयर करेंगे। यह जानकारी शेयर करना पूर्व के अनुसार लगातार जारी रहेगा।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में बार्डर वाले जिलों में अच्छी कार्यवाही होगी।


पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक / खनिज / टास्क. / 2023 / 707 (A)
प्रतिलिपि:-

मुरैना, दिनांक 04/07/2023

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कलेक्टर जिला मुरैना / धौलपुर / आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, मुरैना / धौलपुर / आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना / धौलपुर / आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना / धौलपुर / आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी / भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
13. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।


पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)


कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यवाही विवरण

दिनांक 11.07.2023 को सांय 05:20 बजे अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक ऑनलाईन व्ही.सी. के माध्यम से आयोजितकी गई, जिसमें

1. कलेक्टर मुरैना (म0प्र0), कलेक्टर जिला धौलपुर (राज0), कलेक्टर आगरा (उ0प्र0)
2. पुलिस अधीक्षक, मुरैना (म0प्र0), पुलिस अधीक्षक धौलपुर (राज0), पुलिस अधीक्षक आगरा (उ0प्र0)
3. वनमण्डलाधिकारी मुरैना (म0प्र0), वनमण्डलाधिकारी धौलपुर (राज0), वनमण्डलाधिकारी आगरा (उ0प्र0)।
4. अपर कलेक्टर, मुरैना।
5. जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0), जिला खनि अधिकारी धौलपुर (राज0), प्र0अधिकारी खनिज शाखा, आगरा (उ0प्र0)।
6. जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना, जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर (राज0), जिला आबकारी अधिकारी, आगरा (उ0प्र0)।
7. जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0), जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर (राज0), जिला परिवहन अधिकारी आगरा (उ0प्र0)।
8. अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
9. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना
10. खनि निरीक्षक एवं सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना (म0प्र0)

बैठक में परिचय उपरांत निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- स्थाई चेक पोस्ट :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा पूर्व में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार,

- I-जिला मुरैना की बॉर्डर अल्लावेली ए0बी0 रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।
- II-जिला धौलपुर सागरपाडा चौकी के पास ए.बी. रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।
- III-जिला आगरा की बॉर्डर पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

यह चेक पोस्ट आगे भी निरंतर संचालित रहेंगे। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जिसका पालन आगामी आदेश तक किया जावेगा।

2- इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट :-

आगरा बोर्डर की तर्ज पर अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों की जांच/धरपकड के लिये इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी दिनों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट धौलपुर बोर्डर एवं मुरैना बोर्डर पर भी लगाने का प्रस्ताव अपनी अपनी राज्य सरकारों को भेजा जायेगा, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

इसी क्रम में जिला मुरैना में 03 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट कमशः

- 1-अल्लावेली पुलिस चौकी, 2-बामोर तिराहा बायपास, 3-बंधा चौराहा बरवासिन घाट रोड पर लगाये जायेंगे। शासन से अनुमोदन आना शेष है।

3- लॉग टर्म, एवं शॉर्ट टर्म प्लान:-

जिला कलेक्टर मुरैना द्वारा बनाये गये लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान तथा उनके कियान्वयन की जानकारी दी गई। लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान पर की जा रही कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि डी.एम.एफ. राशि एवं अन्य मदों से राशि का उपयोग कर दोनों प्लानों पर कार्यवाही जारी रखें। चम्बल नदी एवं आसपास के क्षेत्र में निगरानी के लिये डी.एम.एफ. फंड से जिला मुरैना द्वारा ड्रोन क्य करने की सहमति दी गई।

4- अपराधिक रिकार्ड वाले लोगो का डाटा/रिकार्ड :-

तीनों जिले (मुरैना धौलपुर, आगरा) अपने-अपने जिलों का अपराधिक डाटा/रिकार्ड एक दूसरे के साथ साझा/शेयर कर रहे हैं। यह कार्यवाही भी आगे भी जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5- शस्त्र लायसेंस निरस्त करना:-

जिला प्रशासन मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके द्वारा अवैध खनिज रेत के कारोबार में शामिल व्यक्तियों के बंदूक लाइसेंस/शस्त्र लाइसेंस 04 लाइसेंस निलंबित किये गये। इससे अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों में भय/डर का माहौल बन रहा है। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

6- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह तीनों जिले(मुरैना धौलपुर, आगरा) में आगे भी रहेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

8- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकडे गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

9- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी रहेंगे। चम्बल नदी की कार्यवाही में तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जायेगी एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार आपस में तीनों जिले साझा करेंगे।

10- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी की जा रही है। जरूरत पडने पर तीनों जिले(मुरैना धौलपुर, आगरा) वीडियो, फोटो शेयर कर कार्यवाही में मदद ले रहे हैं। इसमें तीनों जिलों से समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

- 11- आर.टी.ओ. नंबर :-
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें। पिछले दिनों की गई अच्छी कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त की।
- 12- वॉट्सअप ग्रुप :-
तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का वॉट्सअप ग्रुप तैयार किया गया है, जिस पर जानकारी, डाटा शेयर समय-समय पर किया जा रहा है।
- 13- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान घोषित करने की कार्यवाही :-
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइड किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह दिसम्बर 2023 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्ति होगी एवं लोगो को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा। जिले स्तर पर सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
- 14- प्रतिमाह बैठक:-
सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, जिला खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी होंगे, यह बैठक प्रतिमाह होगी। बैठक आगे भी व्ही0सी0 के माध्यम से संमक्ष में उपस्थित होकर आयोजित की जावेगी।
बैठक के स्थान भी अलग-अलग जिलों में प्रतिमाह बदलेगें।
- 15- नाव/वॉटर वोट से निगरानी:-
सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, नदी के रास्ते वाटर वोट के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर निगरानी रखी जावेगी।
- 16- संयुक्त कार्यवाही :-
तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, बार्डर के तीनों ओर संयुक्त कार्यवाही समय-समय पर की जायेगी। जिलों द्वारा की गई कार्यवाही वॉट्सअप ग्रुप पर शेयर करेंगे। यह जानकारी शेयर करना पूर्व के अनुसार लगातार जारी रहेगा।
अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आगे वाले समय में बोर्डर वाले जिलों में अच्छी कार्यवाही होगी।

पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (MOप्र0)

कलेक्टर
जिला मुरैना (MOप्र0)

पृ.क्रमांक / खनिज / टास्क. / 2023 / 750

मुरैना, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कलेक्टर जिला मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

134
अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक
जिला मुरैना (म0प्र0), जिला धौलपुर (राज0), जिला आगरा(उ0प्र0)
दिनांक 31.08.2023 समय दोपहर 12.15 बजे (ऑनलाईन व्ही.सी.)

1043

कार्यवाही विवरण

दिनांक 31.08.2023 को प्रातः 12:15 बजे अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक ऑनलाईन व्ही.सी. के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें

1. कलेक्टर मुरैना (म0प्र0), कलेक्टर जिला धौलपुर (राज0), कलेक्टर आगरा (उ0प्र0)
2. पुलिस अधीक्षक, मुरैना (म0प्र0), पुलिस अधीक्षक धौलपुर (राज0), पुलिस अधीक्षक आगरा (उ0प्र0)
3. वनमण्डलाधिकारी मुरैना (म0प्र0), वनमण्डलाधिकारी धौलपुर (राज0), वनमण्डलाधिकारी आगरा (उ0प्र0) ।
4. जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0), जिला खनि अधिकारी धौलपुर (राज0), प्र0अधिकारी खनिज शाखा, आगरा (उ0प्र0)।
5. जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना, जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर (राज0), जिला आबकारी अधिकारी, आगरा (उ0प्र0) ।
6. जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0), जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर (राज0), जिला परिवहन अधिकारी आगरा (उ0प्र0)।
7. अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
8. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना
9. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, खनिज शाखा, मुरैना (म0प्र0)
10. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना (म0प्र0)

बैठक में निम्न 19 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट :-

आगरा बोर्डर की तर्ज पर अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों की जांच/धरपकड़ के लिये इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी दिनों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट धौलपुर बोर्डर एवं मुरैना बोर्डर पर भी लगाने का प्रस्ताव अपनी अपनी राज्य सरकारों को भेजा जायेगा, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

इसी क्रम में जिला मुरैना में 03 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट क्रमशः

1-अल्लावेली पुलिस चौकी, 2-बामोर तिराहा बायपास, 3-बंधा चौराहा बरवासिन घाट रोड पर लगाये जायेंगे। शासन से अनुमोदन आना शेष है।

2- स्थाई चेक पोस्ट :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा पूर्व में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार,

I-जिला मुरैना की बॉर्डर अल्लावेली ए0बी0 रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

II-जिला धौलपुर सागरपाडा चोकी के पास ए.बी. रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

III-जिला आगरा की बॉर्डर पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

यह चेक पोस्ट आगे भी निरंतर संचालित रहेंगे। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जिसका पालन आगामी आदेश तक किया जावेगा।

क्रमश.....2

3- लॉग टर्म, एवं शॉर्ट टर्म प्लान :-

जिला कलेक्टर मुरैना द्वारा बनाये गये लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान तथा उनके कियान्वयन की जानकारी दी गई। लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान पर की जा रही कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि डी.एम.एफ. राशि एवं अन्य मदों से राशि का उपयोग कर दोनों प्लानों पर कार्यवाही जारी रखें। चम्बल नदी एवं आसपास के क्षेत्र में निगरानी के लिये डी.एम.एफ. फंड से जिला मुरैना द्वारा ड्रोन क्य करने की सहमति दी गई।

4- अपराधिक रिकार्ड वाले लोगो का डाटा/रिकार्ड :-

तीनों जिले (मुरैना, धौलपुर, आगरा) अपने-अपने जिलों का अपराधिक डाटा/रिकार्ड एक दूसरे के साथ साझा/शेयर कर रहे हैं। यह कार्यवाही भी आगे भी जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5- शस्त्र लायसेंस निरस्त करना:-

जिला प्रशासन मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके द्वारा अवैध खनिज रेत के कारोबार में शामिल व्यक्तियों के बंदूक लाइसेंस/शस्त्र लाइसेंस 04 लाइसेंस निलंबित किये गये। इससे अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों में भय/डर का माहौल बन रहा है। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

6- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर. की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह तीनों जिले(मुरैना, धौलपुर, आगरा) में आगे भी रहेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

8- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकडे गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

9- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी रहेंगे। चम्बल नदी की कार्यवाही में तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जायेगी एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार आपस में तीनों जिले साझा करेंगे।

10- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी की जा रही है। जरूरत पडने पर तीनों जिले(मुरैना, धौलपुर, आगरा) वीडियो, फोटो शेयर कर कार्यवाही में मदद ले रहे हैं। इसमें तीनों जिलों से समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

11- आर.टी.ओ. नंबर :-

136³⁻

1045

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहनों पर चंवल प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें। पिछले दिनों की गई अच्छी कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त की।

12- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्ति होगी एवं लोगो को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा। जिले स्तर पर सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

13- रेत खदानों का D.S.R. :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कि, पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों की 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गई, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है।

14- रेत खदानों का विवरण :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कि, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ०मी० थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उक्त घाट में तीन खदानें कमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैंथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा कमशः (1)-4.80 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-63.57 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे० खनिज मात्रा 10,11,126 घ०मी० है।

इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइट की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ०मी० थी। वर्तमान में उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीन खदानें कमशः राजघाट-1(भानपुर-1), राजघाट-2 (भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3(पिपरई-3) बनाई गई। जिनका कुल रकवा कमशः (1)-5.00 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-40.87 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट० खनिज मात्रा 7,63,050 घ०मी० है।

15- रेत के खनन योजना :-

मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं।

16- नाव/वॉटर वोट से निगरानी:-

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, नदी के रास्ते वाटर वोट के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर निगरानी रखी जावेगी।

क्रमश.....4

17- वॉट्सअप ग्रुप :-

तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का वॉट्सअप ग्रुप तैयार किया गया है, जिस पर जानकारी, डाटा शेयर समय-समय पर किया जा रहा है।

18- प्रतिमाह बैठक:-

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, जिला खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी होंगे, यह बैठक प्रतिमाह होगी। बैठक आगे भी व्ही0सी0 के माध्यम से समक्ष में उपस्थित होकर आयोजित की जावेगी।

बैठक के स्थान भी अलग-अलग जिलों में प्रतिमाह बदलेगें।

19- संयुक्त कार्यवाही :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, बार्डर के तीनों ओर संयुक्त कार्यवाही समय-समय पर की जायेगी। जिलों द्वारा की गई कार्यवाही वाट्सअप ग्रुप पर शेयर करेंगे। यह जानकारी शेयर करना पूर्व के अनुसार लगातार जारी रहेगा।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में बोर्डर वाले जिलों में अच्छी कार्यवाही होगी।

जिला मुर्ना (M0प्र0)

de

कलेक्टर
जिला मुर्ना (M0प्र0)

पृ.क्रमांक / खनिज / टास्क. / 2023 / 936

मुर्ना, दिनांक 11/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, M0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुर्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कलेक्टर जिला मुर्ना / धौलपुर / आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, मुर्ना / धौलपुर / आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वनमण्डलाधिकारी, मुर्ना / धौलपुर / आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला आबकारी अधिकारी, मुर्ना / धौलपुर / आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला परिवहन अधिकारी, मुर्ना / धौलपुर / आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी / भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, मुर्ना की ओर पालनार्थ।

जिला मुर्ना (M0प्र0)

de

कलेक्टर
जिला मुर्ना (M0प्र0)

अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक
जिला मुरैना (म0प्र0), जिला धौलपुर (राज0), जिला आगरा(उ0प्र0)
दिनांक 25.09.2023 समय सांय 05.00 बजे (ऑनलाईन व्ही.सी.)

कार्यवाही विवरण

दिनांक 25.09.2023 को समय सांय 05.00 बजे अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक ऑनलाईन व्ही.सी. के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें

1. कलेक्टर मुरैना (म0प्र0), कलेक्टर जिला धौलपुर (राज0), कलेक्टर आगरा (उ0प्र0)
2. पुलिस अधीक्षक, मुरैना(म0प्र0),पुलिस अधीक्षक धौलपुर (राज0), पुलिस अधीक्षक आगरा(उ0प्र0)
3. वनमण्डलाधिकारी मुरैना (म0प्र0),वनमण्डलाधिकारी धौलपुर(राज0),वनमण्डलाधिकारी आगरा (उ0प्र0)।
4. जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0), जिला खनि अधिकारी धौलपुर (राज0), प्र0अधिकारी खनिज शाखा, आगरा (उ0प्र0)।
5. जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना, जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर (राज0), जिला आबकारी अधिकारी, आगरा (उ0प्र0)।
6. जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0), जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर (राज0), जिला परिवहन अधिकारी आगरा (उ0प्र0)।
7. अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
8. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना
9. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, खनिज शाखा, मुरैना (म0प्र0)
10. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना (म0प्र0)

बैठक में निम्न 19 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट :-

आगरा बोर्डर की तर्ज पर अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों की जांच/धरपकड के लिये इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी दिनों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट धौलपुर बोर्डर एवं मुरैना बोर्डर पर भी लगाने का प्रस्ताव अपनी अपनी राज्य सरकारों को भेजा जायेगा, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

इसी क्रम में जिला मुरैना में 03 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट क्रमशः

1-अल्लावेली पुलिस चौकी, 2-बामोर तिराहा बायपास, 3-बंधा चौराहा बरवासिन घाट रोड पर लगाये जायेंगे। शासन से अनुमोदन आना शेष है।

2- स्थाई चेक पोस्ट :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा पूर्व में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार,

I-जिला मुरैना की बॉर्डर अल्लावेली ए0बी0 रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

II-जिला धौलपुर सागरपाडा चोकी के पास ए.बी. रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

III-जिला आगरा की बॉर्डर पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

यह चेक पोस्ट आगे भी निरंतर संचालित रहेंगे। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जिसका पालन आगामी आदेश तक किया जावेगा।

3- लॉग टर्म, एवं शॉर्ट टर्म प्लान:-

जिला कलेक्टर मुरैना द्वारा बनाये गये लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान तथा उनके क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान पर की जा रही कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि डी.एम.एफ. राशि एवं अन्य मदों से राशि का उपयोग कर दोनों प्लानों पर कार्यवाही जारी रखें। चम्बल नदी एवं आसपास के क्षेत्र में निगरानी के लिये डी.एम.एफ. फंड से जिला मुरैना द्वारा ड्रोन क्य करने की सहमति दी गई।

4- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी रहेंगे। चम्बल नदी की कार्यवाही में तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जायेगी एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार आपस में तीनों जिले साझा करेंगे।

5- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी की जा रही है। जरूरत पडने पर तीनों जिले(मुरैना धौलपुर, आगरा) वीडियो, फोटो शेयर कर कार्यवाही में मदद ले रहे हैं। इसमें तीनों जिलों से समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

6- अपराधिक रिकार्ड वाले लोगो का डाटा/रिकार्ड :-

तीनों जिले (मुरैना धौलपुर, आगरा) अपने-अपने जिलों का अपराधिक डाटा/रिकार्ड एक दूसरे के साथ साझा/शेयर कर रहे हैं। यह कार्यवाही भी आगे भी जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7- शस्त्र लायसेंस निरस्त करना:-

जिला प्रशासन मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके द्वारा अवैध खनिज रेत के कारोबार में शामिल व्यक्तियों के बंदूक लाइसेंस/शस्त्र लाइसेंस 04 लाइसेंस निलंबित किये गये। इससे अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों में भय/डर का माहौल बन रहा है। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

8- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर. की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

9- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह तीनों जिले(मुरैना धौलपुर, आगरा) में आगे भी रहेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

10- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकडे गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

11- आर.टी.ओ. नंबर :-

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें। पिछले दिनों की गई अच्छी कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त की।

12- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्ति होगी एवं लोगो को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा। जिले स्तर पर सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

13- रेत खदानों का D.S.R.:-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कि, पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों की 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गईं, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है।

14- रेत खदानों का विवरण :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कि, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ०मी० थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उक्त घाट में तीन खदानें क्रमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-4.80 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-63.57 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे० खनिज मात्रा 10,11,126 घ०मी० है।

इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइट की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ०मी० थी। वर्तमान में उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीन खदानें क्रमशः राजघाट-1(भानपुर-1), राजघाट-2(भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3(पिपरई-3) बनाई गईं, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-5.00 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-40.87 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट० खनिज मात्रा 7,63,050 घ०मी० है।

15- रेत के खनन योजना :-

मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं।

16- नाव/वॉटर वोट से निगरानी:-


सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, नदी के रास्ते वाटर वोट के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर निगरानी रखी जावेगी।

17- वॉट्सअप ग्रुप :-
तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का वॉट्सअप ग्रुप तैयार किया गया है जिस पर जानकारी, डाटा शेयर समय-समय पर किया जा रहा है।

18- प्रतिमाह बैठक:-
सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, जिला खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी होंगे, यह बैठक प्रतिमाह होगी। बैठक आगे भी व्ही0सी0 के माध्यम से समक्ष में उपस्थित होकर आयोजित की जावेगी।
बैठक के स्थान भी अलग-अलग जिलों में प्रतिमाह बदलेगें।

19- संयुक्त कार्यवाही :-
तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, बोर्डर के तीनों ओर संयुक्त कार्यवाही समय-समय पर की जायेगी। जिलों द्वारा की गई कार्यवाही वॉट्सअप ग्रुप पर शेयर करेंगे। यह जानकारी शेयर करना पूर्व के अनुसार लगातार जारी रहेगा।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में बोर्डर वाले जिलों में अच्छी कार्यवाही होगी।


पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)





कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक / खनिज / टास्क. / 2023/966-ii

मुरैना, दिनांक 25/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कलेक्टर जिला मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।


पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)




कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यवाही विवरण

दिनांक 06.10.2023 को समय सांय 05.00 बजे अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक ऑनलाईन व्ही.सी. के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें

1. कलेक्टर मुरैना (म0प्र0), कलेक्टर जिला धौलपुर (राज0), कलेक्टर आगरा (उ0प्र0)
2. पुलिस अधीक्षक, मुरैना(म0प्र0), पुलिस अधीक्षक धौलपुर (राज0), पुलिस अधीक्षक आगरा(उ0प्र0)
3. वनमण्डलाधिकारी मुरैना (म0प्र0), वनमण्डलाधिकारी धौलपुर(राज0), वनमण्डलाधिकारी आगरा (उ0प्र0)।
4. जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0), जिला खनि अधिकारी धौलपुर (राज0), प्र0अधिकारी खनिज शाखा, आगरा (उ0प्र0)।
5. जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना, जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर (राज0), जिला आबकारी अधिकारी, आगरा (उ0प्र0)।
6. जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0), जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर (राज0), जिला परिवहन अधिकारी आगरा (उ0प्र0)।
7. अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
8. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना
9. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, खनिज शाखा, मुरैना (म0प्र0)
10. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना (म0प्र0)

बैठक में निम्न 19 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट :-

आगरा बोर्डर की तर्ज पर अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों की जांच/धरपकड़ के लिये इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी दिनों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट धौलपुर बोर्डर एवं मुरैना बोर्डर पर भी लगाने का प्रस्ताव अपनी अपनी राज्य सरकारों को भेजा जायेगा, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

इसी क्रम में जिला मुरैना में 03 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट क्रमशः

1-अल्लावेली पुलिस चौकी, 2-बामोर तिराहा बायपास, 3-बंधा चौराह बरवासिन घाट रोड पर लगाये जायेंगे। शासन से अनुमोदन आना शेष है।

2- स्थाई चेक पोस्ट :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा पूर्व में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार,

I-जिला मुरैना की बॉर्डर अल्लावेली ए0बी0 रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

II-जिला धौलपुर सागरपाडा चौकी के पास ए.बी. रोड पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

III-जिला आगरा की बॉर्डर पर चेक पोस्ट संचालित हैं।

यह चेक पोस्ट आगे भी निरंतर संचालित रहेंगे। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जिसका पालन आगामी आदेश तक किया जावेगा।

- 3- लॉग टर्म, एवं शॉर्ट टर्म प्लान:-
जिला कलेक्टर मुरैना द्वारा बनाये गये लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान तथा उनका क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान पर की जा रही कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि डी.एम.एफ. राशि एवं अन्य मदों से राशि का उपयोग कर दोनों प्लानों पर कार्यवाही जारी रखें। चम्बल नदी एवं आसपास के क्षेत्र में निगरानी के लिये डी.एम.एफ. फंड से जिला मुरैना द्वारा ड्रोन क्य करने की सहमति दी गई।
- 4- एफ.आई.आर.:-
निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर. की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 5- पी.ओ.आर. :-
वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह तीनों जिले(मुरैना धौलपुर, आगरा) में आगे भी रहेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 6- वाहनो का राजसात :-
अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकडे गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावेगी, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 7- अपराधिक रिकार्ड वाले लोगो का डाटा/रिकार्ड :-
तीनों जिले (मुरैना धौलपुर, आगरा) अपने-अपने जिलों का अपराधिक डाटा/रिकार्ड एक दूसरे के साथ साझा/शेयर कर रहे हैं। यह कार्यवाही भी आगे भी जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 8- ड्रोन से निगरानी:-
चम्बल नदी में अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी रहेंगे। चम्बल नदी की कार्यवाही में तीनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जायेगी एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार आपस में तीनों जिले साझा करेंगे।
- 9- कैमरे से निगरानी:-
स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी की जा रही है। जरूरत पडने पर तीनों जिले(मुरैना धौलपुर, आगरा) वीडियो, फोटो शेयर कर कार्यवाही में मदद ले रहे हैं। इसमें तीनों जिलों से समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।
- 10- शस्त्र लायसेंस निरस्त करना:-
जिला प्रशासन मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके द्वारा अवैध खनिज रेत के कारोबार में शामिल व्यक्तियों के बंदूक लाइसेंस/शस्त्र लाइसेंस 04 लाइसेंस निलंबित किये गये। इससे अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों में भय/डर का माहौल बन रहा है। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

11- आर.टी.ओ. नंबर :-

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें। पिछले दिनों की गई अच्छी कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त की।

12- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्ति होगी एवं लोगो को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा। जिले स्तर पर सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

13- रेत खदानों का D.S.R.:-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कि, पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों की 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गई, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है।

14- रेत खदानों का विवरण :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कि, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ०मी० थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उक्त घाट में तीन खदानें क्रमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैंथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-4.80 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-63.57 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे० खनिज मात्रा 10,11,126 घ०मी० है।

इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइट की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ०मी० थी। वर्तमान में उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीन खदानें क्रमशः राजघाट-1(भानपुर-1), राजघाट-2(भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3(पिपरई-3) बनाई गई, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-5.00 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-40.87 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट० खनिज मात्रा 7,63,050 घ०मी० है।

15- रेत के खनन योजना :-

मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं।

16- नाव/वॉटर वोट से निगरानी:-

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, नदी के रास्ते वाटर वोट के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर निगरानी रखी जावेगी।

17- वॉट्सअप ग्रुप :-

तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का वॉट्सअप ग्रुप तैयार किया गया, जिस पर जानकारी, डाटा शेयर समय-समय पर किया जा रहा है।

18- प्रतिमाह बैठक:-

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, जिला खनि अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी होंगे, यह बैठक प्रतिमाह होगी। बैठक आगे भी वही 0सी0 के माध्यम से समक्ष में उपस्थित होकर आयोजित की जावेगी।

बैठक के स्थान भी अलग-अलग जिलों में प्रतिमाह बदलेगें।

19- संयुक्त कार्यवाही :-

तीनों जिलों के अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, बोर्ड के तीनों ओर संयुक्त कार्यवाही समय-समय पर की जायेगी। जिलों द्वारा की गई कार्यवाही वॉट्सअप ग्रुप पर शेयर करेंगे। यह जानकारी शेयर करना पूर्व के अनुसार लगातार जारी रहेगा।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में बोर्ड वाले जिलों में अच्छी कार्यवाही होगी।

पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक / खनिज / टास्क. / 2023 / 996

मुरैना, दिनांक 06/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कलेक्टर जिला मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना/धौलपुर/आगरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना (म0प्र0)

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

Intra State Co-ordinationAnnexure R-7

SI No	Date of Meeting	Intra/Inter State	Chaired by	Participants
1	14 th February 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
2	20 th February 2023	Intra State	District Collector, Sheopur (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Sheopur 2. DFO Sheopur 3. District Mining Officer
3	21 st February 2023	Intra State	Chief Secretary, Madhya Pradesh	<ol style="list-style-type: none"> 1. DG Police, MP 2. ACS, Home, MP 3. ACS, Forest, MP 4. PCCF (HoFF), MP 5. PCCF (Wildlife), MP 6. PS, Revenue, MP 7. PS Mining, MP 8. PS Environment, MP 9. MS, MPPCB 10. Commissioner, IG Police and CCF, Chambal Division 11. District Collectors, SPs and DFOs of Districts Morena, Bhind and Sheopur
4	7 th March 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
5	14 th March 2023	Intra State	Divisional Commissioner, Chambal Division (Morena)	<ol style="list-style-type: none"> 1. IG Chambal Range 2. CCF, Chambal Range 3. Collectors, SPs and DFOs of Morena, Bhind and Sheopur

				4. District Mining Officers of Morena, Bhind, Sheopur
6	17 th March 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
7	20th March, 2023	Intra State	DG Police (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Special DG (CID), PHQ 2. IG Chambal Range 3. SP Morena 4. SP Bhind
8	24th March 2023	Intra State	PCCF (HoFF), MP	<ol style="list-style-type: none"> 1. PCCF (Wildlife), MP 2. ADG, Police HQ 3. Divisional Commissioner, Chambal Division 4. IG, Chambal Range 5. CCF, Gwalior Range 6. Collectors, SPs, DFOs of Morena, Bhind and Sheopur 7. Director, NCS, Bhind/Deori 8. Mining, Revenue and Forest Officials of Morena, Bhind and Sheopur
9	06th April 2023	Intra State	Chief Secretary, MP	<ol style="list-style-type: none"> 1. PS, Environment 2. PS, Mining 3. MS, MPPCB
10	10th April, 2023	Intra State	Principal Secretary Mining, MP	<ol style="list-style-type: none"> 1. PCCF (HoFF), MP and PCCF (Wildlife), MP 2. Commissioner, IG Police and CCF, Chambal Division 3. District Collectors, SPs and DFOs of Districts Morena, Bhind and Sheopur 4. SP Morena, Sheopur, Bhind and DFO Morena, Sheopur, Bhind
11	12th April, 2023	Intra State	Chief Secretary	<ol style="list-style-type: none"> 1. DG Police, MP 2. ACS, Home, MP and ACS, Forest, MP

				<ol style="list-style-type: none"> 3. PCCF (HoFF), MP and PCCF (Wildlife), MP 4. PS, Revenue, MP, PS Mining, MP, PS Environment, MP and MS, MPPCB 5. Commissioner, IG Police and CCF, Chambal Division 6. District Collectors, SPs and DFOs of Districts Morena, Bhind and Sheopur
12	04th May 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
13	08th May 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
14	05th June 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
15	23th June 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
16	11th July 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
17	12th July 2023	Intra State	Divisional Commissioner, Chambal Division (Morena)	<ol style="list-style-type: none"> 1. IG Chambal Range 2. CCF, Chambal Range 3. Collectors, SPs and DFOs of Morena, Bhind and Sheopur

				4. District Mining Officers of Morena, Bhind, Sheopur
18	13th July 2023	Intra State	Chief Secretary, MP	<ol style="list-style-type: none"> 1. DG Police, MP 2. ACS, Home, MP and ACS, Forest, MP 3. PCCF (HoFF), MP and PCCF (Wildlife), MP 4. PS, Revenue, MP, PS Mining, MP, PS Environment, MP and MS, MPPCB 5. Commissioner, IG Police and CCF, Chambal Division 6. District Collectors, SPs and DFOs of Districts Morena, Bhind and Sheopur
19	02th August 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
20	31th August 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
21	04th September 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
22	25th September 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer 4. Regional Transport Officer
23	06th October 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP Morena 2. DFO Morena/Director NCS 3. District Mining Officer

				4. Regional Transport Officer
24	25th October 2023	Intra State	District Collector, Morena (MP)	<ol style="list-style-type: none">1. SP Morena2. DFO Morena/Director NCS3. District Mining Officer4. Regional Transport Officer

कार्यवाही विवरण

देवरी वन विभाग रेस्ट हाउस, मुरैना दिनांक 10.04.2023 को सांय 06:00 बजे जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री रायसिंह नरवरिया, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना(Online)
4. श्री राजेन्द्र सिंह, संयुक्त आयुक्त, चम्बल संभाग, जिला मुरैना (म0प्र0)।
5. श्री प्रतीक दुबे, अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग, मुरैना (म0प्र0)।
6. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्री भूरा गायकवाड, अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
8. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
9. श्री डी0डी0 शाक्यवार, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क मुरैना ।
10. श्री सचिन पटेल, प्रभारी अधिकारी काइम ब्रांच जिला मुरैना (म0प्र0)।
11. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना
12. श्री जयपाल सिंह, थाना प्रभारी, सरायछौला (राजघाट क्षेत्र), जिला मुरैना (म0प्र0) ।
13. श्री अभिषेक चक, प्रभारी खनि निरीक्षक एवं सहा. मानचित्रकार, जिला मुरैना (म0प्र0)।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- अस्थाई चेक पोस्ट :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा बताया कि, जिले में चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु कुल 17 पुलिस चेक पॉइन्ट लगाये गये हैं, जो प्रातः 4.00 बजे से 8.00 बजे तक तथा सांय 5.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक संचालित रहते हैं।

चेक पोस्ट विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	थाना	स्थान अस्थायी नाका
1	सरायछौला	अल्लाबेली चौकी
2	सिविल लाइन	अजीतपुरा की पुलिया
3	सिटी कोतवाली	के0एस0 चौराह नैनागढ रोड
4	बामोर	शनिचरा मंदिर गेट
5	पोरसा	अटेर रोड पोरसा
6	अम्बाह	बीलपुर कुथियाना रोड
7	दिमनी	बरेथा की पुलिया
8	नगरा	ग्राम औरेढी आसमानी माता मंदिर के पास
9	सबलगढ	ग्राम अलीपुरा
10	रामपुर	हनुमान मंदिर घाटी
11	देवगढ	ग्राम नंदपुरा
12	बागचीनी	बारहद्वारी की पुलिया
13	चिन्नीनी	ग्राम ब्रजगढी
14	टेंटरा	अटार घाट
15	जौरा	रूनीपुर रोड
16	कैलारस	सेमई की पुलिया
17	महुआ	गुढा की पुलिया

2- स्पेशल अस्थाई चौक पोइंट :-

जिले मे अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 04 स्पेशल चौक पोइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है

- I- भानपुर राजघाट नदी क्षेत्र में (18 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
- II- पिपरई राजघाट नदी क्षेत्र में (18 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
- III- अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (20 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
- IV- बरवासिन घाट पर (10 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

3- लॉग टर्म, एवं शॉर्ट टर्म प्लान :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान तथा उनके क्रियान्वयन की जानकारी ली। लॉग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान पर की जा रही कार्यवाही से प्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि डी.एम.एफ. राशि एवं अन्य मदों से राशि का उपयोग कर दोनों प्लानों पर कार्यवाही जारी रखें। चम्बल नदी एवं आसपास के क्षेत्र में निगरानी के लिये डी.एम.एफ. फंड से जिला मुरैना द्वारा ड्रोन कय करने की सहमति दी गई।

4- मोटरवोट से निगरानी :-

चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन न हो, पेट्रोलिंग में लगी मोटरवोट से राजघाट, पिपरई, कैंथरी, खांडोली व सभी घाटों पर भ्रमण कर जांच की जाती रहे, वन विभाग को निर्देश दिये गये ।

5- शस्त्र लाइसेंस निरस्त करना:-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज रेत के कारोबार में शामिल व्यक्तियों के बंदूक लाइसेंस/शस्त्र लाइसेंस 04 लाइसेंस निरस्त किये गये। इससे अपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों में भय/डर का माहौल बन रहा है।

6- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

7- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

8- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे ।

for
17/4/2023

9- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे । देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लाबैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है

10- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

11- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

12- लायसेंस सस्पेंड/निलंबित :-

जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके द्वारा अभियान चलाकर दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक कुल 134 लाइसेंस सस्पेंड/निलंबित किये हैं।

13- रेत भण्डारणों का विनिष्ठीकरण:-

बैठक में उपस्थित वन विभाग के एस.डी.ओ. प्रतीत दुबे तथा अधीक्षक राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, भूरा गायकबाड द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध रेत भण्डारण के 16 प्रकरण दर्ज है, जिसमें 40260 घ.मी. रेत का विनिष्ठीकरण किया गया है। वनमण्डलाधिकारी मुरैना द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

14- एस.ए.एफ. फोर्स की तैनाती:-

पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि, 60 लोगों का एस.ए.एफ. फोर्स (1)-भानपुर चम्बल राजघाट नदी क्षेत्र, (2)-पिपरई चम्बल नदी घाट क्षेत्र, (3)-बंधा चौराह बरवासिन रोड एवं (4)-देवरी वन चेक पॉइंट पर लगे हैं। खाने/पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है, जिसका भुगतान डी.एम.एफ. फंड या अन्य किसी मद से होना है।

15- ड्रोन कय एवं उपयोग:-

पूर्व टास्कफोर्स मीटिंगों में लिये गये निर्णय, मुख्य सचिव महोदय की व्ही.सी. में दिये निर्देश तथा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निर्देशों के पालन में डी.एम.एफ. राशि से एक ड्रोन कय किया गया, जिसमें एक लाख रुपये एडवांस भुगतान किया गया तथा शेष राशि का भुगतान होना है।

ड्रोन डी.एम.एफ. राशि से कय के लिये प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा सहमति बैठकों में दी गई है।

16- राजसात वाहनों की नीलामी:-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वनमण्डलाधिकारी मुरैना एवं अधीक्षक रा0चं0अ0 देवरी मुरैना को निर्देशित किया गया कि, उनके कार्यालय द्वारा पूर्व में राजसात किये 42 वाहनों की नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार अतिशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

17- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिस पर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अक्टूबर 2023 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्ति होगी एवं लोगो को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में राज्य वाले जिलो में अच्छी कार्यवाही होगी।

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/0

de

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

मुरैना,दिनांक 11/4/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कलेक्टर जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. क्षेत्रीय प्रमुख,संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
7. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
13. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

de

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 04.05.2023 को दोपहर 03:00 बजे जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (MOPRO)।
2. श्री रायसिंह नरवरिया, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (MOPRO)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना(Online)
4. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (MOPRO)।
5. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (MOPRO)।
6. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
7. श्री सुरेन्द्र पटेल, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
8. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, जिला मुरैना (MOPRO)।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- अस्थाई चेक पोस्ट :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा बताया कि, जिले में चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु कुल 17 पुलिस चेक पॉइन्ट लगाये गये हैं, जो प्रातः 4.00 बजे से 8.00 बजे तक तथा सांय 5.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक संचालित रहते हैं।

2- स्पेशल अस्थाई चैक पॉइंट :-

जिले में अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 04 स्पेशल चैक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है

- v- भानपुर राजघाट नदी क्षेत्र में (18 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
- vi- पिपरई राजघाट नदी क्षेत्र में (18 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
- vii- अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (20 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
- viii- बरवासिन घाट पर (10 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

3- मोटरवोट से निगरानी :-

चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन न हो, पेट्रोलिंग में लगी मोटरवोट से राजघाट, पिपरई, कैथरी, खांडोली व सभी घाटों पर भ्रमण कर जांच की जाती रहे, वन विभाग को निर्देश दिये गये ।

4- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

- 5- पी.ओ.आर. :-
वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 6- कैमरे से निगरानी:-
स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लाबैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।
- 7- ड्रोन से निगरानी:-
चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।
- 8- आर.टी.ओ. नंबर :-
अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।
- 9- एस.ए.एफ. फोर्स की तैनाती:-
पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि, 60 लोगों का एस.ए.एफ. फोर्स (1)-भानपुर चम्बल राजघाट नदी क्षेत्र, (2)-पिपरई चम्बल नदी घाट क्षेत्र, (3)-बंधा चौराह बरवासिन रोड एवं (4)-देवरी वन चेक पॉइंट पर लगे हैं। खाने/पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है, जिसका भुगतान डी.एम.एफ. फंड या अन्य किसी मद से होना है।
- 10- रेत भण्डारण अनुमति:-
जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।
जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में 03 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। प्रत्येक तहसील में 01-01 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की कार्यवाही जल्द ही की जावेगी।
- 11- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिस पर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अक्टूबर 2023 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्ति होगी एवं लोगो को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा।

प्रमुख सचिव म०प्र० शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार राजघाट व बरवासिन घाट पर 3-3 खदानें बनाने तथा तथा डी.एस.आर. संशोधन कर तैयार करने के लिये कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये हैं। यह कार्यवाही की जा रही है।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में राज्य वाले जिलो में अच्छी कार्यवाही होगी।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म०प्र०)

मुरैना, दिनांक 15/05/2023

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/556

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
12. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म०प्र०)

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 08.05.2023 को दोपहर 03:00 बजे जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना (ONLINE)
4. श्री प्रतीक दुबे, अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग, मुरैना (म0प्र0)।
5. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
6. श्री भूरा गायकवाड, अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
8. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
9. श्री सुरेन्द्र पटेल, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
10. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, जिला मुरैना (म0प्र0)।

नवागत पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र चौहान द्वारा जिला अधिकारियों से परिचय किया उसके उपरान्त बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- अस्थाई चेक पोस्ट :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा बताया कि, जिले में चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु कुल 17 पुलिस चेक पॉइन्ट लगाये गये हैं, जो प्रातः 4.00 बजे से 8.00 बजे तक तथा सांय 5.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक संचालित रहते हैं।

चेक पोस्ट विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	थाना	स्थान अस्थायी नाका
1	सरायछौला	अल्लाबेली चौकी
2	सिविल लाइन	अजीतपुरा की पुलिया
3	सिटी कोतवाली	के0एस0 चौराह नैनागढ रोड
4	बामोर	शनिचरा मंदिर गेट
5	पोरसा	अटेर रोड पोरसा
6	अम्बाह	बीलपुर कुथियाना रोड
7	दिमनी	बरेथा की पुलिया
8	नगरा	ग्राम औरेडी आसमानी माता मंदिर के पास
9	सबलगढ	ग्राम अलीपुरा
10	रामपुर	हनुमान मंदिर घाटी
11	देवगढ	ग्राम नंदपुरा
12	बागचीनी	बारहद्वारी की पुलिया
13	चिन्नौनी	ग्राम ब्रजगढी
14	टेंटरा	अटार घाट
15	जौरा	रूनीपुर रोड
16	कैलारस	सेमई की पुलिया
17	महुआ	गुढा की पुलिया

2- स्पेशल अस्थाई चैक पोइंट :-

जिले मे अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 04 स्पेशल चैक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है

IX- भानपुर राजघाट नदी क्षेत्र में (18 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

X- पिपरई राजघाट नदी क्षेत्र में (18 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

XI- अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (20 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

XII- बरवासिन घाट पर (10 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

3- मोटरवोट से निगरानी :-

चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन न हो, पेट्रोलिंग में लगी मोटरवोट से राजघाट, पिपरई, कैथरी, खांडोली व सभी घाटों पर भ्रमण कर जांच की जाती रहे, वन विभाग को निर्देश दिये गये ।

4- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

5- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

6- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकडे गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे ।

7- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे । देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लाबैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है ।

इन कैमरों के भुगतान के लिये पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा अपने मुरैना भ्रमण दिनांक 10.04.2023 को राज्यस्तरीय व अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक में निर्देश दिये हैं कि, कैमरे के बिल का भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जाये। कैमरा बिल रुपये 1,38,000/- रुपये है, जिसका भुगतान किया जावेगा।

8- पूर्व बैठक दिनांक 10.04.2023 को लिये गये निर्णय अनुसार खनिज शाखा, जिला मुरैना के लिये 02 कम्प्यूटर कय करना है। यह कम्प्यूटर कय जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाकर इनका भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जावेगा

9- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

10- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

11- एस.ए.एफ. फोर्स की तैनाती:-

पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि, 60 लोगों का एस.ए.एफ. फोर्स (1)-भानपुर चम्बल राजघाट नदी क्षेत्र, (2)-पिपरई चम्बल नदी घाट क्षेत्र, (3)-बंधा चौराह बरवासिन रोड एवं (4)-देवरी वन चेक पॉइंट पर लगे हैं। खाने/पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है, जिसका भुगतान डी.एम.एफ. फंड या अन्य किसी मद से होना है।

12- रेत भण्डारण अनुमति:-

जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भंडारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 06 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं और भी रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की कार्यवाही जल्द ही की जावेगी। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये।

13- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिस पर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह नवम्बर 2023 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्ति होगी एवं लोगो को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा।

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार राजघाट व बरवासिन घाट पर 3-3 खदानें बनाने तथा तथा डी.एस.आर. संशोधन कर तैयार करने के लिये कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये हैं। यह कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी के हस्ताक्षर होना शेष है तथा जिला एन0आई0सी0 पोर्टल पर आम जनता के लिये दावा आपत्ति लेने हेतु 21 दिवस के लिये अपलोड होना शेष है। यह कार्यवाही अतिशीघ्र की जावेगी, ऐसे निर्देश दिये।

14- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।



कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/557

मुरैना,दिनांक 15/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
12. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।



कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 समय दोपहर 02.00 बजे
स्थान: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 05.06.2023 को दोपहर 02:00 बजे जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
5. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
6. श्री भूरा गायकवाड, अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
8. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- अस्थाई चेक पोस्ट :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा बताया कि, जिले में चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु कुल 17 पुलिस चेक पॉइन्ट लगाये गये हैं, जो प्रातः 4.00 बजे से 8.00 बजे तक तथा सांय 5.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक संचालित रहते हैं।

चेक पोस्ट विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	थाना	स्थान अस्थायी नाका
1	सरायछौला	अल्लाबेली चौकी
2	सिविल लाइन	अजीतपुरा की पुलिया
3	सिटी कोतवाली	के0एस0 चौराह नैनागढ रोड
4	बामोर	शनिचरा मंदिर गेट
5	पोरसा	अटेर रोड पोरसा
6	अम्बाह	बीलपुर कुथियाना रोड
7	दिमनी	बरेथा की पुलिया
8	नगरा	ग्राम औरेढी आसमानी माता मंदिर के पास
9	सबलगढ	ग्राम अलीपुरा
10	रामपुर	हनुमान मंदिर घाटी
11	देवगढ	ग्राम नंदपुरा
12	बागचीनी	बारहद्वारी की पुलिया
13	चिन्नौनी	ग्राम ब्रजगढी
14	टेंटरा	अटार घाट
15	जौरा	रुनीपुर रोड
16	कैलारस	सेमई की पुलिया
17	महुआ	गुढा की पुलिया

2- स्पेशल अस्थाई चैक पोइंट :-

जिले मे अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02 स्पेशल चैक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है

1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

3- मोटरवोट से निगरानी :-

चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन न हो, पेट्रोलिंग में लगी मोटरवोट से राजघाट, पिपरई, कैंथरी, खांडोली व सभी घाटों पर भ्रमण कर जांच की जाती रहे, वनमण्डलाधिकारी मुरैना को निर्देशित किया गया ।

4- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

5- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

6- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकडे गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे ।

7- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे । देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लावेली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है ।

इन कैमरों के भुगतान के लिये पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा अपने मुरैना भ्रमण दिनांक 10.04.2023 को राज्यस्तरीय व अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक में निर्देश दिये हैं कि, कैमरे के बिल का भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जाये। कैमरा बिल रुपये 1,30,000/- रुपये है, जिसका भुगतान डी.एम.एफ. फंड से किया जा चुका है।

- 8- दिनांक 10.04.2023 को लिये गये निर्णय अनुसार खनिज शाखा, जिला मुरैना के लिये 02 कम्प्यूटर कय करना है। यह कम्प्यूटर कय जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाकर इनका भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जावेगा, जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।

9- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

10- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

11- एस.ए.एफ. फोर्स की तैनाती:-

पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि, 60 लोगों का एस.ए.एफ. फोर्स (1)-भानपुर चम्बल राजघाट नदी क्षेत्र, (2)-पिपरई चम्बल नदी घाट क्षेत्र, (3)-बंधा चौराह बरवासिन रोड एवं (4)-देवरी वन चेक पॉइंट पर लगे हैं। खाने/पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है, जिसका भुगतान डी.एम.एफ. फंड या अन्य किसी मद से होना है।

12- रेत भण्डारण अनुमति:-

जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भंडारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 07 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं और भी रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की कार्यवाही जल्द ही की जावेगी। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये।

नोट:- जिला खनि अधिकारी द्वारा बताया गया कि, तहसील पोरसा में लगभग 3,02,000 घनमीटर रेत खनिज का स्टॉक वर्तमान में है तथा तहसील मुरैना में लगभग 5,000 घ.मी. रेत खनिज स्टॉक है। तहसील बामोर के नूराबाद में जल्द ही रेत स्टॉक का कार्य प्रारंभ हो जावेगा। शेष 04 रेत भंडारणों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एन.ओ.सी. आना शेष है।

13- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिस पर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्ति होगी एवं लोगो को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा।

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार राजघाट व बरवासिन घाट पर 3-3 खदानें बनाने तथा तथा डी.एस.आर. संशोधन कर तैयार करने के लिये कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये हैं। यह कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। संशोधित डी.एस.आर. सिया एवं सेक से अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलित है, जिसके पश्चात् माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल से रेत खदान के टेंडर की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

14- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/6196

मुरैना,दिनांक 06/06/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय प्रमुख,संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
12. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 23.06.2023 को प्रातः 11:00 बजे जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
5. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
6. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्री भूरा गायकवाड, अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
8. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
9. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
10. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही :-

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /समस्त तहसीलदार /समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।

राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनि अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिसेठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जबाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा ।

2- स्पेशल अस्थाई चौक पोइंट :-

जिले मे अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02 स्पेशल चौक पोइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है

1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-
थाना सरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

3- मोटरवोट से निगरानी :-

चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन न हो, पैट्रोलिंग में लगी मोटरवोट से राजघाट, पिपरई, कैथरी, खांडोली व सभी घाटों पर भ्रमण कर जांच की जाती रहे, वनमण्डलाधिकारी मुरैना को निर्देशित किया गया ।

4- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

5- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

6- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकडे गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे ।

7- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे । देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लाबैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है ।

इन कैमरों के भुगतान के लिये पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा अपने मुरैना भ्रमण दिनांक 10.04.2023 को राज्यस्तरीय व अन्तर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक में निर्देश दिये हैं कि, कैमरे के बिल का भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जाये। कैमरा बिल रुपये 1,30,000/- रुपये है, जिसका भुगतान डी.एम.एफ. फंड से किया जा चुका है।

8- दिनांक 10.04.2023 को लिये गये निर्णय अनुसार खनिज शाखा, जिला मुरैना के लिये 02 कम्प्यूटर कय करना है। यह कम्प्यूटर कय जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाकर इनका भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जावेगा, जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।

9- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

10- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

11- एस.ए.एफ. फोर्स की तैनाती:-

पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि, 60 लोगों का एस.ए.एफ. फोर्स (1)-भानपुर चम्बल राजघाट नदी क्षेत्र, (2)-पिपरई चम्बल नदी घाट क्षेत्र, (3)-बंधा चौराह बरवासिन रोड एवं (4)-देवरी वन चेक पॉइंट पर लगे हैं। खाने/पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है, जिसका भुगतान डी.एम.एफ. फंड या अन्य किसी मद से होना है।

12- ईट चिमनीभट्टों पर कार्यवाही:-

खनि अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, जिले में संचालित ईट चिमनीभट्टों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा ईट चिमनीभट्टों पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं ठेकेदार के मध्य होने वाले वाद विवाद की स्थिति से निपटने के लिये पुलिस, राजस्व एवं श्रम विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अवैध ईट चिमनीभट्टों पर नियमानुसार अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण के प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं। उक्त संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदारों को भी जारी कर कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है।

13- रेत भण्डारण अनुमति:-

जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भंडारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं और भी रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की कार्यवाही जल्द ही की जावेगी। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये।

नोट:- जिला खनि अधिकारी द्वारा बताया गया कि, तहसील पोरसा में लगभग 3,32,000 घनमीटर रेत खनिज का स्टॉक वर्तमान में है तथा तहसील मुरैना में लगभग 5,000 घ.मी. रेत खनिज स्टॉक है। तहसील बामोर के नूराबाद में जल्द ही रेत स्टॉक का कार्य प्रारंभ हो जावेगा। शेष 05 रेत भंडारणों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एन.ओ.सी. आना शेष है।

14- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइड किया गया है, जिस पर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। साथ ही शासन को खनिज राजस्व प्राप्ति होगी एवं लोगो को रेत विधिवत उपलब्ध हो सकेगा।

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार राजघाट व बरवासिन घाट पर 3-3 खदानें बनाने तथा तथा डी.एस.आर. संशोधन कर तैयार करने के लिये कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये हैं। यह कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। संशोधित डी.एस.आर. सिया एवं सेक से अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलित है, जिसके पश्चात् माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल से रेत खदान के टेंडर की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

15- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया ।

16- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

मुरैना, दिनांक 28/06/2023

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/691A

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
12. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 11.07.2023 समय सांय 04.00 बजे
स्थान: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 11.07.2023 को सांय 04:00 बजे आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, जिला मुरैना की अध्यक्षता में जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (MOPRO)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (MOPRO)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री नरोत्तम भार्गव, अपर कलेक्टर, मुरैना ।
5. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
6. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (MOPRO)।
7. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (MOPRO)।
8. श्री भूरा गायकवाड, अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (MOPRO)।
9. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
10. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
11. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- स्पेशल अस्थाई चौक पोइंट :-

जिले में अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02 स्पेशल चौक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है

1. अत्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

2- रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही :-

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /समस्त तहसीलदार /समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।

राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनि अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिसेठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जबाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा ।

3- मोटरवोट से निगरानी :-

चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन न हो, पैट्रोलिंग में लगी मोटरवोट से राजघाट, पिपरई, कैंथरी, खांडोली व सभी घाटों पर भ्रमण कर जांच की जाती रहे, वनमण्डलाधिकारी, मुरैना को निर्देशित किया गया ।

- 4- एफ.आई.आर.:-
निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 5- पी.ओ.आर. :-
वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 6- वाहनो का राजसात :-
अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकडे गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।
- 7- कैमरे से निगरानी:-
स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लाबैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।
- 8- दिनांक 10.04.2023 को लिये गये निर्णय अनुसार खनिज शाखा, जिला मुरैना के लिये 02 कम्प्यूटर कय करना है। यह कम्प्यूटर कय जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाकर इनका भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जावेगा, जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।
- 9- ड्रोन से निगरानी:-
चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।
- 10- आर.टी.ओ. नंबर :-
अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।
- 11- एस.ए.एफ. फोर्स की तैनाती:-
पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि, 60 लोगों का एस.ए.एफ. फोर्स (1)-भानपुर चम्बल राजघाट नदी क्षेत्र, (2)-पिपरई चम्बल नदी घाट क्षेत्र, (3)-बंधा चौराह बरवासिन रोड एवं (4)-देवरी वन चेक पॉइंट पर लगे हैं। खाने/पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है, जिसका भुगतान डी.एम.एफ. फंड या अन्य किसी मद से होना है।

12- ईट चिमनीभट्टों पर कार्यवाही:-

खनि अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, जिले में संचालित ईट चिमनीभट्टों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा ईट चिमनीभट्टों पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं ठेकेदार के मध्य होने वाले वाद विवाद की स्थिति से निपटने के लिये पुलिस, राजस्व एवं श्रम विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अवैध ईट चिमनीभट्टों पर नियमानुसार अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण के प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं। उक्त संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदारों को भी जारी कर कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है।

13- रेत भण्डारण अनुमति:-

जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भंडारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में इन रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर लगभग 4,21,262 घनमीटर खनिज रेत उपलब्ध है।

14- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह दिसम्बर 2023 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

15- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया।

16- स्वीकृत खदानों में सुरक्षा के उपाये:-

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में बारिस को ध्यान में रखते हुये सभी ठेकेदारों/पट्टेदारों को कलेक्टर जिला मुरैना की ओर से सूचनापत्र जारी करवाकर निर्देशित किया है कि, सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाये करें, जैसे-तारफेंसिंग, खुदाई, चौकीदार तैनात करें।

17- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/749

मुरैना,दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
7. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
13. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 02.08.2023 को दोपहर 12:05 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना । (ऑनलाईन)
4. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
5. श्री अतुल सिंह, सी.एस.पी., जिला मुरैना (म0प्र0)।
6. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
7. सुश्री निधि जैन, जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना (म0प्र0)।
8. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
9. श्री प्रतीक दुबे, अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग, मुरैना ।
10. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
11. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
12. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

- 1- **N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 :-**
N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 में आदेश दिनांक 20.07.2023 के पालन में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चम्बल नदी व आसपास अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कार्यवाही स्पेशल चेक पोस्ट, अस्थाई चेक पोस्ट, कैमरा से निगरानी लगातार रखी जावेगी । S.A.F. की तैनाती आगामी पेशी दिनांक 03.11.2023 तक रहेगी। पूर्व में लिये गये लोग टर्म एण्ड शॉर्ट टर्म प्लान पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वन विभाग को एन.जी.टी. आदेश के पालन में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये ।
- 2- **स्पेशल अस्थाई चैक पॉइंट :-**
जिले मे अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02 स्पेशल चैक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है
 1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
 2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
- 3- **रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही :-**
जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /समस्त तहसीलदार /समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।
राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनि अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।
तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिसेठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जबाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा ।

- 4- अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा :-
जिला खनि अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज भंडारणों पर वर्ष 2021 में 15 प्रकरण, वर्ष 2022 में 59 एवं 2022 में 48 प्रकरण कुल 122 प्रकरणों में खनिज जप्त किया गया एवं शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा(टी.पी.) जारी की गई, जिससे शासन को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ एवं अन्य टैक्स राशि ऑनलाईन जमा करवाई गई, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। यह कार्यवाही खनि अधिकारी जारी रखें, ऐसा निर्देश दिया गया।
- 5- एफ.आई.आर.:-
निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 6- पी.ओ.आर. :-
वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- 7- वाहनो का राजसात :-
अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।
- 8- कैमरे से निगरानी:-
स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लाबैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।
- 9- दिनांक 10.04.2023 को लिये गये निर्णय अनुसार खनिज शाखा, जिला मुरैना के लिये 02 कम्प्यूटर कय करना है। यह कम्प्यूटर कय जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाकर इनका भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जावेगा, जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।
- 10- ड्रोन से निगरानी:-
चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।
- 11- आर.टी.ओ. नंबर :-
अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

12- ईट चिमनीभट्टों पर कार्यवाही:-

खनि अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, जिले में संचालित ईट चिमनीभट्टों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा ईट चिमनीभट्टों पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं ठेकेदार के मध्य होने वाले वाद विवाद की स्थिति से निपटने के लिये पुलिस, राजस्व एवं श्रम विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अवैध ईट चिमनीभट्टों पर नियमानुसार अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण के प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं। उक्त संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदारों को भी जारी कर कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है।

13- रेत भण्डारण अनुमति:-

जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भंडारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में इन रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर लगभग 4,21,262 घनमीटर खनिज रेत उपलब्ध है।

14- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह दिसम्बर 2023 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

15- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया।

16- स्वीकृत खदानों में सुरक्षा के उपाये:-

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में बारिस को ध्यान में रखते हुये सभी ठेकेदारों/पट्टेदारों को कलेक्टर जिला मुरैना की ओर से सूचनापत्र जारी करवाकर निर्देशित किया है कि, सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाये करें, जैसे-तारफेंसिंग, खुदाई, चौकीदार तैनात करें।

17- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये।

नोट:- वारिस व चम्बल नदी में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुये एस.ए.एफ. बल को चम्बल नदी के निचले स्थानों से ऊपर अल्लाबेली चोकी पर लाया गया।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

मुरैना, दिनांक 10/08/2023

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/840

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
7. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला आबकारी अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 31.08.2023 समय प्रातः 11:00 बजे
स्थान: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 31.08.2023 को प्रातः 11:00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
5. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
6. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
8. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
9. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न 21 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- **N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 :-**

N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 में आदेश दिनांक 20.07.2023 के पालन में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चम्बल नदी व आसपास अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कार्यवाही स्पेशल चेक पोस्ट, अस्थाई चेक पोस्ट, कैमरा से निगरानी लगातार रखी जावेगी । S.A.F. की तैनाती आगामी पेशी दिनांक 03.11.2023 तक रहेगी। पूर्व में लिये गये लोग टर्म एण्ड शॉर्ट टर्म प्लान पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वन विभाग को एन.जी.टी. आदेश के पालन में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये ।

2- **स्पेशल अस्थाई चैक पॉइंट :-**

जिले में अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02 स्पेशल चैक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है

1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

3- **डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-**

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

4- **रेत खदानों का D.S.R. :-**

पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों की 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गई, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है।

5- रेत खदानों का विवरण :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ०मी० थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उक्त घाट में तीन खदानें क्रमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-4.80 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-63.57 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे० खनिज मात्रा 10,11,126 घ०मी० है।

इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइट की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ०मी० थी। वर्तमान में उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीन खदानें क्रमशः राजघाट-1(भानपुर-1), राजघाट-2 (भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3(पिपरई-3) बनाई गई। जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-5.00 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-40.87 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट० खनिज मात्रा 7,63,050 घ०मी० है।

6- रेत के खनन योजना :-

मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं।

7- रेत भण्डारण अनुमति:-

जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भंडारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में इन रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर लगभग 3,98,000 घनमीटर खनिज रेत उपलब्ध है।

8- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 29.08.2023 तक कुल 113 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

9- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही फंकी जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 29.08.2023 तक 189 पी.ओ.आर. काटी गई है।

10- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनो/पकडे गये वाहनो को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 29.08.2023 तक कुल 59 वाहनो को राजसात किये जाने की, कार्यवाही की गई है।

11- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरो से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लाबैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।

12- दिनांक 10.04.2023 को लिये गये निर्णय अनुसार खनिज शाखा, जिला मुरैना के लिये 02 कम्प्यूटर कय करना है। यह कम्प्यूटर वेंज जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाकर इनका भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जावेगा, जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।

13- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

14- अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा :-

जिला खनिज अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज भंडारणों पर वर्ष 2021 में 15 प्रकरण, वर्ष 2022 में 59 एवं 2023 में 50 प्रकरण कुल 124 प्रकरणों में खनिज जप्त किया गया एवं शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.) जारी की गई, जिससे शासन को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ एवं अन्य टैक्स राशि ऑनलाईन जमा करवाई गई, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। यह कार्यवाही खनिज अधिकारी जारी रखें, ऐसा निर्देश दिया गया।

15- रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही :-

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /समस्त तहसीलदार /समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।

राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिसेठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, धनेला, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जबाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजो के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

16- ईट चिमनीभट्टों पर कार्यवाही:-

खनि अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, जिले में संचालित ईट चिमनीभट्टों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा ईट चिमनीभट्टों पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं ठेकेदार के मध्य होने वाले वाद विवाद की स्थिति से निपटने के लिये पुलिस, राजस्व एवं श्रम विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अवैध ईट चिमनीभट्टों पर नियमानुसार अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण के प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं। उक्त संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदारों को भी जारी कर कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है।

17- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये।

18- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया।

19- स्वीकृत खदानों में सुरक्षा के उपाय:-

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में बारिस को ध्यान में रखते हुये सभी ठेकेदारों/पट्टेदारों को कलेक्टर जिला मुरैना की ओर से सूचनापत्र जारी करवाकर निर्देशित किया है कि, सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाय करें, जैसे-तारफेंसिंग, खुदाई, चौकीदार तैनात करें।

20- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग ने 6611 बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर कार्यवाही की गई है।

21- ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही :-

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा ओवरलोड वाहनों पर 01 अप्रैल 2022 से 29.08.2023 तक कुल 2104 वाहनो पर कार्यवाही करने का विवरण दिया है।

नोट:- वर्षा/बारिस व चम्बल नदी में बाढ की स्थिति को ध्यान में रखते हुये एस.ए.एफ. बल को चंबल नदी के निचले स्थानों से ऊपर अल्लाबेली चोकी पर लाया गया।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/935

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)
मुरैना,दिनांक 11/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट व्ही0सी0 रूम, मुरैना में दिनांक 04.09.2023 समय प्रातः 11.00 बजे जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)।
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
5. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
6. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
8. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
9. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न 21 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248 / 2022 :-

N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248 / 2022 में आदेश दिनांक 20.07.2023 के पालन में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चम्बल नदी व आसपास अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कार्यवाही स्पेशल चेक पोस्ट, अस्थाई चेक पोस्ट, कैमरा से निगरानी लगातार रखी जावेगी। S.A.F. की तैनाती आगामी पेशी दिनांक 03.11.2023 तक रहेगी। पूर्व में लिये गये लोड टर्म एण्ड शॉर्ट टर्म प्लान पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वन विभाग को एन.जी.टी. आदेश के पालन में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये।

2- स्पेशल अस्थाई चौक पॉइंट :-

जिले में अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02स्पेशल चौक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है

1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-थानासरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

3- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

4- रेत खदानों का D.S.R.:-

पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों की 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गई, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है।



5- रेत खदानों का विवरण :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ०मी० थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उक्त घाट में तीन खदानें क्रमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-4.80 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-63.57 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे० खनिज मात्रा 10,11,126 घ०मी० है।

इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइड की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ०मी० थी। वर्तमान में उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीन खदानें क्रमशः राजघाट-1 (भानपुर-1), राजघाट-2 (भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3 (पिपरई-3) बनाई गई, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-5.00 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-40.87 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट० खनिज मात्रा 7,63,050 घ०मी० है।

6- रेत के खनन योजना :-

मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं।

7- रेत भण्डारण अनुमति:-

जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भंडारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में इन रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर लगभग 3,98,000 घनमीटर खनिज रेत उपलब्ध है।

8- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 04.09.2023 तक कुल 113 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

9- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 04.09.2023 तक 189 पी.ओ.आर. काटी गई है।

10- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 04.09.2023 तक कुल 59 वाहनों को राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है।

11- कैमरे से निगरानी:-

स्थायी चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लाबैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।

12- दिनांक 10.04.2023 को लिये गये निर्णय अनुसार खनिज शाखा, जिला मुरैना के लिये 02 कम्प्यूटर कय करना है। यह कम्प्यूटर कय जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाकर इनका भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जावेगा, जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।

13- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

14- अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा :-

जिला खनिज अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज भंडारणों पर वर्ष 2021 में 15 प्रकरण, वर्ष 2022 में 59 एवं 2023 में 50 प्रकरण कुल 124 प्रकरणों में खनिज जप्त किया गया एवं शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.) जारी की गई, जिससे शासन को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ एवं अन्य टैक्स राशि ऑनलाईन जमा करवाई गई, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। यह कार्यवाही खनिज अधिकारी जारी रखें, ऐसा निर्देश दिया गया।

15- रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही:-

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /समस्त तहसीलदार /समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।

राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिसेठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, धनेला, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जबाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

16- ईट चिमनीभट्टों पर कार्यवाही:-

खनि अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, जिले में संचालित ईट चिमनीभट्टों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा ईट चिमनीभट्टों पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं ठेकेदार के मध्य होने वाले वाद विवाद की स्थिति से निपटने के लिये पुलिस, राजस्व एवं श्रम विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अवैध ईट चिमनीभट्टों पर नियमानुसार अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण के प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं। उक्त संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदारों को भी जारी कर कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है।

17- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये।

18- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया।

19- स्वीकृत खदानों में सुरक्षा के उपाये:-

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में बारिस को ध्यान में रखते हुये सभी ठेकेदारों/पट्टेदारों को कलेक्टर जिला मुरैना की ओर से सूचनापत्र जारी करवाकर निर्देशित किया है कि, सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाये करें, जैसे-तारफेंसिंग, खुदाई, चौकीदार तैनात करें।

20- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग ने 6611 बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर कार्यवाही की गई है।

21- ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही :-

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा ओवरलोड वाहनों पर 01 अप्रैल 2022 से 29.08.2023 तक कुल 2104 वाहनो पर कार्यवाही करने का विवरण दिया है।

नोट:-वर्षा/बारिस व चम्बल नदी में बाढ की स्थिति को ध्यान में रखते हुये एस.ए.एफ. बल को चंबल नदी के निचले स्थानों से ऊपर अल्लाबेली चोकी पर लाया गया।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिलेमें निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

मुरैना,दिनांक 04/09/2023

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/92/ de

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला खनिज अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

स्थान: कलेक्ट्रेट व्ही0सी0 रुम, मुर्ैना

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट व्ही0सी0 रुम, मुर्ैना में दिनांक 25.09.2023 समय दोपहर 01.00 बजे जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुर्ैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुर्ैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुर्ैना ।
4. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुर्ैना ।
5. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुर्ैना (म0प्र0)।
6. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुर्ैना (म0प्र0)।
7. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुर्ैना ।
8. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुर्ैना ।
9. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुर्ैना ।

बैठक में निम्न 21 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 :-

N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 में आदेश दिनांक 20.07.2023 के पालन में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चम्बल नदी व आसपास अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कार्यवाही स्पेशल चेक पोस्ट, अस्थाई चेक पोस्ट, कैमरा से निगरानी लगातार रखी जावेगी। S.A.F. की तैनाती आगामी पेशी दिनांक 03.11.2023 तक रहेगी। पूर्व में लिये गये लोग टर्म एण्ड शॉर्ट टर्म प्लान पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वन विभाग को एन.जी.टी. आदेश के पालन में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये।

2- रेत खदानों का विवरण :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे0 क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ0मी0 थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन मे उक्त घाट में तीन खदानें क्रमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैंथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-4.80 हेक्ट0, (2)-5.00 हेक्ट0 (3)-63.57 हेक्ट0, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे0 खनिज मात्रा 10,11,126 घ0मी0 है।

इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइड की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे0 क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ0मी0 थी। वर्तमान में उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन मे तीन खदानें क्रमशः राजघाट-1(भानपुर-1), राजघाट-2 (भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3(पिपरई-3) बनाई गई, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-5.00 हेक्ट0, (2)-5.00 हेक्ट0 (3)-40.87 हेक्ट0, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट0 खनिज मात्रा 7,63,050 घ0मी0 है।

3- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइड किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

- 4- रेत खदानों का D.S.R.:-
पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों का 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गईं, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है।
- 5- रेत के खनन योजना :-
मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं।
- 6- रेत भण्डारण अनुमति:-
जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भंडारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।
जिला खनिज अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में इन रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर लगभग 3,98,000 घनमीटर खनिज रेत उपलब्ध है।
- 7- स्पेशल अस्थाई चौक पॉइंट :-
जिले में अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02 स्पेशल चौक पॉइंट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है
1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-
थाना सरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
- 8- एफ.आई.आर.:-
निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 25.09.2023 तक कुल 113 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।
- 9- पी.ओ.आर. :-
वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 25.09.2023 तक 189 पी.ओ.आर. काटी गई है।

10- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 25.09.2023 तक कुल 59 वाहनों को राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है।

11- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लाबैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।

12- दिनांक 10.04.2023 को लिये गये निर्णय अनुसार खनिज शाखा, जिला मुरैना के लिये 02 कम्प्यूटर क्य करना है। यह कम्प्यूटर क्य जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाकर इनका भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जावेगा, जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।

13- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

14- अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा :-

जिला खनिज अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज भंडारणों पर वर्ष 2021 में 15 प्रकरण, वर्ष 2022 में 59 एवं 2023 में 50 प्रकरण कुल 124 प्रकरणों में खनिज जप्त किया गया एवं शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.) जारी की गई, जिससे शासन को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ एवं अन्य टैक्स राशि ऑनलाईन जमा करवाई गई, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। यह कार्यवाही खनिज अधिकारी जारी रखें, ऐसा निर्देश दिया गया।

15- रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही:-

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /समस्त तहसीलदार /समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।

राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिसेठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, धनेला, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जबाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

- 16- ईट चिमनीभट्टों पर कार्यवाही:-
खनि अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, जिले में संचालित ईट चिमनीभट्टों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा ईट चिमनीभट्टों पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं ठेकेदार के मध्य होने वाले वाद विवाद की स्थिति से निपटने के लिये पुलिस, राजस्व एवं श्रम विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अवैध ईट चिमनीभट्टों पर नियमानुसार अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण के प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं। उक्त संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदारों को भी जारी कर कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है।

- 17- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म०प्र० शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा दिये गये।

- 18- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया।

- 19- स्वीकृत खदानों में सुरक्षा के उपाये:-

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में बारिस को ध्यान में रखते हुये सभी ठेकेदारों/पट्टेदारों को कलेक्टर जिला मुरैना की ओर से सूचनापत्र जारी करवाकर निर्देशित किया है कि, सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाये करें, जैसे-तारफेंसिंग, खुदाई, चौकीदार तैनात करें।

- 20- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग ने 6611 बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर कार्यवाही की गई है।

21- ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही :-

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा ओवरलोड वाहनों पर 01 अप्रैल 2022 से 25.09.2023 तक कुल 2104 वाहनो पर कार्यवाही करने का विवरण दिया है।

नोट:-वर्षा/बारिस व चम्बल नदी में बाढ की स्थिति को ध्यान में रखते हुये एस.ए.एफ. बल को चंबल नदी के निचले स्थानों से ऊपर अल्लाबेली चोकी पर लाया गया।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिलेमें निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।

de

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/966-1

मुरैना,दिनांक 25/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला खनिज अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

de

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 06.10.2023 समय सांय 04.00 बजे 1102
स्थान: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 06.10.2023 समय सांय 04 बजे बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (MOPRO)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (MOPRO)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
5. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (MOPRO)।
6. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (MOPRO)।
7. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
8. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
9. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न 21 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

- 1- N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 :-
N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 में आदेश दिनांक 20.07.2023 के पालन में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चम्बल नदी व आसपास अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कार्यवाही स्पेशल चेक पोस्ट, अस्थाई चेक पोस्ट, कैमरा से निगरानी लगातार रखी जावेगी। S.A.F. की तैनाती आगामी पेशी दिनांक 03.11.2023 तक रहेगी। पूर्व में लिये गये लोग टर्म एण्ड शॉर्ट टर्म प्लान पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वन विभाग को एन.जी.टी. आदेश के पालन में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये।
- 2- स्पेशल अस्थाई चैक पोइंट :-
जिले मे अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02स्पेशल चैक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है
1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-
थानासरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
- 3- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।
- 4- रेत खदानों का D.S.R.:-
पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों की 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गई, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है।



5- रेत खदानों का विवरण :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ०मी० थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उक्त घाट में तीन खदानें क्रमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-4.80 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-63.57 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे० खनिज मात्रा 10,11,126 घ०मी० है।

इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइड की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ०मी० थी। वर्तमानमें उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीन खदानें क्रमशः राजघाट-1 (भानपुर-1), राजघाट-2 (भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3 (पिपरई-3) बनाई गई, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-5.00 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-40.87 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट० खनिज मात्रा 7,63,050 घ०मी० है।

6- रेत के खनन योजना :-

मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं।

7- रेत भण्डारण अनुमति:-

जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भंडारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में इन रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर लगभग 3,98,000 घनमीटर खनिज रेत उपलब्ध है।

8- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 06.10.2023 तक कुल 115 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

9- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 06.10.2023 तक 201 पी.ओ.आर. काटी गई है।

10- वाहनों का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 06.10.2023 तक कुल 69 वाहनों को राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है।

11- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लाबैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।

12- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

13- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग ने 6611 बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर कार्यवाही की गई है।

14- ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही :-

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा ओवरलोड वाहनों पर 01 अप्रैल 2022 से 06.10.2023 तक कुल 2104 वाहनों पर कार्यवाही करने का विवरण दिया है।

15- अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा :-

जिला खनिज अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज भंडारणों पर वर्ष 2021 में 15 प्रकरण, वर्ष 2022 में 59 एवं 2023 में 52 प्रकरण कुल 126 प्रकरणों में खनिज जप्त किया गया एवं शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.) जारी की गई, जिससे शासन को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ एवं अन्य टैक्स राशि ऑनलाईन जमा करवाई गई, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। यह कार्यवाही खनिज अधिकारी जारी रखें, ऐसा निर्देश दिया गया।

16- दिनांक 10.04.2023 को लिये गये निर्णय अनुसार खनिज शाखा, जिला मुरैना के लिये 02 कम्प्यूटर कय करना है। यह कम्प्यूटर कय जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाकर इनका भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जावेगा, जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।



- 17- रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही:-
जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /समस्त तहसीलदार /समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।

राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिसेठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, धनेला, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जबाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

- 18- ईट चिमनीभट्टों पर कार्यवाही:-

खनिज अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, जिले में संचालित ईट चिमनीभट्टों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा ईट चिमनीभट्टों पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं ठेकेदार के मध्य होने वाले वाद विवाद की स्थिति से निपटने के लिये पुलिस, राजस्व एवं श्रम विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अवैध ईट चिमनीभट्टों पर नियमानुसार अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण के प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं। उक्त संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदारों को भी जारी कर कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है।

- 19- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा दिये गये।

- 20- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया।

21- स्वीकृत खदानों में सुरक्षा के उपाये:-

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में बारिस को ध्यान में रखते हुये सभी ठेकेदारों/पट्टेदारों को कलेक्टर जिला मुरैना की ओर से सूचनापत्र जारी करवाकर निर्देशित किया है कि, सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाये करें, जैसे-तारफेंसिंग, खुदाई, चौकीदार तैनात करें ।

नोट:-वर्षा/बारिस व चम्बल नदी में बाढ की स्थिति को ध्यान में रखते हुये एस.ए.एफ. बल को चंबल नदी के निचले स्थानों से ऊपर अल्लाबेली चोकी पर लाया गया ।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिलेमें निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी ।

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/995

मुरैना,दिनांक 06/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
8. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ ।

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 25.10.2023 समय सांय 04.00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
5. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
6. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
8. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
9. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न 22 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 :-

N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 में आदेश दिनांक 20.07.2023 के पालन में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चम्बल नदी व आसपास अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कार्यवाही स्पेशल चेक पोस्ट, अस्थाई चेक पोस्ट, कैमरा से निगरानी लगातार रखी जावेगी। S.A.F. की तैनाती आगामी पेशी दिनांक 03.11.2023 तक रहेगी। पूर्व में लिये गये लोग टर्म एण्ड शॉर्ट टर्म प्लान पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वन विभाग को एन.जी.टी. आदेश के पालन में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये।

2- रेत खदानों का विवरण :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे0 क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ0मी0 थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन मे उक्त घाट में तीन खदानें क्रमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा क्रमशः(1)-4.80 हेक्ट0, (2)-5.00 हेक्ट0 (3)-63.57हेक्ट0, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे0 खनिज मात्रा 10,11,126 घ0मी0 है।

इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइड की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे0 क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ0मी0 थी। वर्तमान में उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन मे तीन खदानें क्रमशः राजघाट-1(भानपुर-1), राजघाट-2 (भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3(पिपरई-3)बनाई गई। जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-5.00 हेक्ट0, (2)-5.00 हेक्ट0 (3)-40.87 हेक्ट0, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट0 खनिज मात्रा 7,63,050 घ0मी0 है।

3- रेत खदानों का D.S.R.:-

पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों की 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गई, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है।

- 4- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफिकेशन किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।
- 5- रेत के खनन योजना :-
मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं।
- 6- रेत भण्डारण अनुमति:-
जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भंडारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।
जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में इन रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर लगभग 3,70,000 घनमीटर खनिज रेत उपलब्ध है।
- 7- स्पेशल अस्थाई चैक पोइंट :-
जिले में अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02स्पेशल चैक पोइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है
1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-थानासरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
- 8- कैमरे से निगरानी:-
स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लाबैली पुलिस चौकी पोइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।
- 9- ड्रोन से निगरानी:-
चंबल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।
- 10- ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही :-
जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा ओवरलोड वाहनों पर 01 अप्रैल 2022 से 25.10.2023 तक कुल 2592 वाहनो पर कार्यवाही करने का विवरण दिया है।

11- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग ने 7914 बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर कार्यवाही की गई है।

12- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 25.10.2023 तक कुल 120 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

13- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 25.10.2023 तक 214 पी.ओ.आर. काटी गई है।

14- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 29.08.2023 तक कुल 91 वाहनों को राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है।

15- अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण :-

वनमण्डलाधिकारी जिला मुरैना द्वारा बताया गया कि, उनके विभाग ने दिनांक 01.04.2022 से 25.10.2023 तक कुल 96 अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण के प्रकरण बनाये हैं। अवैध रेत भण्डारण के 65 प्रकरण बने हैं।

16- अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा :-

जिला खनि अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज भंडारणों पर वर्ष 2021 में 15 प्रकरण, वर्ष 2022 में 59 एवं 2023 में 52 प्रकरण कुल 126 प्रकरणों में खनिज जप्त किया गया एवं शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.) जारी की गई, जिससे शासन को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ एवं अन्य टैक्स राशि ऑनलाईन जमा करवाई गई, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। यह कार्यवाही खनि अधिकारी जारी रखें, ऐसा निर्देश दिया गया।

- 17- रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही:-
जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / समस्त तहसीलदार / समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।

राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनि अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिसेठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, धनेला, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जबाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

- 18- ईट चिमनीभट्टों पर कार्यवाही:-

खनि अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, जिले में संचालित ईट चिमनीभट्टों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा ईट चिमनीभट्टों पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं ठेकेदार के मध्य होने वाले वाद विवाद की स्थिति से निपटने के लिये पुलिस, राजस्व एवं श्रम विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अवैध ईट चिमनीभट्टों पर नियमानुसार अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण के प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं। उक्त संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदारों को भी जारी कर कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है।

- 19- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा दिये गये।

- 20- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया।

- 21- दिनांक 10.04.2023 को लिये गये निर्णय अनुसार खनिज शाखा, जिला मुरैना के लिये 02 कम्प्यूटर कय करना है। यह कम्प्यूटर कय जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाकर इनका भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जावेगा, जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।

22- स्वीकृत खदानों में सुरक्षा के उपाये:-

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में बारिस को ध्यान में रखते हुये सभी ठेकेदारों/पट्टेदारों को कलेक्टर जिला मुरैना की ओर से सूचनापत्र जारी करवाकर निर्देशित किया है कि, सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाये करें, जैसे-तारफेंसिंग, खुदाई, चौकीदार तैनात करें ।

नोट:-वर्षा/बारिस व चम्बल नदी में बाढ की स्थिति को ध्यान में रखते हुये एस.ए.एफ. बल को चम्बल नदी के निचले स्थानों से ऊपर अल्लाबेली चोकी पर लाया गया ।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिलेमें निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023 /1061

मुरैना,दिनांक 25/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति,
2. मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरां हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
7. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
9. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
14. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
15. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2022 (PB)

IN THE MATTER OF :

**“IN RE: NEWS ITEM PUBLISHED IN THE HINDU DATED
27.03.2022 TITLED AS DIGGING UP THE CHAMBAL”**

I/ We/ Appellant/ Claimant/ Petitioner or Defendant/ Respondent/ non-applicant named below do hereby appoint, engage and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead in aforesaid case / proceedings, which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any other Court in which the same may be tried / heard / proceeded with and also in the appellate, revisional or executing Court in respect of proceedings arising from this case / proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him / them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, petitions, applications, affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution / defence of the said case in all its stage and also agree to ratify and confirm acts done by him / them as if done by me / us.

In witness whereof I / we do hereunto set my / our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by me / us, this.

Particulars (In block letters) of each party executing Vakalatnama

Name & Father's / Husband's Name	Registered Address	E-mail Address (if any)	Telephone Number (if any)	Status in the Case	Full Signature / Thumb Impression
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			+91 94251 17757	Respondent State of Madhya Pradesh	<u>Sharma</u> संचालक पर्यावरण म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल

Particulars (In block letters) of each advocate Accepting Vakalatnama

S.N.	Names	Address for service & Email Add. (if any)	Telephone No. (if any)	Full Sign.
1.	ADV. PRASHANT HARNE	240, UCI Lawyers Chamber, Behind District Court, Arera Hills, Bhopal, M.P.	+91 94250 41311	<u>Prashant Harne</u>
2.	Adv. Mehul Bhatnagar	609, UCI Lawyers Chamber, Behind District Court, Arera hills,	7489751758	<u>Mehul Bhatnagar</u>

*Score out whichever is not applicable.